भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/03/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 28 अप्रैल, 2026

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

मामला सं. एडी(ओआई)-03/2025

विषय: ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से आयातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम,1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. जबकि, इंडियन मेटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ('आईएमसीओएम') (जिसे आगे "आवेदक" या "आवेदक एसोसिएशन" भी कहा गया है) ने ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए समय समय पर यथा-सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का

आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/03/2025-डीजीटीआर, दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरु करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रकिया</u>

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

i. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) और डब्ल्यूटीओ के विभिन्न सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार करार के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने 29 मार्च 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पते के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को प्रश्नावली के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी

और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार प्रस्तुत करें।

3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

3.3 उत्पादक/निर्यातक की प्रतिभागिता

i. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी:

1. ए टी ग्लोबल रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड
2. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) पी टी वाई लिमिटेड
3. बल्क ट्रेडिंग एसए
4. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड
5. ग्लोबल रिसोर्स ग्रुप (जीआरजी) लिमिटेड
6. हरग्रीव्स रॉ मटेरियल सर्विसेज जीएमबीएच
7. हांगकांग ग्लोबल फेयर ट्रेड कंपनी लिमिटेड
8. हांगकांग पु तियान इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
9. आईएमआर मेटालर्जिकल रिसोर्सेज एजी
10. इंडो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडसी
11. इनोवेशन वर्ल्डवाइड डीएमसीसी
12. जैकोबी कार्बन्स एजी
13. जिनान कोसेव न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
14. लिनयी ट्रेड सिटी यिकैटोंग सप्लाई चेन कंपनी लिमिटेड
15. मेरिडियन ग्लोबल रिसोर्सेज (एचके) लिमिटेड

16. मेटल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
17. मित्सुबिशी कारपोरेशन
18. मित्सुबिशी कारपोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड
19. निंग्ज़िया एक्टेक इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन
20. निंग्ज़िया हुआहुई एक्टिवेटेड कार्बन कंपनी लिमिटेड
21. निंग्ज़िया हुआहुई एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
22. निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन
23. नोबेल रिसोर्सेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
24. नोरेकॉम डीएमसीसी
25. न्यूमेन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
26. न्यूमरको लिमिटेड
27. प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट एंटरप्राइज
28. शानक्सी ज़ेनित आईई कंपनी लिमिटेड
29. शाहे जी जिन पेट्रोलियम कोक ट्रेड कंपनी लिमिटेड
30. शैंडोंग गांगडा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
31. सिएरा ब्लैंका ग्रुप एसएएस
32. सिनोमेट इंटरनेशनल कारपोरेशन
33. थाइसेनक्रुप मटेरियल्स ट्रेडिंग एशिया पीटीई लिमिटेड
34. ट्राफिगुरा पीटीई लिमिटेड
35. ट्राफुगुरा पीटीई लिमिटेड
36. यूजीएम ग्रुप लिमिटेड
37. विसा कमोडिटीज़ एजी
38. वाइटेलिया ट्रेड लिमिटेड
39. वर्ल्ड मेटल्स एंड एलायस (एफजेडसी)
40. युंग ताई एनवायरनमेंटल इंडस्ट्रियल (एचके)कंपनी लिमिटेड
41. जोउपिंग जिंगगुआंग कोक ट्रेडिंग कंपनी

iii. संबंधित देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है/प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं।

1. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) पी टी वाई लिमिटेड
2. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड, हांगकांग
3. हांगकांग जिंटेंग डेवलपमेंट लिमिटेड
4. मित्सुबिशी केमिकल कारपोरेशन, जापान
5. मित्सुबिशी कारपोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड
6. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया
7. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ इंडोनेशिया
8. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया
9. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड
10. रिसुन मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड (जापान)
11. रिसुन वेईशान इंजीनियरिंग (हैनान) लिमिटेड, चीन
12. निप्पॉन कोक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
13. निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

3.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं की प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातकों और प्रयोक्ताओं की प्रश्नावली भेजी। ऐसे आयातकों और प्रयोक्ताओं की एक सूची अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

ii. निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने प्राधिकरण द्वारा जारी आयातकों/उपयोगकर्ताओं की प्रश्नावली का उत्तर देकर या अपनी राय प्रस्तुत करके वर्तमान जांच में भाग लिया है।

1. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2. मुकुंद लिमिटेड
3. नियो मेटालिक्स लिमिटेड
4. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
5. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
6. रश्मी मेटालिक्स लिमिटेड

7. ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड

3.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

i. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 (12 माह) है। क्षति की जांच अवधि 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि मानी गई है।

3.6 आगे की प्रक्रिया

i. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

1. घरेलू उद्योग
2. अलॉय स्टील प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ("एएसपीए")
3. ओडिश मेटॉलिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड
5. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
7. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
8. मुकुंद लिमिटेड
9. मित्सुबिशी केमिकल कारपोरेशन
10. मित्सुबिशी कारपोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड

ii. इसके अलावा, निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा जांच प्रक्रिया के दौरान अनुरोध भी उत्तर दायर किए गए थे।

1. नरसिंह इस्पात लिमिटेड
2. बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड
3. पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4. मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड

iii. नरसिंह इस्पात लिमिटेड और बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड ने भी प्रयोक्ता प्रश्नावली और आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

iv. गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

v. प्राधिकारी ने 22 मई 2025 को एक बैठक आयोजित की जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र के संबंध में चर्चा करने और अपनी टिप्पणियां स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को दिनांक 7 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से अंतिम रूप दिया था।

vi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

vii. डीजी सिस्टम्स से पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण और जांच की अवधि प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और लेनदेन की उचित जांच के बाद इसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।

viii. जांच की शुरुआत के अनुसरण में, और सभी संबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना प्रदान करने और अपने हितों का बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, और रिकॉर्ड में मौजूद सूचना और साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने 14 नवंबर 2025 को एक प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया, जिसमें अनंतिम

रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि विचाराधीन उत्पाद को संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध देशों से निर्यात किया गया है, इस प्रकार, संबद्ध सामानों का पाटन हुआ है, इस तरह के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को इस तरह के पाटन के कारण क्षति हुई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की।

ix. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने के बाद अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया।

क. इस तरह के जांच परिणाम जारी होने के 30 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।

ख. यह अधिसूचित किया गया कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार एक मौखिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।

ग. आवश्यक माना गया आगे सत्यापन किया जाएगा।

घ. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

x. प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए वित्त मंत्रालय को उनके विचार के लिए भेजी गई थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 41/2025 दिनांक 31 दिसंबर 2025 द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रारंभिक शुल्क लगाया है।

xi. कई हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणामों पर प्रतिक्रिया/टिप्पणियां दायर की हैं, जिन पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में पर्याप्त रूप से विचार किया गया है।

xii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 13 जनवरी 2026 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे

मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

xiii. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकर सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार बनाए रखे गए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वर्तमान अंतरिम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xiv. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, साक्ष्यों के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से विचार किया गया है।

xv. प्राधिकारी द्वारा एक प्रकटन विवरण दिनांक 20 अप्रैल 2026 वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते हुए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार जारी किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण की टिप्पणियों पर, संगत और गैर-पुनरावृत्ति पाए जाने की सीमा तक, इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है।

xvi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

xvii. प्राधिकारी ने जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 मार्च 2026 के माध्यम से जांच पूरी करने और अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित करने के लिए समय अवधि को एक महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

xviii. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xix. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉ.= 84.27 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

> "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक, *यानी* मेटालर्जिकल कोक *जिसमें 18% से कम राख की मात्रा होती है, जिसमें 0.030% तक फास्फोरस की मात्रा वाली अल्ट्रा-लो फास्फोरस* मेटालर्जिकल कोक *शामिल नहीं है, जिसमें 30 एमएम तक का आकार होता है, जिसमें फेरोअलॉय निर्माण में प्रयोग के लिए 5% आकार की सहनशीलता होती है।* मेटालर्जिकल कोक *का प्रयोग उन उद्योगों में प्रारंभिक ईंधन के रूप में किया जाता है जहां भट्टियों या भट्ठियों में एक समान और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे कि पिग आयरन, फाउंड्री, फेरो अलॉय, रासायनिक संयंत्र और इस्पात संयंत्र के उत्पादन में होता है।*

ग.1 <u>हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

   i. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें 18% से कम राख सामग्री और 30 एमएम तक के कण आकार (5% सहिष्णुता के साथ) वाला एलएएम कोक शामिल है। विचाराधीन उत्पाद में अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक (<u>≤</u>0.030% पी) शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद केवल फेरो-एलॉय धातु निर्माण के लिए लक्षित एलएएम कोक तक ही सीमित है।

   ii. घरेलू उद्योग पर्याप्त वाणिज्यिक मात्रा में यूएलपी कोक का उत्पादन नहीं करता है, जबकि इसे महत्वपूर्ण मात्रा में आयात किया जाता है।

   iii. चूंकि घरेलू उद्योग 0.030% तक फास्फोरस सामग्री वाले अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक का निर्माण नहीं करता है, इसलिए आकार या उद्योग की परवाह किए बिना इसे बाहर रखा जाना चाहिए।

   iv. आवेदन में फेरोएलोय उद्योग के लिए यूएलपी कोक को बाहर रखना आवेदकों द्वारा एक मौन स्वीकृति है कि वे इसका उत्पादन नहीं करते हैं।

v. चूँकि घरेलू उद्योग का मानना है कि आकार केवल स्क्रीनिंग पर निर्भर करता है; 0.03% के फास्फोरस सामग्री के साथ कण आकार, सहिष्णुता और प्रयोग की परवाह किए बिना यूएलपी कोक को बाहर रखा जाना चाहिए।

vi. जबकि घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि इस्पात उद्योग द्वारा यूएलपी का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह गलत है क्योंकि फास्फोरस मुख्य रूप से एक अशुद्धता के रूप में कार्य करता है और इस्पात सूक्ष्म संरचना को प्रभावित करता है। एएमएनएस ने 0.025% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले यूएलपी के बारे में घरेलू उत्पादकों से पूछताछ की है, हालांकि, किसी भी घरेलू उत्पादक ने उत्पाद की पेशकश नहीं की है। घरेलू उद्योग ने 0.045% से कम फास्फोरस सामग्री के साथ उत्पाद की पेशकश की है और 0.025% नहीं। जबकि नीलाचल में उक्त उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है, ऐसी क्षमता बहुत कम है।

vii. पीसीएन पद्धति में, प्राधिकारी ने 13% से अधिक राख सामग्री वाले मेट कोक को "मध्यम राख" के रूप में वर्गीकृत किया। चूँकि इस तरह का कोक कम राख वाला नहीं है, इसलिए इसे उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

viii. घरेलू उद्योग 12% तक राख की मात्रा वाले मेट कोक का निर्माण नहीं करता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

ix. आवेदकों की वेबसाइटों से पता चलता है कि वे 12.5% से अधिक राख सामग्री के साथ मेट कोक का उत्पादन करते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस के निष्पादन को प्रभावित करता है।

x. यह जांच की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग ने पर्याप्त मात्रा में 13% से कम राख सामग्री वाला मेट कोक बेचा है। जैसा कि एसीपी मैन्यूफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में न्यायाधिकरण द्वारा माना गया है, वाणिज्यिक मात्रा में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए गए उत्पाद को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा गया है। चूंकि इस तरह के आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किए गए है, अत: वे इसका सत्यापन करने में असमर्थ हैं।

xi. माइक्रो ब्लास्ट भट्टी अनुप्रयोग के लिए आवश्यक उत्पाद वह है जिसमें राख की मात्रा 13% तक है। घरेलू उत्पादक आमतौर पर उच्च राख सामग्री के साथ कोक का उत्पादन करते हैं जो माइक्रो ब्लास्ट भट्ठी के लिए अनुपयुक्त है।

xii. कोक फाइन्स और ब्रीज को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन अलग से नहीं किया जाता है और यह एक उप-उत्पाद है। ऐसे उत्पाद को उत्पाद क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में योगदान नहीं देता है, या इसके संचालन को प्रभावित नहीं करता है। प्राधिकारी ने सुरक्षा (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच में कोक फाइन्स और कोक ब्रीज को बाहर रखा है।

xiii. प्राधिकारी ने यह जांच नहीं की है कि क्या आवेदकों ने वाणिज्यिक मात्रा में कोक ब्रीज और कोक फाइन्स का उत्पादन और बिक्री की है। टेक्नोवा में सेस्टैट द्वारा माने गए अनुसार, उत्पाद क्षेत्र में शामिल होने के लिए वाणिज्यिक मात्रा में विशिष्ट ग्रेड/प्रकार बेचे जाने चाहिए।

xiv. कोक ब्रीज, 4,62,759 एमटी के साथ मेट कोक की मांग का 7% है। हालांकि, घरेलू उद्योग की बिक्री केवल 84,495.81 एमटी है।

xv. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के बिक्री रजिस्टर का सत्यापन कर सकते हैं ताकि यह जांच की जा सके कि जिन ग्रेडों के लिए बाहर करने का अनुरोध किया गया है, उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में बेचा गया है या नहीं।

xvi. जबकि निर्यातक ने विशेष रूप से कोरैक्स अनुप्रयोग के लिए 10 -50 एमएम आकार वितरण के साथ मेट कोक का निर्यात किया है, घरेलू उद्योग इसका उत्पादन नहीं करता है। तदनुसार, कोरैक्स अनुप्रयोग के लिए मेट कोक को बाहर रखा जाना चाहिए।

xvii. नट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह ब्लास्ट फर्नेस में प्रयोग किए जाने वाले लम्प कोक से अलग है। भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के साथ नट कोक प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।

xviii. 30 -50 मि.मी आकार वाले मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

xix. स्माल लंप कोक को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह कमी ("सीएसआर") के बाद उच्च कोक शक्ति और कम कोक प्रतिक्रियाशीलता सूचकांक ("सीआरआई") के साथ एक उप-उत्पाद है। ये मापदंड ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हैं।

xx. चूंकि प्रारंभिक जांच परिणामों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में सीएसआर > 62% के साथ उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है, ऐसे उत्पाद को मैनुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज के अनुसार बाहर रखा जाना चाहिए। केवल उत्पादन करने के लिए संगत नहीं है।

xxi. घरेलू उद्योग ने खुद यह माना है कि उसे उच्च सीएसआर वाले उत्पाद के लिए कोई पूछताछ नहीं मिलती है और सीएसआर > 70% तथा सीआरआई < 20% वाले उत्पाद की कोई मांग नहीं है। यह तथ्य कि केवल एक घरेलू उत्पादक ही एक अकेली टेस्ट रिपोर्ट दिखा पाया, यह दर्शाता है कि वाणिज्यिक उत्पादन का अभाव है; इसे देखते हुए, उच्च सीएसआर वाले उत्पाद को क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। ब्लूस्कॉप ने तकनीकी प्रमाण पत्र और बीजक जमा किए हैं, जो भारतीय खरीदारों को की गई बिक्री को दर्शाते हैं।

xxii. चूंकि घरेलू उद्योग यह स्वीकार करता है कि उच्च सीएसआर वाले उत्पाद की कोई मांग नहीं है, इसलिए ऐसे उत्पाद के आयात से उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती।

xxiii. लंप कोक को क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग विशेष रूप से ब्लास्ट फर्नेस में इस्पात बनाने के लिए किया जाता है और इसमें बहुत उच्च गुणवत्ता वाले गुण होते हैं।

xxiv. सीएसआर 64–65 या उससे अधिक वाले लंप कोक को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी गुणवत्ता घरेलू उद्योग के उत्पाद से भिन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप इसके अंतिम प्रयोग और निष्पादन में तकनीकी

अंतर आ जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसका प्रयोग एकीकृत ब्लास्ट फर्नेस के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जहां लगातार उच्च दबाव और तापमान चक्रों के लिए विशिष्ट उत्पाद विशेषताओं की आवश्यकता होती है।

xxv. ब्लास्ट फर्नेस के लिए निप्पन के लंप कोक ग्रेड में उच्च क्षमता वाला मेटालार्जिकल कोक शामिल है, जिसका मिकम इंडेक्स अधिक होता है; इसे क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता है।

xxvi. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत, मेट कोक इस्पात बनाने की प्रक्रिया में एक आवश्यक कच्चा माल है। घरेलू उद्योग द्वारा अपेक्षित आकार और गुणवत्ता की आपूर्ति करने में असमर्थता के कारण, एएमएनएस को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, सामानों का आयात करने के लिए विवश होना पड़ेगा। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कोक में नमी की मात्रा अधिक होती है, 'कमी के बाद कोक की क्षमता' कम होती है, और 'कोक की प्रतिक्रियाशीलता' अधिक होती है; जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की मांग बढ़ जाती है और ब्लास्ट फर्नेस के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, खराब गुणवत्ता के कारण पिघले हुए धातु का उत्पादन भी कम होता है।

xxvii. कई खेपों में घरेलू कोक के कणों का औसत आकार भी छोटा होता है, जिसमें -30एमएम और -25 एमएम आकार वाले कणों का अनुपात अधिक होता है। नट कोक के साथ-साथ महीन कणों के अधिक मात्रा में बहकर आगे चले जाने के कारण, फर्नेस का निष्पादन रुक-रुक कर खराब होता रहता है। इसके अलावा, -25 एमएम और -30 एमएम के टुकड़ों का बहुत ज़्यादा बनना नट कोक स्क्रीन पर ज़्यादा बोझ डालता है और बारीक कणों को भट्टी में पहुँचा देता है, जिससे हवा का बहाव खराब हो जाता है और हवा लेने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा नट कोक बनने से जगह की कमी होती है, भंडारण की सीमाएँ आती हैं, और इसे संभालने/हटाने के लिए अतिरिक्त उपकरण और कर्मचारियों पर खर्च करना पड़ता है। जब ज़्यादा सहायक ईंधन

डाला जाता है, तो कणों का औसत आकार एक अहम पैमाना बन जाता है, जिसका उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है।

xxviii. घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए मेट कोक के आकार की वजह से टैपहोल जाम हो जाता है और कोक तेज़ी से बाहर निकलता है। इससे सुरक्षा को खतरा होता है और उपकरणों को नुकसान पहुँच सकता है, साथ ही काम-काज में रुकावट आ सकती है।

xxix. प्राधिकारी को उन उत्पादों को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए जिन्हें घरेलू उद्योग नहीं बनाता है, क्योंकि घरेलू उद्योग को उन उत्पादों के आयात से कोई नुकसान नहीं हो सकता जिन्हें वह खुद नहीं बनाता है; और ऐसे उत्पादों को शामिल करने से व्यापारिक सुरक्षा अपने तय क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, जबकि ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल करने वालों को बिना किसी फायदे के बेवजह खर्च उठाना पड़ेगा। यह बात अधिकरण और प्राधिकारी के हाल के फैसलों के भी अनुरूप है।

xxx. बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किए गए आयात से यह साफ पता चलता है कि भारत में बना उत्पाद आगे के उत्पादों को बनाने के लिए सही नहीं है।

xxxi. नरसिंह इस्पात लिमिटेड ("एनआईएल") पिग आयरन बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर 20-40 एमएम वाले कम राख वाले मेट कोक का इस्तेमाल करता है, और इस मौजूदा जाँच का उस पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए, उसे इस मौजूदा जाँच में एक संबद्ध पक्षकार के तौर पर रजिस्टर किया जाना चाहिए।

xxxii. एनआईएल के पास 100 क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाली छोटी ब्लास्ट भट्टियाँ हैं, जो तकनीकी सीमाओं की वजह से मानक आकार के कोक का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। भारत में एनआईएल, बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड और पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा माइक्रो ब्लास्ट भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है।

xxxiii. "माइक्रो ब्लास्ट भट्टी" शब्द के इस्तेमाल को लेकर जो विवाद है, वह सिर्फ़ किताबी है, क्योंकि यह बात निर्विवाद है कि 130 एम^3 से कम क्षमता वाली

भट्टियों को 20-40 एमएम आकार के मेट कोक की ज़रूरत होती है। यह बात रिकॉर्ड पर रखे गए चार्टर्ड इंजीनियर के सर्टिफिकेट से भी साफ पता चलती है।

xxxiv. भट्टी का आकार, काम करने का दबाव और हवा के बहाव की स्थितियाँ यह बात निश्चित तौर पर साबित करती हैं कि 20–40 एमएम आकार के मेट कोक की ज़रूरत सिर्फ़ उन भट्टियों को होती है जिनकी क्षमता 130 एम³ से कम होती है। गलत आकार के कोक का इस्तेमाल करने से प्रचालन में गंभीर समस्याएँ आती हैं, जिनमें आयरन का उत्पादन कम होना, टैपहोल का बंद होना, कोक रश की घटनाएँ, सुरक्षा संबंधी खतरे, उपकरणों को नुकसान और उत्पादन में रुकावटें शामिल हैं। 128 एम³ ब्लास्ट फर्नेस के लिए तकनीकी प्रस्ताव से पता चलता है कि ऐसी फर्नेस में मेट कोक का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है।

xxxv. एनआईएल, बीएसआईपीएल और पीएमसी —इन तीन प्रयोक्ताओं के अलावा– भारत में लगभग सभी ब्लास्ट फर्नेस ज़्यादा क्षमता (200 एम³ से ज़्यादा) पर काम करती हैं। इसलिए, 20-40 एमएम मेट कोक की ज़रूरत बहुत अधिक है।

xxxvi. घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रयोक्ताओं ने 50 एमएम आकार का कोक आयात किया था, या यह कि ऐसा कोक 130 एम³ से कम क्षमता वाली भट्टियों में तकनीकी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन सहायक आंकड़े पर भरोसा किया गया है, उनमें सीमा शुल्क रिपोर्टिंग प्रयोजनों से सामान्य विवरणों का इस्तेमाल किया गया है। आयातित कोक का औसत आकार 30 एमएम है, जो प्रयोक्ताओं की ब्लास्ट फर्नेस के लिए सबसे उपयुक्त आकार है।

xxxvii. कभी-कभार 20-75 एमएम के बड़े आकार का कोक खरीदने की वजह बाज़ार की मजबूरियाँ और उपलब्धता की कमी थी; इससे सार-संभाल की लागत बढ़ गई, कोक के बारीक टुकड़े ज़्यादा बने और काम-काज में भी कमी आई। ऐसे मामलों में, प्रयोक्ताओं को मजबूरन कोक को छानना पड़ा और बड़े आकार के टुकड़ों को हाथ से तोड़कर 20-40 एमएम के आकार के करीब लाना पड़ा।

xxxviii. एनआईएल ने 2023-24 में मेट कोक घरेलू निर्माताओं से खरीदा, और कुछ सीधे आयात किया, जबकि कुछ भारत में व्यापारियों के माध्यम से खरीदा।

xxxix. जांच की अवधि सहित, 'क्षति की अवधि' के दौरान प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग से 20-40 एमएम आकार का मेट कोक बिल्कुल भी नहीं खरीदा। अलग-अलग आकार के कोक की पिछली खरीद का मौजूदा तकनीकी ज़रूरतों से कोई लेना-देना नहीं है, और घरेलू उद्योग द्वारा ऐसे पुराने लेन-देन पर भरोसा करना गलत है।

xl. मौजूदा जांच शुरू होने के बाद, 10 घरेलू निर्माताओं ने घोषणाएं कीं जिनमें उन्होंने 20-40 एमएम कोक की आपूर्ति करने की क्षमता या इच्छा ज़ाहिर की। तथापि, ऐसी घोषणाएं असल और लगातार आपूर्ति के साक्ष्य की जगह नहीं ले सकतीं। जब उनसे संपर्क किया गया, तो इन निर्माताओं ने या तो गलत आकार का कोक देने की पेशकश की, या उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, या फिर उसकी मात्रा इतनी कम थी कि वह मासिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी।

xli. कीमत और पेश की गई मात्रा को देखते हुए, प्रयोक्ता लगातार आपूर्ति के लिए नीलांचन से संपर्क करते रहे। तथापि, नीलांचल ने कहा कि वह हर महीने सिर्फ़ 8,000 एमटी कोक की आपूर्ति कर सकता है, और अपनी क्षमता बढ़ाने के बाद हर महीने 11,000 एमटी की आपूर्ति कर पाएगा। 13 नवंबर 2025 की अपनी वाणिज्यिक पेशकश और हर महीने 20,000 एमटी कोक की आपूर्ति करने की अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद, नीलांचल ज़रूरी मात्रा में कोक की आपूर्ति करने में विफल रहा।

xlii. प्रयोक्ताओं ने नीलांचल से बार-बार अनुरोध किया कि वे वास्तविक उत्पादन क्षमता की पुष्टि के लिए संयंत्र का दौरा करने की अनुमति दें, लेकिन नीलांचल ने लगातार ऐसे दौरों से बचने और इनकार करने का रवैया अपनाया है, और अभी भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है; तथापि, परीक्षण और सत्यापन के लिए ट्रायल मात्रा का अनुरोध करना उद्योग की प्रथा के अनुरूप ही है। आयातित सामानों के लिए भी ट्रायल मात्रा का परीक्षण और संयंत्र का दौरा किया गया है।

xliii. 20-40 एमएम आकार वाले कम लो एश मेटालर्जिक कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू निर्माता भारत में

मांग को पूरा करने के लिए इसकी पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं करते हैं। उक्त उत्पाद का उत्पादन केवल एक उप-उत्पाद के रूप में किया जाता है।

xliv. भारत में विचाराधीन सामानों की कुल मांग में से एलएएम कोक (20-40 एमएम) की मांग केवल 5% है। इसका आयात केवल पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है और इसका प्रयोग केवल पिग आयरन निर्माताओं द्वारा किया जाता है। चूंकि भारतीय उद्योग इस आकार का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए ऐसे उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो सकता है।

xlv. घरेलू निर्माताओं ने लिखित पत्राचार के माध्यम से 20-40 एमएम आकार का कोक आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। 40 एमएम से कम आकार का कोक केवल घरेलू निर्माताओं के अपनी कैप्टिव खपत के लिए होता है, न कि वाणिज्यिक बिक्री के लिए। घरेलू उत्पादकों ने एनआईएल को 20-50 एमएम और 20-85 एमएम के वैकल्पिक आकार पेश किए हैं; तथापि, इन आकारों का प्रयोग माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस में नहीं किया जा सकता है।

xlvi. 20-40 एमएम आकार के कोक की विशेषताएं अलग होती हैं, जो इसे कोक के बड़े आकारों से तकनीकी रूप से भिन्न बनाती हैं। यह आकार गैस के प्रवाह के पैटर्न, ऊष्मा के स्थानांतरण और फर्नेस के संचालन को प्रभावित करता है।

xlvii. भारतीय उद्योग द्वारा पेश किया गया 20-40 एमएम आकार का कोक अधिक कीमतों पर उपलब्ध है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने कोक के आकार के आधार पर पीसीएन का प्रस्ताव रखा है, और यह अनुरोध किया है कि बड़े आकार के कोक की तुलना में छोटे आकार का कोक रियायती दर पर बेचा जाता है। चूंकि 20-40 एमएम आकार के कोक के निर्माण के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं (जैसे काटना, कुचलना, छानना, दोबारा संभालना आदि) करनी पड़ती हैं, इसलिए भारतीय उद्योग इसका उत्पादन करना पसंद नहीं करता है।

xlviii. प्रयोक्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए 21 नवंबर 2022 के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र से यह पता चलता है कि पिग आयरन संयंत्र के विन्यास और विस्तार में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बेहतर और संशोधित

कॉन्फ़िगरेशन के साथ, केवल 20-40 एमएम का मेट कोक ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

xlix. वाणिज्यिक भाषा में 20-40 एमएम के रूप में परिभाषित मेट कोक मुख्य रूप से 28-32 एमएम आकार का होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उत्पाद में मुख्य रूप से 40 एमएम या उससे बड़े कण शामिल होते हैं।

l. पोलैंड को 20-40 एमएम कोक के एक भरोसेमंद और लगातार सप्लायर के तौर पर नहीं माना जा सकता। जांच की अवधि के बाद पोलैंड से आयात बहुत कम रहा है।

li. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, एनआईएल द्वारा आयात किए गए 20-50 एमएम उत्पाद का औसत आकार 30+/-2 एमएम है।

lii. प्राधिकारी यह स्पष्टीकरण देने की अनुमति दे सकते हैं कि "सेमी-कोक" और "सॉफ्ट कोक" को मौजूदा पाटनरोधी जांच के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सेमी-कोक का आयात 2704 00 20 और 2704 00 40 के तहत किया जाता है, जिन पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है। सेमी-कोक और संबद्ध सामाना उत्पादन प्रक्रियाओं के मामले में अलग-अलग उत्पाद हैं, जिनमें कार्बनीकरण तापमान और कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले कोयले के प्रकार में अंतर शामिल है। सेमी-कोक में फिक्स्ड कार्बन की मात्रा अधिक और राख की मात्रा कम होती है। सल्फर और फास्फोरस का स्तर, और वाष्पशील पदार्थ की मात्रा भी दोनों के बीच अलग-अलग होती है, साथ ही प्रतिक्रियाशीलता, सरंध्रता और विद्युत प्रतिरोधकता में भी अंतर होता है।

liii. सीआईएसआर- केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी साहित्य और ओ. पी. गुप्ता की पुस्तक 'एलिमेंट्स ऑफ़ फ्यूल्स, फर्नेसेस एंड रिफ्रैक्टरीज' भी यह दर्शाती है कि सेमी-कोक, जिसे 'कम तापमान वाला कोक' कहा जाता है, मेट कोक से अलग है, जिसे 'उच्च तापमान वाला कोक' कहा जाता है।

liv. जहां मेट कोक का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस के संचालन में किया जाता है, वहीं सेमी-कोक का प्रयोग फेरो एलॉय, सिलिकॉन धातु और कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन में किया जाता है।

lv. घरेलू उद्योग सेमी-कोक के निर्माण में शामिल नहीं है, और सेमी-कोक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मेट कोक जैसा "समान वस्तु" नहीं है।

lvi. प्राधिकारी ने पहले भी ऐसे उत्पाद प्रकारों को क्षेत्र से बाहर रखा है, जिनके संबंध में घरेलू उद्योग ऐसे ग्रेड की आपूर्ति के बारे में उचित साक्ष्य प्रस्तुत करके, उन्हें क्षेत्र से बाहर रखने के अनुरोध का खंडन करने में असमर्थ रहा था।

lvii. राख की मात्रा, आकार, नमी की मात्रा, अपचयन के बाद कोक की मजबूती (सीएसआर), कोक प्रतिक्रियाशीलता सूचकांक (सीआरआई) और एम40 जैसे मापदंड विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को प्रभावित करते हैं, और पीसीएन के उद्देश्य से इन पर विचार किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव मूल्य-विभेद और वाणिज्यिक मूल्य पर आधारित था, न कि उत्पादन लागत पर।

lviii. पीसीएन के उद्देश्य से, इसके प्रयोग यानी ब्लास्ट फर्नेस के लिए मेट कोक और कोरेक्स के लिए मेट कोक पर विचार किया जाना चाहिए।

lix. इस जाँच के लिए, वज़न के हिसाब से 5% तक और 5% से ज़्यादा नमी की मात्रा, और आयतन के हिसाब से 5% तक और 5% से ज़्यादा छोटे कणों की मात्रा को पीसीएन माना जाना चाहिए।

lx. टम्बलर की मज़बूती (एम 40) को पीसीएन के लिए एक मापदंड माना जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एम40 वाला मेट कोक, कम एम40 वाले मेट कोक से ज़्यादा महँगा होता है।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. प्राधिकारी द्वारा जांच शुरुआत की अधिसूचना, 7 जुलाई 2025 की अधिसूचना और प्रारंभिक जांच परिणामों में उत्पाद के जिस क्षेत्र पर विचार किया गया है, उसे ही मौजूदा जांच के क्षेत्र के तौर पर माना जा सकता है।

ii. ब्लूस्कॉप स्टील लिमिटेड द्वारा दिए गए सुझावों को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे उन उत्पाद की विशेषताओं का प्रकटन करने में विफल रहे हैं जिनके लिए छूट की मांग की गई है।

iii. संबद्ध सामान के अलग-अलग ग्रेड बनाने के लिए, सिर्फ़ उन्हीं कोयले की ज़रूरत होती है जिनके मापदंड तय हों। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई विशेषताओं वाले संबद्ध सामान बनाने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है। घरेलू उद्योग के पास उन उत्पाद को बनाने की क्षमता है जिनकी विशेषताएँ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने 12% या उससे कम राख वाले मेट कोक का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसके लिए किसी भी तरह की छूट देना सही नहीं है।

v. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र 18% तक राख वाला मेट कोक है, और ऐसा सभी कोक 'कम राख वाला कोक' की श्रेणी में आता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और चीन से संबंधित पिछले जांच परिणामों में भी देखा गया था। पीसीएन के लिए इस्तेमाल की गई शब्दावली विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करती है।

vi. घरेलू उद्योग ने 13% से कम राख वाले कोक की बिक्री की है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिस एसीपी मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले के फ़ैसले का हवाला दिया गया है, उस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है; इसलिए उस फ़ैसले पर विश्वास करना सही नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग ने 13% से कम राख वाले मेट कोक की बिक्री वाणिज्यिक मात्रा में की है या नहीं, इसकी जांच प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, न कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा।

ix. छोटे लंप कोक, लंप कोक, नट कोक और 30-50 एमएम आकार वाले कोक का वर्गीकरण सिर्फ़ उनके आकार के आधार पर किया जाता है। चूंकि आकार पूरी तरह से स्क्रीनिंग पर निर्भर करता है, इसलिए घरेलू उद्योग सभी आकारों के मेट कोक बनाने में सक्षम है।

x. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक बाज़ार में नट कोक का उत्पादन और बिक्री की है। इसलिए, नट कोक के लिए छूट देना सही नहीं है।

xi. लंप कोक और छोटे लंप कोक जैसी शब्दावलियों का इस्तेमाल भारत में नहीं किया जाता है, और अन्य हितबद्ध पक्षकार ऐसे उत्पाद की विशेषताओं के बारे में सूचना देने में विफल रहे हैं।

xii. चूंकि लंप कोक और छोटे लंप कोक, दोनों का ही इस्तेमाल ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है, और घरेलू उद्योग ने 'ब्लास्ट फर्नेस' में इस्तेमाल होने वाले संबद्ध सामान की ही आपूर्ति की है, इसलिए यह माना जाएगा कि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की ही आपूर्ति की है। अत:, इस संबंध में बाहर रखने का अनुरोध उचित नहीं है।

xiii. भारत में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले मेट कोक की कोई मांग नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग को ऐसे उत्पाद के लिए कोई पूछताछ प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसका उत्पादन नहीं किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग केवल प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल को बदलकर इसका उत्पादन करने में सक्षम है। उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

xiv. आवेदकों में से एक ने हाल ही में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले मेट कोक का उत्पादन किया है। तथापि, ऐसे उत्पाद की बिक्री नहीं हुई है, क्योंकि भारत में उक्त उत्पाद की कोई मांग नहीं है।

xv. घरेलू उद्योग ने पहले ही एक तकनीकी आंकड़ा तालिका प्रदान कर दी है, जो भारत में उच्च सीएसआर वाले उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है। मांग की कमी के कारण इसका उत्पादन वाणिज्यिक मात्रा में नहीं किया गया है,

क्योंकि इस उत्पाद का निर्माण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है और इसे उत्पादित करके स्टॉक में नहीं रखा जाता है।

xvi. जांच की अवधि के दौरान भारत में उच्च सीएसआर वाले उत्पादों का कोई आयात नहीं हुआ है, जो मांग के अभाव को दर्शाता है।

xvii. प्राधिकारी ने लगातार यह माना है कि आयात के अभाव में किसी उत्पाद को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, कोक ब्रीज़ और कोक फ़ाइन्स का उद्देश्य और प्रयोग बड़े आकार के मेट कोक के समान ही है। उक्त उत्पाद का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है। अतः, इसे बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।

xix. घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में कोक ब्रीज़ और कोक फ़ाइन्स का उत्पादन और बिक्री की है, और इसे बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।

xx. मांग-आपूर्ति अंतराल किसी उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी, भारत में मांग-आपूर्ति में कोई अंतराल नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग द्वारा ब्रीज़ और फ़ाइन्स की बिक्री के संबंध में बिना किसी सहायक प्रमाण के केवल अविश्वसनीय सूचना प्रदान की है।

xxi. यद्यपि कोक ब्रीज़ दुनिया भर के सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक उप-उत्पाद है, तथापि भारत में ऐसे उत्पाद की मांग है, जैसा कि घरेलू उद्योग के आयात और बिक्री से साफ है। कोक ब्रीज़ को भारत में पाटित किया गया है, जिससे उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंची है, और इसलिए इसे बाहर नहीं किया जा सकता।

xxii. किसी उत्पाद प्रकार को इस आधार पर बाहर करने की अनुमति देने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि वह एक उप-उत्पाद है।

xxiii. यह अनुरोध कि कोक ब्रीज़ घरेलू उद्योग की लागत पर असर नहीं डालता, गलत है क्योंकि एक ही उत्पादन प्रक्रिया में, कोक ब्रीज़ सहित अलग-अलग

आकार के मेट कोक बनाए जाते हैं। लागत को उत्पाद के सभी आकारों पर बांटा जाता है।

xxiv. इस जांच में किसी ग्रेड को बाहर करने का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि पिछली जांच में इसे बाहर रखा गया था। एक जांच से दूसरी जांच में विचाराधीन उत्पाद को बदलने पर कोई रोक नहीं है। प्राधिकारी ने पहले भी अलग-अलग जांचों में अलग-अलग उत्पाद क्षेत्रों पर विचार किया है।

xxv. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसमें 0.030% तक फॉस्फोरस कंटेंट हो, जिसका आकार 30 एमएम तक हो और जिसका आकार 5% टॉलरेंस हो, सिर्फ़ फेरोएलॉय मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल के लिए हो।

xxvi. घरेलू उद्योग ने सिर्फ़ वाणिज्यिक कारणों से फेरोएलॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएलपी कोक नहीं बनाया है। फेरोएलॉय उद्योग को 30 एमएम या उससे कम यूएलपी कोक की ज़रूरत होती है। फेरोएलॉय अनुप्रयोग के लिए भारत में ऐसे उत्पाद की ज़रूरत भारतीय घरेलू उद्योग के उत्पादन का सिर्फ़ 5% है।

xxvii. यूएलपी कोक को सिर्फ़ फेरोएलॉय उद्योग तक ही सीमित रखना चाहिए क्योंकि किसी दूसरे क्षेत्र को ऐसे उत्पाद की ज़रूरत नहीं है। अगर, आखिरी इस्तेमाल के आधार पर इसे सीमित नहीं किया जाता है, तो इस्पात निर्माता और दूसरे क्षेत्र यूएलपी कोक के आयात पर जा सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत सामान्य कोक की शुल्क वाली कीमत से कम हो जाएगी।

xxviii. घरेलू उद्योग ने फेरोएलॉय निर्माण को छोड़कर ब्लास्ट फर्नेश और अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए संबद्ध सामानों की आपूर्ति की है। तरह, घरेलू उद्योग ने फेरोएलॉय निर्माण को छोड़कर दूसरे अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद की आपूर्ति की है।

xxix. यूएलपी कोक को 0.01% तक फॉस्फोरस कंटेंट वाला माना जाना चाहिए, जैसा कि नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड की वेबसाइट से साफ है।

xxx. इस्पात निर्माण या ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर यूएलपी कोक का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे उत्पाद की कीमत ज़्यादा होती है और सामान्य कोक के

मुकाबले इसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर अंतिम प्रयोग या आकार के आधार पर उसे बाहर रखना प्रतिबंधित नहीं है, तो एलएएम कोक अधिक खर्चीला हो सकता है और इस्पात निर्माता और अन्य क्षेत्र यूएलपी कोक के आयातों में जा सकते हैं।

xxxi. जबकि फेरो एलॉय उद्योग को बाहर रखने की अनुमति दी गई है, एएमएनएस ने आपत्ति जताई है, जो अपने संयंत्र में यूएलपी कोक का इस्तेमाल नहीं करता है और हाई फॉस्फोरस कोक आयात करता है।

xxxii. चूंकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला एलएएम कोक वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यूएलपी कोक के साथ परस्पर परिवर्तनीय है, इसलिए यह आयात यूएलपी कोक जैसा ही है।

xxxiii. भारतीय उत्पादकों द्वारा बनाए गए उत्पाद में गुणवत्ता की कोई दिक्कत नहीं है, और भारतीय उत्पादक संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद के बराबर, या उससे बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद दे रहे हैं।

xxxiv. घरेलू उद्योग भारत में कई प्रयोक्ताओं को सप्लाई कर रहे है, जिन्होंने गुणवत्ता को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाया है, और घरेलू घरेलू उद्योग से लगातार खरीद रहे हैं।

xxxv. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में टाटा स्टील द्वारा उठाए गए तर्क बेबुनियाद हैं। एक आवेदक घरेलू उत्पादकों में से संबद्ध सामान खुद टाटा स्टील को सप्लाई कर रहा है।

xxxvi. चूंकि मेट कोक की गुणवत्ता कोकिंग कोल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और घरेलू उद्योग आयातित कोयले पर निर्भर करती है, इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर कोई चिंता नहीं हो सकती है।

xxxvii. गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के मामले में, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री को नहीं बढ़ा पाता, खासकर ऐसे मामले में जहाँ इस्पात उद्योग सभी कच्चे माल की गुणवत्ता पर काफी ध्यान देता है।

xxxviii. प्रत्येक उत्पादक ऑर्डर देने के स्तर पर प्रयोक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उत्पाद बनाता है। भले ही सामान अलग-अलग स्रोत से खरीदा जाए, यह प्रयोक्ता द्वारा ज़रूरी स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगा।

xxxix. अभी भी, एएमएनएस, इंडिया कोक एंड पावर और उड़ीसा मेटालिक्स जैसे आयातक कई स्रोतों से यह उत्पाद खरीद रहे हैं। शुल्क लगने के बाद भी, वे कई स्रोतों से खरीदना जारी रख सकते हैं।

xl. यद्यपि, संबद्ध सामान के घरेलू उत्पादक और विदेशी उत्पादक, दोनों ही उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से मेट कोक का उत्पादन करते हैं, लेकिन आयातित कोक को कई चरणों में बार-बार और बड़े पैमाने पर हैंडलिंग से गुज़रना पड़ता है। इससे उसकी बनावट में काफी यांत्रिक गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप फाइन्स और नट कोक ज़्यादा बनते हैं, और जब तक यह सामग्री अंतिम प्रयोक्ता तक पहुँचती है, तब तक इसके कणों का औसत आकार काफी कम हो जाता है। इसके विपरीत, घरेलू स्तर पर उत्पादित कोक को उत्पादन और उपभोग के बीच बहुत कम हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी सीधी और कम संभारिकी शृंखला होती है। इस सीमित सार-संभाल से टूटने-फूटने और नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है, जिससे ग्राहक और भट्टी की ज़रूरतों के अनुसार कोक के कणों का निर्धारित आकार और औसत आकार बना रहता है। अत:, आयातित कोक की तुलना में घरेलू कोक, भट्टी में सामग्री के प्रवाह, गैस के बहाव और भट्टी की स्थिरता के मामले में कहीं ज़्यादा एकरूपता प्रदान करता है। साथ ही, यह ब्लास्ट फर्नेस के लगातार संचालन के लिए - यहाँ तक कि ज़्यादा सहायक ईंधन के इस्तेमाल वाली स्थितियों में भी बेहतर रूप से उपयुक्त होता है।

xli. यदि जापानी उत्पाद बेहतर गुणवत्ता का होता, तो वह ज़्यादा महंगा होता, लेकिन असल में, उसकी कीमत घरेलू उद्योग के उत्पाद से कम है।

xlii. एनआईएल द्वारा दायर अभ्यावेदन देर से आया है और उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये बातें तय समय सीमा के 122 दिन बाद कही गई हैं। इसके अतरिक्त, एनआईएल ने प्रयोक्ताओं या आयातकों के प्रश्नों के उत्तर में

कोई उत्तर नहीं दिया है और बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाए हैं। इससे साफ पता चलता है कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं।

xliii. प्रक्रिया से जुड़ी ज़रूरतों में कमी के कारण एनआईएल के अनुरोधों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस बात पर कोई असर डाले बिना, उसे प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रश्नों के उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

xliv. एनआईएल ने रक्षोपाय जांच में डीजीटीआर की सिफ़ारिशें जारी होने के बाद डीजीएफटी के सामने भी यही चिंताएं उठाई थीं। तथापि, उस समय वाणिज्य मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था।

xlv. भारतीय उद्योग ने 2एमएम से लेकर 200+ एमएम आकार तक के उत्पाद बनाए और आपूर्ति किए हैं। मेट कोक को मनचाहे आकार में बनाना, असल में बने हुए मेट कोक की साइज़िंग करने की एक सामान्य ज़रूरत है। उत्पाद की साइज़िंग करना, बनाने की प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा नहीं है।

xlvi. जिंदल कोक लिमिटेड ने एनआईएल को उसकी ज़रूरत के हिसाब से तय आकार में उत्पाद देने की पेशकश की थी। तथापि, एनआईएल ने भेजे गए पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय उत्पाद आयात करना चुना।

xlvii. एनआईएल ने तथ्यों को छिपाया है और यह दर्शाया है कि वह हमेशा से ही विचाराधीन उत्पाद को आयात करता रहा है। तथापि, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने पहले भी एनआईएल को बड़ी मात्रा में उत्पाद की आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, एनआईएल ने बंगाल एनर्जी लिमिटेड से 80 एमएम तक के अलग-अलग आकार के उत्पाद खरीदे हैं। चूंकि कंपनी अभी भी उसी भट्टी का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए यह दावा कि वह सिर्फ़ 20-40 एमएम साइज़ का ही इस्तेमाल कर सकती है, गलत है।

xlviii. एनआईएल ने विचाराधीन उत्पाद का आयात करना सिर्फ़ इसलिए शुरू किया क्योंकि वह उसे पाटित कीमतों पर मिल रहा था। एनआईएल ने खुद माना है कि उसे यह उत्पाद घरेलू उद्योग की कीमत से 10,000 रु. प्रति एमटी कम कीमत पर मिल रहा है। एनआईएल के लिए ऐसे उत्पाद को छूट देने से उसे बेवजह फ़ायदा मिलेगा और वह दूसरे प्रयोक्ताओं के मुकाबले ज़्यादा प्रतिस्पर्धी

बन जाएगा, क्योंकि इससे उसे 5 सालों में 1,250 करोड़ रु. की बेवजह बचत होगी।

xlix. चूँकि घरेलू उद्योग उक्त उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम है, इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि, एक अलग भट्टी के कारण, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद उपयुक्त नहीं है।

l. भारत में कम से कम 10 उत्पादकों ने एनआईएल को उक्त उत्पाद की आपूर्ति करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते उक्त प्रयोक्ताओं द्वारा उचित कीमतें दी जाएँ। तथापि, एनआईएल ने इनमें से कई उत्पादकों से संपर्क नहीं किया है, भले ही ऐसे उत्पादकों के पत्र परिचालित किए गए थे और एनआईएल के साथ साझा किए गए थे।

li. एनआईएल ने नीलांचल से उत्पाद की 500-1000 एमटी की नमूना मात्रा का उत्पादन करने का अनुरोध किया, बिना उसे खरीदने के लिए आशय पत्र दिए। यह उद्योग मानकों के अनुसार नहीं है, और ऐसा अनुरोध केवल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की गैर-आपूर्ति का मामला बनाने के लिए किया गया है।

lii. एनआईएल ने अब इस बात पर ज़ोर दिया है कि वह नीलाचल को ऑर्डर देने से पहले संयंत्र का दौरा करना चाहता है। तथापि, यह भी उद्योग मानकों के अनुसार नहीं है। यह इस बात से स्पष्ट है कि एनआईएल द्वारा किए गए आयात का नमूना परीक्षण लोडिंग पोर्ट पर होता है, जिससे पता चलता है कि किसी संयंत्र की लेखा-परीक्षा नहीं की जाती है।

liii. घरेलू उद्योग विभिन्न ग्राहकों को आपूर्ति करता है, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस संचालक भी शामिल हैं। इनमें से किसी भी ग्राहक ने घरेलू उद्योग को ऑर्डर देने से पहले संयंत्र लेखा-परीक्षा या संयंत्र दौरे का अनुरोध नहीं किया है।

liv. घरेलू उद्योग से वाणिज्यिक मात्रा में उत्पाद की आपूर्ति करने के लिए तब नहीं कहा जा सकता, जब प्रयोक्ता स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने आयात को प्रारंभिकता दी है। प्रयोक्ताओं ने केवल आयातित सामानों की कम कीमतों के कारण आयात को प्रारंभिकता दी है।

lv. एनआईएल ने घरेलू उत्पादकों द्वारा कथित तौर पर दिए गए प्रस्तावों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, भले ही घरेलू उद्योग ने ऐसे सभी प्रस्तावों को रिकॉर्ड में रखा था। एनआईएल ने उक्त उत्पाद की आपूर्ति के लिए किसी अन्य उत्पादक से संपर्क नहीं किया है।

lvi. एनआईएल द्वारा किए गए अनुरोध स्वयं यह दर्शाते हैं कि उन्होंने 20,000 एमटी की ऑर्डर मात्रा मांगी थी, जो उन्हें वीसा कोक द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसके अलावा, नीलांचल ने एनआईएल को 8,000 एमटी, और जिंदल कोक ने 5,000 एमटी उत्पाद की पेशकश की थी। यदि एनआईएल केवल एक ही आपूर्तिकर्ता रखना चाहता है, तो वीसा कोक ने स्वयं पूरी मात्रा की पेशकश की प्रतीत होती है। केवल यही माना जा सकता है कि एनआईएल पाटन के कारण आयात कीमतों के अत्यधिक सस्ता होने की वजह से ऑर्डर नहीं दे रहा है।

lvii. यद्यपि, नीलाचल, एनआईएल की पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकता, फिर भी एनआईएल ने भारत में अन्य निर्माताओं से इस उत्पाद को खरीदने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। आयात के मामले में भी, एनआईआल केवल एक ही स्रोत से नहीं, बल्कि कई उत्पादकों/व्यापारियों से आयात कर रहा है।

lviii. 20-40 एमएम आकार की कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं है; यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एनआईएल ने 20-50 एमएम और 25-50 एमएम सहित विभिन्न आकारों का आयात किया है।

lix. एनआईएल ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने 20-75 एमएम आकार का उत्पाद खरीदा और इस्तेमाल किया है।

lx. एनआईएल ने अपने कुल आयात का 50% से अधिक हिस्सा पोलैंड से आयात किया है, जो कि संबद्ध देश नहीं है।

lxi. एनआईएल के अनुरोधों के विपरीत, माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस जैसा कोई तकनीकी शब्द नहीं है। मिनी ब्लास्ट फर्नेस शब्द का इस्तेमाल छोटे ब्लास्ट फर्नेस के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग भारत में मिनी ब्लास्ट फर्नेस को नियमित रूप से आपूर्ति करता रहा है।

lxii. घरेलू उद्योग फेरोअलॉय उद्योग को 10-30 एमएम का उत्पाद आपूर्ति करता है। चूंकि 10-30 एमएम का आकार 20-40 एमएम से छोटा होता है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय उद्योग इस तरह का उत्पाद आपूर्ति न कर पाए। भले ही एनआईएल को 28-32 एमएम की ज़रूरत हो, तो भी घरेलू उद्योग इसकी सप्लाई कर सकता है।

lxiii. एनआईएल ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग छोटे आकार के लिए ज़्यादा कीमत वसूलता है, क्योंकि इससे कोक ब्रीज़ और बारीक कण बनते हैं; लेकिन यह बात सही नहीं है। घरेलू उद्योग ब्लास्ट फर्नेस कोक के मुकाबले 10-30 एमएम कोक के लिए ज़्यादा कीमत नहीं वसूलता है।

lxiv. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की सप्लाई ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल के लिए और फेरोअलॉय बनाने के अलावा दूसरे कामों के लिए भी किया है। इस तरह, घरेलू उद्योग ने फेरोअलॉय बनाने के अलावा दूसरे कामों के लिए भी, वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से, एक जैसे ही उत्पाद की आपूर्ति की है।

lxv. यूएलपी कोक उसे माना जाना चाहिए जिसमें फास्फोरस की मात्रा 0.01% तक हो; यह बात नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड की वेबसाइट से सिद्ध है।

lxvi. चूंकि ब्लास्ट फर्नेस और कोरेक्स, दोनों में एक ही तरह का उत्पाद इस्तेमाल होता है, और घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे क्षेत्र से बाहर रखने की मांग सही नहीं है।

lxvii. अन्य हितबद्ध पक्षकार हाई माइकम इंडेक्स के लिए कोई सटीक मापदंड परिभाषित करने में विफल रहे हैं। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद का उत्पादन किया है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

lxviii. किसी उत्पाद को क्षेत्र से बाहर रखने का फैसला सिर्फ़ उसी उत्पाद पर लागू हो सकता है, जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आता हो। आयात किए गए उन आयातों उत्पादों के लिए किसी खास छूट या स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, जो मेट कोक की श्रेणी में नहीं आते। इसके बजाय, अगर पाटनरोधी शुल्क

लागू होने के बाद किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए एडवांस रूलिंग प्राधिकारी से मांग की जा सकती है।

lxix. पीसीएन का आधार कोक में राख की मात्रा और उसके आकार को बनाया जा सकता है।

lxx. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में असफल रहे हैं कि पहचाने गए मापदंड उत्पादन लागत में कोई बड़ा बदलाव लाते हैं, जिसके लिए ऐसे मापदंड के आधार पर पीसीएन बनाने की ज़रूरत हो।

lxxi. पीसीएन तय करने के लिए बिक्री कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मांग-आपूर्ति की स्थिति, प्रयोक्ताओं द्वारा खरीद की मात्रा, खरीद का महीना, भुगतान की शर्तें, डिलीवरी का शेड्यूल, स्पॉट बनाम कॉन्ट्रैक्ट वाली खरीद, उत्पादन लागत आदि जैसे कारकों के आधार पर बदलता रहता है।

lxxii. संबद्ध सामान की उत्पादन लागत का लगभग 90% हिस्सा कच्चे माल, यानी कोकिंग कोल का होता है। कोयले या यूटिलिटीज़ पर होने वाली लागत, नमी की मात्रा, टम्बलर स्ट्रेंथ (एम40), सीएसआर और सीआरआई जैसे मापदंड के कारण नहीं बदलती। अत:, ऐसे मापदंड के आधार पर पीसीएन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।

lxxiii. संबद्ध सामान की उत्पादन लागत, 13% से कम राख की मात्रा होने पर 5% से ज़्यादा नहीं बदलती। 13% और 18% के बीच राख की मात्रा होने पर भी उत्पादन लागत 5% से ज़्यादा नहीं बदलती। 13% से ज़्यादा और 13% से कम राख की मात्रा वाले संबद्ध सामान की उत्पादन लागत में अंतर होता है।

lxxiv. ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल होने वाले ब्रीज़ कोक, नट कोक और मेट कोक की उत्पादन लागत में अंतर होता है।

lxxv. इस्तेमाल के तरीकों को पीसीएन पर विचार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें शामिल उत्पाद एक ही है और ऐसे कोई मापदंड नहीं हैं जिनमें अंतर होने से उत्पादन लागत में कोई बदलाव आए।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 18% से कम राख सामग्री वाला लो एश मेटालर्जिकल कोक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित उत्पादों को बाहर करने का अनुरोध किया है।

   i. 12% या उससे कम राख की मात्रा वाला मेट कोक
   ii. कोक ब्रीज़ और कोक फ़ाइन्स
   iii. नट कोक
   iv. 30-50 एमएम आकार का कोक

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस बात का साक्ष्य दिया है कि उसने व्यापारी बाजार में उपरोक्त समान उत्पादों का उत्पादन और बिक्री की है। चूँकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उपरोक्त उत्पाद को बाहर नहीं रखा जा रहा है।
9. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों में वांछित विशेषताओं, जिनमें अलग-अलग राख की मात्रा, टम्बलर शक्ति या माइकम सामग्री (एम40), कोक प्रतिक्रिया सूचकांक (सीआरआई), रिडक्शन के बाद कोक शक्ति (सीएसआर) और फास्फोरस सामग्री शामिल हैं, को केवल सही गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। संबद्ध सामानों के तकनीकी मापदंडों को बदलने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसके विपरीत कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
10. आकार और अनुप्रयोग के बावजूद अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाहर किए जाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त उत्पाद का प्रयोग केवल फेरोएलोय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि फेरोएलोय निर्माताओं को 30 एमएम तक के आकार के मेट कोक की आवश्यकता होती है। घरेलू उद्योग यह भी अनुरोध किया है कि वाणिज्यिक विचारों के कारण, यह फेरोएलोय अनुप्रयोग के लिए यूएलपी कोक का निर्माण नहीं करता है। यह भी अनुरोध किया गया है कि यूएलपी कोक का उत्पादन करने के लिए केवल सही गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यकता होती है और उत्पादन प्रक्रिया को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के अनुसार,

उक्त उत्पाद का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग 30 एमएम तक के आकार के यूएलपी कोक और फेरोएलोय अनुप्रयोगों को बाहर करने के लिए सहमत हो गया है। यह नोट किया जाता है कि आकार और अनुप्रयोग को ध्यान में न रखते हुए यूएलपी कोक को बाहर करने के मामले में, अन्य प्रयोक्ता यूएलपी कोक के आयात की ओर रुख कर सकते हैं क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद अन्य प्रकार के मेट कोक की तुलना में यह सस्ता होने की संभावना है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने फेरोएलोय अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए आयात किए जाने पर केवल 30 एमएम के आकार तक यूएलपी कोक को बाहर रखना प्रतिबंधित किया है।

11. जहां तक इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग पर्याप्त मात्रा में यूएलपी कोक का उत्पादन नहीं करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 30 एमएम तक के आकार वाले फेरोएलोय उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऐसे उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अन्य अनुप्रयोगों के मामले में, घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों की आपूर्ति की है जिनका प्रयोग प्रयोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर और एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है। इस प्रकार, अन्य उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बड़े आकार के यूएलपी कोक के मामले में, घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ताओं द्वारा आयातित संबद्ध सामानों के लिए समान वस्तु की आपूर्ति की है। ऐसे मामले में, प्राधिकारी का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 30 एमएम से अधिक आकार वाले यूएलपी को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

12. एएमएनएस ने अनुरोध किया है कि उसने 0.025% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले उत्पाद की खरीद के लिए घरेलू उत्पादकों से संपर्क किया है, हालांकि, घरेलू उत्पादकों ने 0.045% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले संबद्ध सामानों की पेशकश की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि 0.045% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले संबद्ध सामान की तुलना 0.025% तक फॉस्फोरस सामग्री वाले संबद्ध सामान से नहीं की जा सकती है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जबकि एएमएनएस ने उक्त उत्पाद के संबंध में पूछताछ के संबंध में पत्र प्रदान किया है, इसने कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि उक्त उत्पाद वास्तव में आयात किया गया है और जांच की अवधि के दौरान एएमएनएस द्वारा प्रयोग किया गया

है। रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एएमएनएस ने क्षति की अवधि के दौरान भारत में उक्त उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एएमएनएस द्वारा अनुरोध की गई विशेषताओं से मिलते-जुलते उत्पाद प्रदान किए हैं और पेशकश किए है और इसलिए, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार समान वस्तु की पेशकश की है। किसी भी मामले में, एएमएनएस ने स्वयं स्वीकार किया है कि नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड के पास उक्त उत्पाद के निर्माण की क्षमता है, तथापि, ऐसी क्षमताएं भारत में मांग से कम हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पाद प्रकार के लिए मांग-आपूर्ति अंतराल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी उत्पाद प्रकार को बाहर करने का औचित्य नहीं है।

13. घरेलू उद्योग द्वारा इस अनुरोध के संबंध में कि 0.01% तक फास्फोरस सामग्री के साथ यूएलपी कोक पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने घरेलू उत्पादकों में से एक के वेबसाइट के अंश प्रदान किए हैं जो दर्शाता है कि यूएलपी कोक को 0.01% तक फास्फोरस सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह नोट किया जाता है जांच की शुरुआत की अधिसूचना में माना गया कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र फेरोएलोय विनिर्माण में प्रयोग के लिए 30 एमएम के आकार वाले 0.03% तक फास्फोरस सामग्री वाले यूएलपी कोक को शामिल नहीं करता है। चूंकि 0.01% तक फॉस्फोरस सामग्री की कमी से उत्पाद के क्षेत्र में वृद्धि होगी, इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य से इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि चूंकि 13% और उससे अधिक की राख सामग्री वाले मेट कोक को पीसीएन पद्धति में मध्यम राख कहा गया है, ऐसे उत्पाद को लो एश मेटालर्जिकल कोक नहीं कहा जाता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन पद्धति में प्रयुक्त नाम विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित नहीं करता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 18% तक राख सामग्री वाला मेटालर्जिकल कोक है। चूंकि 13% राख सामग्री और 13 -18% राख सामग्री से नीचे मेटकोक की लागत और कीमतों में काफी अंतर है, अत: पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए दोनों को अलग-अलग पीसीएन माना गया है। इसके अलावा, 13 -18% राख की मात्रा को केवल 13% से कम कोक के साथ अंतर करने के लिए "मध्यम" नाम दिया गया है और इसका मतलब यह नहीं माना जा सकता है

कि 13 -18% कोक कम राख वाला मेटकोक नहीं है। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र 18% से कम राख सामग्री के साथ लो एश मेटालर्जिकल कोक है।

15. इस अनुरोध के संबंध में कि कोक ब्रीज और कोक फाइन्स को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उक्त उत्पाद उप-उत्पाद हैं और सुरक्षा जांच में बाहर रखे गए थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान कोक ब्रीज और कोक फाइन्स का उत्पादन किया है। एक जांच से दूसरी जांच में विचाराधीन एक अलग उत्पाद पर विचार करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार, वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के लिए एक नई जांच की गई है। चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान कोक ब्रीज और कोक फाइन्स का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में माना गया है।

16. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि यह जांच की जानी चाहिए कि क्या कोक ब्रीज और कोक फाइन्स का उत्पादन और वाणिज्यिक मात्रा में बेचा जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत की है और कोक ब्रीज को एक अलग पीसीएन के रूप में माना गया है। पीसीएन के अनुसार प्रदान किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पाद का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री की है; और इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इसे बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी उत्पाद प्रकार के लिए मांग-आपूर्ति अंतराल विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उक्त उत्पाद प्रकार को बाहर करने का औचित्य नहीं है।

17. कोरैक्स आवेदन-पत्र के लिए संबद्ध सामानों को बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के बीच अंतर दिखाने वाले कोई तकनीकी मापदंड प्रदान नहीं किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद का आकार 10 -50 एमएम है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरक्स अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाले संबद्ध सामानों में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 10 -50 एमएम आकार

के साथ मेट कोक का निर्माण किया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए मेट कोक को बाहर करना उचित नहीं है।

18. लम्प कोक, लघु लम्प कोक और 64 -65 के बराबर सीएसआर वाले लम्प कोक को बाहर करने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उक्त उत्पाद के तकनीकी मापदंडों को गोपनीय होने का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों का उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए बेचा है, घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद का उत्पादन किया है। चूंकि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान वस्तु की पेशकश की है, इसलिए लम्प कोक और छोटे लम्प कोक को बाहर करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

19. उच्च माइकम सूचकांक वाले संबद्ध सामानों को बाहर करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने माइकम सूचकांक को परिभाषित नहीं किया है जिसे उच्च माना जाता है। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने ***% के रूप में उच्च माइकम सूचकांक वाले संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है। अन्य हितबद्ध पक्षाकार यह प्रमाणित करने में विफल रहे हैं कि उच्च माइकम सूचकांक वाले संबद्ध सामानों को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च माइकम सूचकांक वाले विचाराधीन उत्पाद को बाहर करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

20. 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले उत्पाद को बाहर करने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारत में उक्त उत्पाद की कोई मांग नहीं है और कच्चे माल के मिश्रण को बदलकर उक्त उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने भी आवेदकों में से एक की एक परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की है जो दर्शाता है कि उसने 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले संबद्ध सामानों का उत्पादन किया है। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि उक्त उत्पादक मांग की कमी के कारण घरेलू बाजार में ऐसे उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं किया है कि घरेलू उद्योग में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई के साथ मेट कोक का

निर्माण करने की क्षमता है। इस प्रकार, 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई को बाहर करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कोक निम्न गुणवत्ता के है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मेट कोक के आकार से उपकरण को नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध सामानों का औसत कण आकार भी कम है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विदेशी उत्पादक और घरेलू उत्पादक दोनों ही उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के अनुसार संबद्ध सामानों का उत्पादन करते हैं। आयातित उत्पाद के मामले में, यह लोडिंग, मध्यवर्ती भंडारण, बंदरगाह संचालन, ट्रांसशिपमेंट, अनलोडिंग और अंतर्देशीय परिवहन सहित हैंडलिंग के कई चरणों से गुजरता है, जिससे यांत्रिक क्षति और उच्च कोक फाइन का उत्पादन होता है। तथापि, घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों में न्यूनतम हैंडलिंग शामिल होती है जो टूटने और क्षरण को कम करती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता और विदेशी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की गई गुणवत्ता के बीच अंतर के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई गुणवत्ता संबंधी चिंता नहीं है और इस तरह का उत्पाद घरेलू बाजार में उत्पादकों के लिए स्वीकार्य है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में आयात प्रतिबंधित नहीं होगा और उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी उचित कीमतों पर संबद्ध सामानों का आयात जारी रख सकते हैं।

22. बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किए गए आयात से पता चलता है कि भारत में उपलब्ध उत्पाद की गुणवत्ता उपयुक्त नहीं है, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने आयात के संबंध में सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाता है कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद की मुख्य रूप से खपत की है और क्षति की अवधि के दौरान केवल एक शिपमेंट का आयात किया है। उत्पादक ने अनुरोध किया है कि आयात इसलिए किया गया क्योंकि भारत में प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण कंपनी की कोक ओवन बैटरियों में से एक बंद हो गई थी। चूंकि केवल एक ही खेप का आयात किया गया है और उत्पादक ने मुख्य

रूप से कैप्टिव रूप से उत्पादित उत्पाद का प्रयोग किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्पाद की गुणवत्ता भारत में उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता की तुलना में अलग थी।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नरसिंह इस्पात लिमिटेड, बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड और पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अभ्यावेदन किया है कि (क) जांच शुरू होने के बाद, पिग आयरन विनिर्माण में छोटी क्षमता (130 एम3 तक) की ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए 20-40 एमएम आकार (लगभग 30 एमएम ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) के घरेलू स्तर पर उत्पादित एलएएम कोक की खरीद के लिए बार-बार और वास्तविक प्रयास किए गए थे, (ख) यह अनुरोध किया गया है कि 130 एम3 से नीचे के ब्लास्ट भट्ठी संचालन की तकनीकी संवेदनशीलता को देखते हुए, घरेलू उत्पादकों ने एलएएम कोक की आपूर्ति करने की क्षमता और इच्छा व्यक्त करते हुए घोषणाएं प्रदान कीं। हालांकि, इस तरह की घोषणाएं, अपने आप में, माइक्रो ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए 20-40 एमएम के आकार वाले विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रयोक्ताओं की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वास्तविक और निरंतर आपूर्ति का प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकती हैं, (ग) घरेलू उत्पादकों ने या तो अलग-अलग आकार की रेंज की पेशकश की, या मात्राएं जो, प्रयोक्ताओं के अनुसार, उनकी मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थीं, (घ) एनआईएल ने लगातार 22 नवंबर 2025, 30 नवंबर 2025, 19 दिसंबर 2025, 22 दिसंबर 2025, 24 दिसंबर 2025 की तारीख के बार-बार पत्रों के माध्यम से नीलांचल नामक घरेलू उत्पादकों में से एक से संपर्क किया, जिस पर घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित करने के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए भरोसा किया गया है, (ड.) अक्टूबर 2025 में, नीलांचल ने शुरू में 20-60 एमएम की आकार सीमा में एलएएम कोक की पेशकश की और बाद में 20-40 एमएम की पेशकश की संभावना का संकेत दिया; हालांकि, नवंबर 2025 में, नीलांचल ने दर्शाया कि उसकी मौजूदा क्षमता लगभग 8,000 एमटी प्रति माह के उत्पादन की अनुमति देती है और अप्रैल 2026 से विस्तार के बाद भी, यह लगभग 11,000 एमटी प्रति माह की आपूर्ति करने में सक्षम होगा, (च) यह तर्क दिया गया है कि छोटे ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए एलएएम कोक 20-40 एमएम की वाणिज्यिक मात्रा घरेलू स्तर पर आसानी से उपलब्ध नहीं है, (छ) इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि उत्पादन क्षमता के सत्यापन के लिए संयंत्र का दौरा करने की अनुमति देने के लिए नीलांचल से अनुरोध

किए गए थे, जो प्रयोक्ताओं के अनुसार, साकार नहीं हुआ, (ज) किसी भी नए आपूर्तिकर्ता के लिए, प्रयोक्ता परीक्षण और सत्यापन के लिए परीक्षण मात्रा का अनुरोध करने की एक मानक औद्योगिक परिपाटी का पालन करता है, जिसे कच्चे माल के विनिर्देशों के साथ सीधे भट्टी डिजाइन और परिचालन स्थिरता से जुड़े होने के लिए आवश्यक बताया गया है, (झ) एनआईएल ने अनुरोध किया है कि इसी तरह की परीक्षण मात्रा का अनुरोध किया गया था और आयातित उत्पाद के लिए भी परीक्षण किया गया था और जहां ऐसी सामग्री आवश्यक विनिर्देशों को पूरा नहीं करती है, इसे आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया गया था, (ञ) पिग आयरन निर्माण के लिए 130 एम3 तक ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए एलएएम कोक 20 -40 एमएम (30 ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) को वास्तविक प्रयोगकर्ता की स्थिति के आधार पर विचार किया जा सकता है, (ट) उन्होंने संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्ध देने की इच्छा व्यक्त की है।

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उपरोक्त दावों का विरोध किया है और अनुरोध किया है कि 20-40 एमएम सहित विभिन्न आकारों के मेटालर्जिकल कोक को स्क्रीनिंग के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है और यह समान वस्तु का हिस्सा है। हालाँकि, रिकॉर्ड में सूचना के सत्यापन के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान 20-40 एमएम आकार (लगभग 30 एमएम± 2 के औसत आकार वाले) के मेटालर्जिकल कोक का उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, और उपर्युक्त प्रयोक्ताओं द्वारा उजागर विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, प्राधिकारी वास्तविक प्रयोगकर्ता की स्थितियों के तहत पिग आयरन विनिर्माण के लिए 130 एम3 तक ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए 20-40 एमएम आकार (लगभग 30 एमएम± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) के एलएएम कोक के आयात की अनुमति देना उचित समझते हैं। ऐसे आयात की अनुमति केवल पात्र प्रयोक्ताओं द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए दी जाएगी, और सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष वास्तविक आयात और अंतिम प्रयोग के संबंध में उचित और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्धता प्रस्तुत करना होगी, साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो, प्रयोगकर्ता के ब्लास्ट भट्ठी की क्षमता को प्रमाणित करना होगा। यह

स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट निर्दिष्ट आकार और आवेदन तक सीमित है और किसी अन्य प्रयोग या किसी अन्य भट्ठी के आकार के लिए लागू नहीं होगी।

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से नरम कोक या अर्ध कोक को बाहर रखा गया है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि ऐसे उत्पाद को बाहर रखने से पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होगी। प्राधिकारी नोट करते है कि नरम कोक या अर्ध कोक कम लो एश मेटालर्जिकल कोक से अलग उत्पाद है। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के अनुसार, उक्त उत्पाद का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद अर्ध कोक या नरम कोक के समान वस्तु नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच के उद्देश्य से ऐसे उत्पाद के आयात पर भी विचार नहीं किया गया है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि नरम कोक या अर्ध कोक को वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

26. अत:, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को निम्नानुसार निर्धारित करते है।

"लो एश मेटलर्जिकल कोक, यानी मेटलर्जिकल कोक जिसमें निम्नलिखित को छोड़कर 18% से कम राख की मात्रा होती है

क. फेरोएलॉय विनिर्माण में प्रयोग के लिए 5% आकार सहिष्णुता के साथ 30 एमएम तक के आकार वाले 0.030% तक फास्फोरस सामग्री के साथ अल्ट्रा-लो फास्फोरस मेटलर्जिकल कोक,

ख. सेमी-कोक या सॉफ्ट कोक,

ग. वास्तविक प्रयोगकर्ता की शर्तों के तहत पिग आयरन निर्माण के लिए 130 मी3 तक की ब्लास्ट भट्टियों में प्रयोग के लिए 20-40 एमएम आकार की एलएएम कोक (लगभग 30 एमएम ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ), वास्तविक आयात और अंतिम प्रयोग के संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक उपयुक्त और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन, साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो, प्रयोक्ताओं की ब्लास्ट भट्ठी की क्षमता को प्रमाणित करता है

27. विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 2704 0030 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 अध्याय 27 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य एचएस कोडों के तहत भी आयात किया जा रहा है, जिनमें 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090 शामिल हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुण-धर्मों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत:, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की "समान वस्तुओं" के रूप में माना जा रहा है।

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सीआरआई, सीएसआर, नमी की मात्रा और टम्बलर शक्ति (एम40) सहित मापदंडों को पीसीएन मापदंडों के रूप में माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे मापदंडों से संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत में परिवर्तन होता है। अत:, इन्हें अलग-अलग मापदंडों के रूप में नहीं माना गया है।

30. इस अनुरोध के संबंध में कि पीसीएन को उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन को उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर तैयार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन की लागत उत्पाद के लिए अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न नहीं होती है क्योंकि एक ही उत्पाद का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पीसीएन के लिए ऐसे मापदंडों पर विचार नहीं किया है।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, 13% से ऊपर और 13% से नीचे की राख सामग्री के आधार पर संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत अलग-अलग होती है। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रदान किए हैं कि उत्पादन की लागत 13% से नीचे विभिन्न राख सामग्री के आधार पर पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं होती है

और भिन्नता केवल 13% से ऊपर और नीचे राख सामग्री के बीच मौजूद है। तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए इसे एक पीसीएन मापदंड के रूप में माना गया है।

32. कोक के आकार के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्पादन लागत में अंतर दिखाने वाला कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 10 एमएम से नीचे, 10 -30 एमएम और 30 एमएम से ऊपर के आकार वाले कोक के लिए अलग-अलग पीसीएन बनाए जाने चाहिए, आकार के आधार पर उत्पादन लागत में भिन्नता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य 10 एमएम से नीचे और 10 एमएम से ऊपर के आकार वाले मेट कोक के उत्पादन लागत में पर्याप्त भिन्नता को दर्शाते हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 10 -20 एमएम और 30 एमएम से ऊपर के आकार के बीच लागत का अंतर पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने 10 एमएम तक के आकार और 10 एमएम से ऊपर के आधार पर पीसीएन पर विचार किया है।

33. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के क्षेत्र के संबंध में प्राधिकारी ने 22 मई 2025 को एक बैठक की। सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, और उनकी जांच करने के बाद, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित है और 7 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से एक पीसीएन पद्धति को अपनाया गया। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से पीसीएन पद्धति को निम्नलिखित के रूप में माना है।

पीसीएन मानदंड	विवरण	कोड चिह्न
राख की मात्रा	13% तक	एलए
	13% से अधिक और 18% तक	एमए
आकार	10 एमएम तक का आकार	सीएफ
	आकार 10 एमएम से ऊपर	ओटी

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

34. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. जांच शुरुआत अधिसूचना में यह तय करने के लिए कोई वस्तुपरक विश्लेषण नहीं है कि मौजूदा मामला बिखने हुए उद्योग और बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादकों से जुड़ा है या नहीं। व्यापार सूचना 09/2021 के तहत आवेदन-पत्र दायर करने के लिए ऐसा तय करना ज़रूरी है।

ii. प्राधिकारी ने न तो यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक विश्लेषण के लिए 8 घरेलू उत्पादकों का नमूनीकरण किया गया है और न ही भविष्य में नमूनाकरण करने का आशय स्पष्ट किया गया है।

iii. 8 नमूनाकृत उत्पादकों को प्रपत्र VI-1 से VI-5 देना चाहिए था।

iv. ये 8 उत्पादक व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध । के अनुसार सूचना देने में विफल रहे हैं।

v. प्राधिकारी ने यह प्रकटन नहीं किया है कि किन कंपनियों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग के संघटकों की अंतिम सूची प्रकाशित करें और यह सिद्ध करें कि "कुल पात्र घरेलू उत्पादन" कैसे निर्धारित किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या क्षति विश्लेषण तीन नमूनाकृत कंपनियों से संबंधित है, या सभी आवेदक कंपनियों से।

vi. श्रीजी कोक और मदरसन कंसोलिडेटेड को घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है, लेकिन प्राधिकारी यह निर्धारित नहीं करते हैं कि क्या उन्हें वास्तव में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाता है। प्राधिकारी इन उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल न करने के लिए कोई सही कारण बताने में विफल रहे है।

vii. जबकि आवेदक ने जिंदल कोक लिमिटेड को विचाराधीन उत्पाद के आयातक के तौर पर पहचाना था, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लेख किया कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

viii. प्राधिकारी ने जिंदल कोक के इस दावे को मान लिया है कि उसने आयात नहीं किया है और इसे घरेलू उद्योग और नमूनाकरण का हिस्सा माना है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके द्वारा परिचालित लागत संबंधी आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उसने संबद्ध सामानों का आयात किया है। हितबद्ध पक्षकारों को स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और प्रारंभिक जांच परिणाम स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं करते कि जिंदल ने आयात नहीं किया है।

ix. जिंदल कोक, संबद्ध सामान के एक आयातक, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से संबद्ध हैं। दोनों कंपनियों के दो सामान्य निदेशक हैं श्री रतन जिंदल और सुश्री श्रुति श्रीवास्तव और उनका एक ही पंजीकृत कार्यालय है। तथापि, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि जिंदल कोक किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। प्राधिकारी द्वारा यह जांच करने के लिए कोई जांच नहीं की गई है कि क्या इस संबंध से जिंदल कोक की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता प्रभावित हुई।

x. नियमावली में घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के लिए कोई न्यूनतम छूट निर्धारित नहीं है, जिसके अध्यधीन पात्रता के लिए छूट प्रदान की जा सकती हो। उत्पाद का आयात करने वाले घरेलू उत्पादक को तभी पात्र माना जा सकता है यदि आयात शुल्क मुक्त योजना के तहत हों या आवेदक के नियंत्रण से बाहर विशेष मामले के आयात हों।

xi. जी.एम. एक्सपोर्ट्स में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, नियम 2(ख) के तहत दो या दो से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बाजारों का संदर्भ क्षेत्रीय विभाजन का उल्लेख करने के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 4.1(ii) के तहत परिकल्पित है। देश के "कैप्टिव" और "मर्चेंट" बाजारों में कृत्रिम विभाजन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

xii. प्राधिकारी ने "ऑब्जेक्टिव" क्षति विश्लेषण नहीं किया है क्योंकि उन्होंने मेट कोक के उन उत्पादकों को बाहर रखा है जो घरेलू उद्योग के क्षेत्र से उत्पाद की कैप्टिव रूप से खपत करते हैं। यूएस – हॉट रोल्ड स्टील, मोरक्को - हॉट रोल्ड स्टील और यूएस – कॉटन यार्न में विवाद निपटान निकाय की टिप्पणियों के मद्देनजर इस प्रकार के बाहर रखने की अनुमति नहीं है।

xiii. जैसा कि ईसी – सैल्मन में पैनल ने कहा था, प्राधिकारी को कुल घरेलू उत्पादन तय करने में वैसी ही समान वस्तु के उत्पादन में लगी किसी भी कंपनी पर विचार करना चाहिए था।

xiv. जैसा कि अपीलय निकाय ने माना है, "कैप्टिव" उत्पादकर भी आयातित सामानों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, क्योंकि (क) उत्पादक अवसर लागत पर विचार करने के बाद निर्माण या खरीद का निर्णय लेता है, (ख) क्षैतिज रूप से एकीकृत उत्पादक व्यापारी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं, (ग) कैप्टिव उत्पादकों को बाहर रखने से घरेलू उद्योग के आकार में निरंतर अंतर आएगा, (घ) संयंत्रों की खरीद या बिक्री से घरेलू उद्योग के बनने में परिवर्तन लाएगी, और (ड.) क्षति विश्लेषण में कमी आएगी।

xv. यदि कैप्टिव उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर रखा जाना है, तो प्राधिकारी को बंगाल एनर्जी और जिंदल कोक को भी घरेलू उद्योग के क्षेत्र से बाहर करना चाहिए था। जो उत्पादक कैप्टिव खपत के लिए आंशिक रूप से मेट कोक का प्रयोग करते हैं और जो उत्पादक कैप्टिव खपत के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं, उन उत्पादकों के बीच विभाजन करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

xvi. बंगाल एनर्जी की मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस क्षमता के आधार पर, उसे मेट कोक खरीदना होगा और वह मेट कोक का पूरा इस्तेमाल कैप्टिव रूप से करेगी। पिछले दो सालों में बंगाल एनर्जी की कैप्टिव खपत बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, जिंदल कोक, जो अभी जेएसडब्ल्यू का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है, उसने भी ब्लास्ट फर्नेस लगाया है और मेट कोक को कैप्टिव रूप से इस्तेमाल करेगा। क्षति मार्जिन उन उत्पादकों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, जो अब व्यापारी बाजार की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। यदि ये उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाते हैं तो अन्य कैप्टिव उत्पादकों को बाहर नहीं रखा जा सकता क्योंकि आज एक कैप्टिव उत्पादक कल व्यापारिक बाजार में भाग ले सकता है।

xvii. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामान की कैप्टिव रूप से खपत की है। तथापि, उन्होंने जाँच अवधि के दौरान स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है।

xviii. जिंदल कोक ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से एक कोक ओवन अधिग्रहित किया। बंगाल एनर्जी ने अपने वित्तीय विवरणों में यह स्वीकार किया है कि उसने पिग आयरन के लिए मेट कोक की कैप्टिव खपत पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रकार, अपनाए गए वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ उन्हीं उत्पादकों को एक अवधि में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाएगा, और दूसरी अवधि में नहीं।

xix. जाँच में कई आवेदक और समर्थक या तो पहले से ही ब्लास्ट फर्नेस संचालित कर रहे हैं या उन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, और परिणामस्वरूप वे अपने कोक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैप्टिव रूप से उपभोग करते हैं। ऐसे उत्पादकों को "केवल मर्चेंट कोक" उत्पादक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से उपलब्ध वास्तविक मर्चेंट क्षमता का गलत चित्रण होता है।

xx. वीज़ा कोक और वेदांता को मर्चेंट कोक उत्पादक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी संबद्ध समूह कंपनियाँ ब्लास्ट फर्नेस संचालित करती हैं, और कोक उत्पादन का केवल एक हिस्सा ही मर्चेंट बाज़ार में बेचा जाता है।

xxi. बंगाल एनर्जी द्वारा किया गया 66,000 एमटी का आयात पूर्ण और सापेक्ष दोनों ही दृष्टि से काफी अधिक है (बिक्री का 13-14%) और, इसलिए, इसे नगण्य नहीं माना जा सकता।

xxii. घरेलू उत्पादकों के लिए नमूनाकरण पद्धति त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नमूना चयन की आवश्यकता या नमूनाकरण के चयन के बारे में टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नमूना चयन में शामिल उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन के प्रतिशत के बारे में कोई सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। प्राधिकारी द्वारा नमूना चयन में शामिल उत्पादकों से सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध करने वाला पत्र प्रकाशित नहीं किया गया है।

xxiii. प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों का नमूना चयन करने के अपने इरादे को सार्वजनिक नहीं किया, न ही नमूना चयन पर टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं। यद्यपि प्राधिकारी ने पिछली जाँचों में नमूना चयन पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं, तथापि वर्तमान मामले में लिया गया निर्णय पक्षकारों के सुनवाई के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

xxiv. घरेलू उत्पादकों का नमूना चयन पाटनरोधी करार के अंतर्गत अनुमेय नहीं है, क्योंकि यह करार केवल खंडित उद्योग की स्थिति में समर्थन के स्तर को निर्धारित करने हेतु नमूना चयन की अनुमति देता है।

xxv. यद्यपि नमूना चयन का निर्धारण सर्वाधिक उत्पादन मूल्य के आधार पर किया गया है, तथापि यह एक प्रतिनिधि नमूना होना आवश्यक था, जैसा कि अपीलीय निकाय द्वारा ईसी – सैल्मन (नॉर्वे) मामले में निर्धारित किया गया था। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नमूना लिए गए उत्पादक घरेलू उत्पादन के एक उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हों, ताकि क्षति के विश्लेषण को निष्पक्ष रूप से किया जा सके।

xxvi. पाटन मार्जिन के निर्धारण के विपरीत, घरेलू उद्योग की नमूनाकरण के लिए प्राधिकारी को पूरे उद्योग के बारे में एक तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने की अनुमति देना आवश्यक है। नमूना लिए गए उत्पादकों के आधार पर गणना किया गया कोई भी क्षति मार्जिन पूरे उद्योग का प्रतिनिधि नहीं होता है।

xxvii. किया गया नमूनाकरण प्रतिनिधिकारक नहीं है, क्योंकि बंगाल एनर्जी और जिंदल कोक को आयातक के रूप में पहचाना गया था, और भाटिया कोक दिवालियापन की कार्यवाही में शामिल है।

xxviii. चूंकि जिंदल कोक घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए अपात्र है, इसलिए नमूने में उसकी प्रतिभागिता, व्यापार सूचना 5/2021 के तहत की गई नमूनाकरण प्रक्रिया को कम कर देती है।

xxix. चूंकि जिंदल कोक सैंपल लिए गए केवल तीन घरेलू उत्पादकों में से एक है, इसलिए क्षति के आकलन के लिए जिस आंकड़े पर भरोसा किया गया है,

उसका एक-तिहाई हिस्सा जिंदल कोक की अपात्रता के कारण कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।

xxx. बार-बार व्यापार उपचारात्मक उपाय प्राप्त करने के उद्देश्य से, विभिन्न जांचों के दौरान उद्योग की संरचना को रणनीतिक रूप से बदला गया है। घरेलू उत्पादक वास्तविक बाजार-आधारित दक्षता या प्रतिस्पर्धात्मकता के बजाय, लगातार व्यापार उपचारात्मक सुरक्षा पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह आवेदन-पत्र घरेलू उद्योग की तरफ से इंडियन मेटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने दायर किया है। एसोसिएशन के इन सदस्यों ने इस जांच के लिए आंकड़े दिए हैं।

   क. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
   ख. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
   ग. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड,
   घ. जिंदल कोक लिमिटेड
   ड. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
   च. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड,
   छ. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
   ज. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
   छ. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड

ii. आवेदन-पत्र दायर कर दिया गया है, और व्यापार सूचना 09/2021 के तहत जांच शुरू की गई थी। इससे ही पता चलता है कि प्राधिकारी ने उद्योग को बिखरा हुआ माना।

iii. हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि जांच अधिसूचना में यह साफ तौर पर बताना कानूनी तौर पर ज़रूरी है कि मौजूदा मामला बंटे हुए

उद्योग का है, और ऐसा न होने पर मौजूदा जांच कानून के हिसाब से गलत है।

iv. आवेदन-पत्र को नौ घरेलू उत्पादकों ने समर्थन दिया था।

v. आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में 72% प्रमुख अनुपात है। समर्थकों के साथ उनका कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 85% हिस्सा है।

vi. संबद्ध सामान के कुछ उत्पादक जिन्होंने भारत में संबद्ध सामानों का आयात किया है, उन्हें घरेलू उद्योग होने के अभिप्राय से पात्र माना जाना चाहिए, जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणाम में किया गया है।

vii. श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड और बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने साफ किया है कि उन्होंने जांच के समय के दौरान संब देशों से विचाराधीन उत्पाद आयात किया है।

viii. आयात करने वाले घरेलू उत्पादक के लिए नियम 2(ख) के तहत बाहर करने के लिए प्रदान किए जाने का इरादा स्वत: उस उत्पादक को बाहर करना नहीं है जिसने उत्पाद का आयात किया है, भले ही उसके आयात की प्रकृति या मात्रा कुछ भी हो। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस संबंध में विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जिसे विगत परिपाटी और स्थापित सिद्धांतों और इस संबंध में न्याय प्रक्रिया के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।

ix. स्टेट ऑफ़ गुजरात फर्टिलाइज़र्स एंड केम. लिमिटेड बनाम अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, हाई कोर्ट ने पाया कि अपने उत्पादन का 15% तक आयात करने वाला उत्पादक घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है।

x. प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों से पता चलता है कि प्राधिकारी ने संबद्ध सामान आयात करने वाले घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के अभिप्राय से पात्र माना है, अगर ऐसे उत्पादकों का ध्यान संबद्ध सामानों के आयात में नहीं परिवर्तित हो गया है।

xi. जबकि आवेदक ने याचिका में बंगाल एनर्जी लिमिटेड और मदरसंस लिमिटेड को अपात्र माना, प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच

करने के बाद, उन्हें घरेलू उद्योग के अभिप्राय से पात्र माना क्योंकि इन कंपनियों द्वारा आयात की मात्रा काफी कम थी।

xii. जबकि मदरसंस कंसोलिडेट और श्रीजी कोक एंड एनर्जी के उत्पादन को कुल पात्र भारतीय उत्पादन तय करने के लिए माना गया है, ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना गया है।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्रारंभिक जांच परिणामों में उन कंपनियों की पहचान होती है जिन्हें अपात्र माना गया है। यह स्पष्ट है कि कुल भारतीय उत्पादन में सभी उत्पादकों का उत्पादन शामिल है, सिवाय उन कंपनियों के जिन्हें घरेलू उद्योग बनने से अपात्र माना गया है।

xiv. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रश्न नहीं उठाया है कि आवेदन-पत्र में पहचाने गए घरेलू उत्पाकदों की सूची अपूर्ण थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई घरेलू उत्पादकों की सूची पर सही भरोसा किया है, और उसके बाद, उन घरेलू उत्पादकों को बाहर रखा है जिन्हें उन्होंने घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र पाया।

xv. वर्तमान में पात्र माने गए घरेलू उत्पादक प्रमुख रूप से भारत में संबद्ध सामानों के विनिर्माण में लगे रहे हैं और आयातित सामानों की मात्रा भारत में उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा की तुलना में काफी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों को बाहर रखने से क्षति संबंधी जांच परिणामों यकृति होगी। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाते हुए कोई न्याय प्रक्रिया भी नहीं दर्शाई है कि आयातों की मात्रा पर इस मामले में निर्णय लेते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए।

xvi. जिंदल कोक लिमिटेड संबद्ध सामान का कैप्टिव उपभोक्ता नहीं है। इसने अपने द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान को क्षति की अवधि के दौरान केवल व्यापारिक बाजार में बेचा है।

xvii. जिंदल कोक को अपात्र नहीं माना जा सकता क्योंकि इसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसे डीजी सिस्टम के आंकड़ों से सिद्ध किया जा सकता है।

xviii. प्राधिकारी ने जिंदल कोक लिमिटेड को जांच शुरू होने के समय घरेलू उद्योग का हिस्सा माना था, न कि शुरू होने के बाद।

xix. जिंदल कोक ने मौजूदा जांच में क्षति की अवधि से काफी पहले, 2015 में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से कोक ओवन खरीदा था।

xx. जिंदल कोक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में संबद्ध कंपनियां नहीं हैं। जबकि जिंदल कोक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जिंदल समूह का हिस्सा हैं, वे स्वतंत्र कंपनियां हैं और एक-दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। केवल स्वामित्व या सामान्य निदेशक संगत नहीं है, जैसा कि कॉस्टिक सोडा और सर्कुलर वीविंग मशीन में माना गया है।

xxi. जिंदल कोक और जिंदल स्टेनलेस में केवल एक ही डायरेक्टर हैं, श्री रतन जिंदल। वह जिंदल कोक लिमिटेड में केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं और जिंदल कोक लिमिटेड की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जिंदल कोक लिमिटेड के निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं, जबकि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में 17 निदेशक हैं।

xxii. क्षति की अवधि के दौरान बंगाल एनर्जी लिमिटेड की कैप्टिव खपत उक्त उत्पादक द्वारा संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन के संबंध में काफी सीमित है।

xxiii. आवेदक घरेलू उत्पादकों में से केवल एक, यानी बंगाल एनर्जी लिमिटेड एक ब्लास्ट फर्नेस का संचालन करता है और उत्पाद का प्रयोग करता है। बंगाल एनर्जी लिमिटेड को एक कैप्टिव उत्पादक के रूप में मानने से विश्लेषण विकृत हो जाएगा क्योंकि यह भारत में संबद्ध सामानों के सबसे बड़े व्यापारी उत्पादकों में से एक है। यहां तक कि जब बंगाल एनर्जी की केवल घरेलू व्यापारी बिक्री पर विचार किया जाता है, तो यह घरेलू उत्पादकों और घरेलू उद्योग की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है।

xxiv. बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने पुष्टि की है कि उसने जांच की अवधि के दौरान, कैप्टिव खपत के लिए, संबद्ध देशों से केवल एक ही खेप का आयात किया है।

भारत में कुल आयात, भारत में मांग और भारत में घरेलू उत्पादन की तुलना में ऐसे आयात की मात्रा काफी कम है और उत्पादक का ध्यान विनिर्माण से आयात पर नहीं बदला है। इसे प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है।

xxv. भारत में, मेट कोक या तो इस्पात के निर्माण में एक मध्यवर्ती के रूप में उत्पादित किया जाता है या उत्पादन और बिक्री के लिए बाजार में उत्पाद के रूप में उत्पादित किया जाता है या आंशिक रूप से बिक्री के लिए उत्पादित किया जाता है और आंशिक रूप से देश में ही खपत किया जाता है।

xxvi. उत्पाद के कम से कम 17 उत्पादक हैं जो कैप्टिव रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं। कैप्टिव प्रयोग के लिए मेट कोक का उत्पादन करने वाले इस्पात निर्माताओं को वर्तमान जांच के उद्देश्य से नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उत्पाद के उपभोक्ता हैं, वे मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में नहीं पहचानते हैं, वे व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, मेट कोक उनके लिए कच्चा माल है और बिक्री के लिए कोई उत्पाद नहीं है और व्यापारी बाजार की स्थिति से सुरक्षित हैं।

xxvii. इस्पात निर्माता अपनी वेबसाइट पर मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

xxviii. कैप्टिव उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि भारत में संबद्ध सामानों के आयात पर पिछली जांच में किया गया था। पिग आयरन एमआरएस एसोसिएशन में न्यायाधिकरण बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा जारी जांच परिणामों को बरकरार रखा और माना कि कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन करने वाले इस्पात उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

xxix इसके अतिरिक्त, उत्पाद की अपनी खपत के लिए उत्पादन करने वाले उत्पादकों और व्यापारी बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन करने वालों का अर्थशास्त्र काफी अलग है क्योंकि व्यापारी बाजार में उत्पादकों को आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, ऐसी

प्रतिस्पर्धा उन उत्पादकों के मामले में पूरी तरह नदारद है जो कैप्टिव रूप से इस उत्पाद की खपत करते हैं।

xxx. प्राधिकारी ने पिछले पाटनरोधी जांच में और अधिकरण ने माना है कि व्यापारी बाजार और कैप्टिव बाजार पर नियम 2(ख) के तहत विभिन्न बाजारों के रूप में विचार करना पाटनरोधी नियमावली के अनुरूप है। ऐसे नियम पाटनरोधी करार के अनुरूप बनाए गए हैं। चूंकि प्राधिकारी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, इसलिए वे इस संबंध में अपने पिछले निर्णयों का पालन करेंगे। इस मामले में किसी भिन्न दृष्टिकोण का कोई कारण नहीं दिखाया गया है।

xxxi. यूएस-हॉट रोल्ड स्टील में अपीलीय निकाय के निर्णय पर रखा गया भरोसा उचित नहीं है क्योंकि उस मामले में विवाद घरेलू उद्योग के एक हिस्से को क्षति के निर्धारण के संबंध में था, न कि घरेलू उद्योग की परिभाषा के संबंध में। उक्त विवाद में अपीलीय निकाय ने कहा कि घरेलू उद्योग के एक खंड के लिए नहीं बल्कि पूरे घरेलू उद्योग के लिए क्षति विश्लेषण किया जाना है। तथापि, इस तरह के तथ्य वर्तमान जांच में लागू नहीं हैं क्योंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के कुछ हिस्सों को क्षति विश्लेषण से बाहर नहीं रखा है, लेकिन घरेलू उद्योग की परिभाषा में परंतुक के आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित किया है।

xxxii. यूएस-कॉटन यार्न के मामले पर भरोसा गलत है क्योंकि उस मामले में पैनल ने माना कि यह जांच परिणाम लंबवत एकीकृत वस्त्र उत्पादक पाकिस्तान से आयातित यार्न के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं थे, गलत था। तथापि, वर्तमान मामले में, इस्पात उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे उत्पाद के उपभोक्ता हैं। ऐसे विनिर्माता व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बल्कि व्यापारी बाजार से संबद्ध सामान की खरीद कर रहे हैं, और घरेलू उद्योग के निर्धारण के लिए व्यापारी निर्माताओं पर विचार करना घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में उपभोक्ताओं पर विचार करने के समान होगा।

xxxiii. ईसी-सैल्मन मामले में तथ्य वर्तमान जांच पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उस मामले में, सैल्मन खरीदने वाले उत्पाद के उत्पादकों को घरेलू उद्योग का

हिस्सा नहीं माना गया था, और केवल सैल्मन फार्म करने वाले उत्पादकों के संबंध में ही विचार किया गया था।

xxxiv. मोरक्को - हॉट रोल्ड स्टील के मामले में, जांच प्राधिकारी ने उत्पाद की बाजार हिस्सेदारी पर विचार नहीं किया, जो कैप्टिव रूप से विचाराधीन उत्पाद की खपत कर रहा था तथा व्यापारिक बाजार में बिक्री कर रहा था, इस तथ्य के निर्धारण के लिए कि क्या घरेलू उद्योग उक्त जांच में स्थापित किया गया था। ऐसे विवाद के तथ्य वर्तमान जांच पर लागू नहीं होते हैं।

xxxv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत निर्णय हाल के निर्णय नहीं हैं, जिन पर पहले विचार नहीं किया गया है। प्राधिकारी की विगत परिपाटियों से विचलित होने का कोई कारण नहीं दिखाया गया है, खासकर जब इस परिपाटी को न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया है।

xxxvi. यह अनुरोध कि संयंत्रों की खरीद या बिक्री या व्यापारी बाजार में ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत उत्पादकों के प्रवेश से घरेलू उद्योग के संविधान में परिवर्तन होगा, निराधार है क्योंकि घरेलू उद्योग के निर्धारण के लिए विश्लेषण, साथ ही घरेलू उद्योग को क्षति, जांच की अवधि के लिए आयोजित किया जाना है और भविष्य के परिदृश्य पर आधारित नहीं है।

xxxvii. जांच की अवधि के लिए क्षति का मार्जिन निर्धारित किया जाता है। कैप्टिव उत्पादकों को क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वे व्यापारी बाजार में संबद्ध सामानों को बेचते हैं।

xxxviii. घरेलू उद्योग के गठन के लिए किसी भी स्थिति में समय-समय पर परिवर्तन होना संभव है। चीन जन.गण. के लिए इस्पात, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के निर्बाध ट्यूब, पाइप और खोखले प्रोफाइल के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है।

xxxix. चूंकि वीजा कोक को अपात्र माना गया है, इसलिए एक व्यापारी या एक कैप्टिव निर्माता के रूप में ऐसी इकाई पर विचार करना वर्तमान जांच के लिए पूरी तरह असंगत होगा। वेदांता और वीज़ा कोक दोनों ही अपने संबद्ध

पक्षकारों को, जो स्वतंत्र कंपनियां हैं, उचित कीमत पर बेचते हैं। ऐसी बिक्री को कैप्टिव खपत नहीं कहा जा सकता है। विनाइल टाइल्स के आयात की पाटनरोधी जांच पर भरोसा किया गया है।

xl. भले ही संबद्ध पक्षकारों को बिक्री की गई हो, लेकिन यह बिक्री भारत में खपत की ज़रूरतें पूरी करती है। अगर वीजा कोक आपूर्ति नहीं करता, तो प्रयोगकर्ता घरेलू बाज़ार से या आयात के ज़रिए सामान खरीदते।

xli. घरेलू उद्योग ने सभी घरेलू उत्पादकों को उनकी क्षमता, उत्पादन और बिक्री की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजा है। चूंकि विचाराधीन उत्पादों के भारतीय उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए अनुमानों की पुष्टि करने के लिए घरेलू उत्पादकों से संपर्क कर सकते हैं।

xlii. पाटनरोधी करार में घरेलू उत्पादकों को नमूनाकरण करने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें क्षति मार्जिन की गणना के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने की परिकल्पना नहीं की गई है। यदि पाटनरोधी करार को लागू किया जाना है, तो शुल्क पूरी तरह से पाटन की सीमा तक लगाया जाना चाहिए।

xliii. वर्तमान जांच में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने या नमूनाकरण के लिए टिप्पणियां मांगने की प्राधिकारी के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

xliv. पिछली सभी जांचों में, प्राधिकारी विदेशी उत्पादकों के नमूनाकरण के लिए हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मांगते रहे हैं। तथापि, घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण के मामले में, प्राधिकारी ने पिछले मामलों में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां नहीं मांगी हैं, जैसे कि विट्रिफाइड टाइल्स या वेल्डेड ट्यूब और पाइप का मामला।

xlv. चूंकि वर्तमान आवेदन-पत्र व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया था, इसलिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अच्छी तरह पता था कि प्राधिकारी घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण करेंगे।

xlvi. नमूनाकृत उत्पादक जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का 53% हिस्सा हैं, और इस प्रकार, एक उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं।

xlvii. नमूनाकृत उत्पादकों में बंगाल एनर्जी लिमिटेड का चयन उचित है, क्योंकि यह एक व्यापारी उत्पादक है (भले ही इसकी अपनी खपत भी हो), और यह भारत में विचाराधीन उत्पादों के सबसे बड़े व्यापारी उत्पादकों में से एक है।

xlviii. नमूनाकरण से संबंधित तर्क मान्य नहीं हैं, क्योंकि क्षति विश्लेषण पूरे घरेलू उद्योग से संबंधित है, न कि केवल नमूनाकृत उत्पादकों के लिए; ऐसा इसलिए

है क्योंकि नमूनाकरण केवल क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

xlix. चूंकि क्षति विश्लेषण पूरे घरेलू उद्योग के लिए किया जाता है, न कि केवल नमूनाकृत उत्पादकों के लिए, इसलिए नमूनाकृत उत्पादकों के आंकड़े को समेकित करने के लिए किसी अलग प्रपत्र IV-क की आवश्यकता नहीं थी।

l. श्रीजी कोक और मदरसन कंसोलिडेटेड ने इस मौजूदा जांच के लिए अपने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, और इसलिए, ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

li. हर जांच में घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करना ज़रूरी होता है, और यह एक जांच से दूसरी जांच में बदल सकता है। अतीत में इन्हीं उत्पादों के लिए कई जांचें हुई हैं, जिनमें घरेलू उद्योग का क्षेत्र बदला गया था। रक्षोपाय जांच की तुलना में घरेलू उद्योग का क्षेत्र इसलिए बदला है, क्योंकि इस मौजूदा जांच में वीज़ा कोक को अपात्र माना गया है।

lii. आवेदक घरेलू उत्पादकों में से कोई भी, संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के निर्यातकों या भारत में संबद्ध सामानों के आयातकों से संबद्ध नहीं हैं।

liii. आवेदक घरेलू उत्पादकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, और इसीलिए, नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

" (ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

बशर्ते कि नियम 11 के उप-नियम (3) में उल्लिखित अपवादात्मक परिस्थितियों में, प्रश्नगत अनुच्छेद के संबंध में घरेलू उद्योग में दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार शामिल माने जाएंगे और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादक एक अलग उद्योग होंगे, यदि-

(i) ऐसे बाजार के भीतर के उत्पादक उस बाजार में प्रश्नगत वस्तु के अपने उत्पादन का सारा या लगभग सारा उत्पादन बेचते हैं: और

(ii) बाजार में मांग किसी भी पर्याप्त हद तक उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती है जो क्षेत्र में कहीं और स्थित हैं"

37. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र इंडियन मेटालर्जिकल मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन("आईएमसीओएम") द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया है। आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-I के अनुसार क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं।

i. भाटिया कोक एंड एनर्जी (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
ii. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
iii. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड
iv. जिंदल कोक लिमिटेड
v. पवनपुत्र ई-कोक प्राइवेट लिमिटेड
vi. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
vii. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
viii. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
ix. वेदांता मालको एनर्जी लिमिटेड

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने यह जांच नहीं की है कि वर्तमान मामला खंडित उद्योग और अत्यधिक बड़ी संख्या में उत्पादकों के रूप में पात्र है या नहीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र आवेदक द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया था। उद्योग की प्रकृति की जांच करने के बाद ही प्राधिकारी ने उद्योग की ओर से एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन-पत्र के आधार पर वर्तमान जांच शुरू की। कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उद्योग की प्रकृति का उल्लेख किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा दायर याचिका का अगोपनीय रूपांतर प्रदान किया गया था। जांच की शुरुआत को दायर आवेदन-पत्र के साथ पढ़ना होगा। प्राधिकारी का मानना है कि भारत में इस उत्पाद के बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक हैं।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में, विचाराधीन उत्पाद के लिए दो प्रतिस्पर्धी बाजार हैं। बाजार के पहले सेट में संबद्ध सामानों के कैप्टिव उत्पादक शामिल हैं जो इस्पात निर्माण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मेट कोक का उत्पादन करते हैं। यह नोट किया जाता है कि ये निर्माता घरेलू व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि वे आमतौर पर बाजार में मेट कोक नहीं बेचते हैं। ऐसे उत्पादकों के लिए, मेट कोक स्टील के उत्पादन के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद है और ऐसे निर्माता वास्तव में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता हैं। ऐसे कुछ निर्माता व्यापारी बाजार से कोक खरीदते हैं या इसे भारत में आयात करते हैं। दूसरे बाजार में वे निर्माता शामिल हैं जिनका अंतिम उत्पाद मेट कोक है। ये उत्पादक व्यापारी बाजार में बेचने के लिए संबद्ध सामानों का निर्माण करते हैं। ऐसे उत्पादक भारत में किए जा रहे आयात के साथ-साथ आपस में भी व्यापारी बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने इन्हें अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार माना है और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादक एक अलग उद्योग हैं। तदनुसार, वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के उद्देश्य से कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए कैप्टिव उत्पादकों के उत्पादन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

40. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पिछली जांच में, प्राधिकारी ने मर्चेंट मार्केट और कैप्टिव मार्केट को अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में माना है और इनमें से प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों को अलग-अलग उद्योग के रूप में माना गया है। पिग आयरन मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में अधिकरण ने प्राधिकारी द्वारा जारी जांच परिणामों को बरकरार रखा और माना कि इस्पात उत्पादकों में एक अलग बाजार शामिल है।

41. इस अनुरोध संबंध में कि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुसार नियम 2(ख) के तहत दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों के संदर्भ को केवल क्षेत्रीय रूप से माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) केवल भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभाजन को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल "बाजार" को संदर्भित करता है। भारत में न्यायाधिकरण ने घरेलू उद्योग के निर्धारण के उद्देश्य से पहले ही कैप्टिव और मर्चेंट बाजारों के बीच बाजारों के विभाजन को बरकरार रखा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने इस उत्पाद से संबंधित पिछली जांचों में कैप्टिव और व्यापारी उत्पादकों

और बाजार को अलग-अलग माना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने बड़ी संख्या में जांचों में कैप्टिव बाजार को एक अलग बाजार के रूप में माना है।

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कैप्टिव उत्पादक भी आयातित माल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और व्यापारी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और आंशिक रूप से कैप्टिव और पूर्ण रूप से कैप्टिव उत्पादकों के बीच विभाजन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां कुछ उत्पादकों को कुछ अवधियों में घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना जाता है और कुछ अन्य अवधियों में अपात्र माना जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग जांच की अवधि में ही संचालन के लिए निर्धारित किया जाता है। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि क्या उत्पाद को इस अवधि में भारतीय बाजार में पाटित किया गया था और क्या घरेलू उद्योग को इस अवधि में वास्तविक क्षति हुई थी। चूंकि यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि कैप्टिव उत्पादकों ने वास्तव में व्यापारी बाजार में संबद्ध सामानों को बेचा है, ऐसे उत्पादकों को निर्धारण के उद्देश्य से कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए नहीं माना गया है।

43. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि चूंकि कैप्टिव उत्पादकों पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी को बंगाल एनर्जी लिमिटेड और जिंदल कोक लिमिटेड पर भी विचार नहीं करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड ने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान उत्पाद की कैप्टिव रूप से खपत नहीं की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड से भट्टी खरीदी है। तथापि, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, ऐसी भट्टी 2015 में और वर्तमान जांच में क्षति की अवधि से काफी पहले हासिल की गई थी। इस प्रकार, इस तरह के अधिग्रहण से वर्तमान जांच के औचित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

44. बंगाल एनर्जी लिमिटेड के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि उक्त उत्पादक ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का प्रयोग करने के साथ-साथ व्यापारी बाजार में बेचा है। बंगाल एनर्जी ने मुख्य रूप से व्यापारी बाजार में संबद्ध सामानों को बेच दिया है और उक्त कंपनी की कैप्टिव खपत क्षति की अवधि में उसके कुल उत्पादन का 20% से कम है। इसलिए, प्राधिकारी ने बंगाल एनर्जी लिमिटेड को संबद्ध सामानों का व्यापारी उत्पादक माना है। इसके अतिरिक्त, उक्त उत्पादक को बाहर करने से प्राधिकारी के विश्लेषण में वास्तविक रूप से विकृति आएगी क्योंकि

यह देश के सबसे बड़े व्यापारी उत्पादकों में से एक है। यहां तक कि यदि उक्त उत्पादक की केवल व्यापारी बिक्री पर विचार किया जाता है, तो यह अकेले भारत में कुल व्यापारी बिक्री का ***% है। प्राधिकारी का यह भी मानना है कि कैप्टिव खपत और व्यापारी बिक्री वाले घरेलू उत्पादकों को उन घरेलू उत्पादकों से अलग देखा जाना चाहिए जो पूरी तरह से कैप्टिव खपत के लिए और अपने तैयार उत्पाद के उत्पादन के लिए एक मध्यवर्ती या इनपुट के रूप में एक उत्पाद का उत्पादन करते हैं।

विवरण	इकाई	
क्षति की अवधि में बीईएल का उत्पादन	एमटी	***
बीईएल की कैप्टिव खपत	एमटी	***
उत्पादन में कैप्टिव खपत का हिस्सा	%	10-20%

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कुछ उत्पादक ब्लास्ट भट्टियां स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें व्यापारी उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान, केवल बंगाल एनर्जी लिमिटेड एक ब्लास्ट फर्नेस का संचालन कर रहा था और संबद्ध आयात की कुछ मात्रा का कैप्टिव रूप से खपत कर रहा था। अन्य घरेलू उत्पादकों में से कोई भी संबद्ध सामानों का प्रयोग नहीं करता है। विस्फोट भट्टियों की स्थापना और संबद्ध सामानों की कैप्टिव खपत के संबंध में कोई भी भविष्य का विकास वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के निर्धारण के उद्देश्य से संगत नहीं है।

46. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि वीज़ा कोक और वेदांता माल्को एनर्जी को व्यापारिक उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने समूह की कंपनियों को बेचा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वीज़ा कोक लिमिटेड और वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड दोनों ने अपने संबद्ध पक्षकारों सामान बेचा है जो स्वतंत्र कंपनियां हैं। ऐसी बिक्री को कैप्टिव खपत नहीं कहा जा सकता है। किसी भी दशा में, वीजा कोक को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए अपात्र माना गया है क्योंकि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का काफी मात्रा में आयात किया है।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में वर्तमान पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन-पत्र दायर करते समय, आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-I के अनुसार आंकड़े प्रदान किए हैं।

1. भाटिया कोक एंड एनर्जी (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
2. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड
3. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
4. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
6. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
7. वेदांता मालको एनर्जी लिमिटेड

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान, ऊपर बताए गए आवेदक घरेलू उत्पादकों में से किसी ने भी भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, ये उत्पादक, संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

49. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, और इसलिए, उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

1. श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
2. श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3. मदरसन कंसोलिडेट
4. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
5. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
6. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी
7. जिंदल कोक लिमिटेड
8. वीज़ा कोक लिमिटेड

50. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू करने से पहले भारत में सभी घरेलू उत्पादकों को 25 मार्च 2025 को पत्र जारी किए, जिसमें क्षति की अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा की गई उनकी क्षमताओं, उत्पादन, बिक्री, कैप्टिव खपत और आयात के संबंध में सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने यह भी सूचना मांगी कि क्या उत्पादक जांच शुरू करने के लिए दायर आवेदन-पत्र का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं या तटस्थ हैं। निम्नलिखित उत्पादकों ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया और समर्थन पत्र दायर किए।

1. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
2. कार्बन एज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
3. कोरोमंडल मेट कोक इंडस्ट्रीज़
4. हर्ष फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. जिंदल कोक लिमिटेड
6. नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड
7. नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड
8. श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड
9. तिरुपति ट्रेडर्स
10. तमिलनाडु कोक एंड पावर लिमिटेड
11. उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
12. वराह वेंचर्स (पहले गिरधारी कोक के नाम से जाना जाता था)

51. प्राधिकारी नोट करते है कि जांच की शुरुआत से पहले, जिंदल कोक लिमिटेड ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध । के अनुसार आंकड़े दायर किए हैं और प्राधिकारी से इसे घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में मानने का अनुरोध किया है। चूंकि जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के अनुसार पूर्ण आंकड़े प्रदान किए गए हैं, इसलिए प्राधिकारी ने इसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में माना है। जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान इन देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात नहीं किया है और इसका इन देशों के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

52. जांच शुरू होने के बाद, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार आंकड़े दायर किए हैं और अनुरोध किया है कि इसे वर्तमान जांच के

उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। उत्पादक ने अनुरोध किया है कि उसने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से केवल एक ही पोत का आयात किया है और विचाराधीन उत्पाद का नियमित आयातक नहीं है। इसके अलावा, आयातित उत्पाद की घरेलू बाजार में बिक्री नहीं की गई है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आयात, भारत में घरेलू उत्पादन और मांग की तुलना में नगण्य है। बंगाल एनर्जी का संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए बंगाल एनर्जी लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है।

विवरण	इकाई	पीओआई
बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आयात	एमटी	***
संबद्ध आयात	एमटी	34,34,806
घरेलू उत्पादन	एमटी	25,15,366
मांग	एमटी	66,10,837
निम्नलिखित के संबंध में आयात		
संबद्ध आयात	%	<2%
घरेलू उत्पादन	%	<2%
मांग	%	<1%

53. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान निम्नलिखित उत्पादकों ने भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है।

क्र.सं.	विवरण	उत्पादन	आयात	उत्पादन के संबंध में आयात
1.	बंगाल एनर्जी लिमिटेड	***	***	5-15%
2.	महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	***	***	70-80%

3.	महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी	***	***	150-160%
4.	मदरसन कन्सोलिडेट	***	***	5-15%
5.	श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	50-60%
6.	श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड	***	***	15-25%
7.	श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	***	***	0-10%
8.	वीज़ा कोक लिमिटेड	***	***	20-30%

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि बंगाल एनर्जी लिमिटेड, मदरसन कंसोलिडेट और श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आयात उनके उत्पादन, भारत में कुल उत्पादन और मांग के संबंध में काफी नहीं हैं, ऐसे उत्पादकों को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है।

55. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि जबकि मदर्सन्स कंसोलिडेट और श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को पात्र माना गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे घरेलू उद्योग का हिस्सा हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि ऐसे उत्पादकों द्वारा आयात की मात्रा नगण्य है, इसलिए उन्हें घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना गया है। तथापि, ऐसे उत्पादकों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपने आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं, इसलिए, प्राधिकारी ने उन्हें घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं माना है। वर्तमान जांच में आवेदक घरेलू उत्पादकों की स्थिति निर्धारित करने के लिए ऐसे उत्पादकों के उत्पादन पर विचार किया गया है।

56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस अनुरोध के संबंध में कि जिंदल कोक लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसने विचाराधीन उत्पाद को भारत में आयात किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन दायर करने के समय आवेदक ने जिंदल कोक लिमिटेड को संबद्ध सामानों के आयातक के रूप में पहचाना था, जिंदल कोक लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि उसने जांच की अवधि के

दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़े से निर्माता द्वारा किए गए दावों का सत्यापन किया है। केवल यह जांच करने के बाद कि जिंदल कोक लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, प्राधिकारी ने जिंदल कोक लिमिटेड को वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र माना है।

57. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड जिंदल स्टेनलेस स्टील से संबद्ध है क्योंकि उक्त कंपनियों के दो सामान्य निदेशक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में स्पष्टीकरण के अनुसार, एक उत्पादक को आयातक से संबद्ध कहा जा सकता है, केवल तभी जब उनमें से एक दूसरे को नियंत्रित करता है या तीसरे अवधि द्वारा नियंत्रित होता है या एक साथ वे किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं जिसके कारण वे असंबद्ध उत्पादकों से अलग व्यवहार करते हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जिंदल समूह का हिस्सा हैं, लेकिन वे स्वतंत्र इकाइयां हैं और एक-दूसरे या किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों कंपनियों में केवल एक ही सामान्य निदेशक है। इसके अलावा, ऐसा निदेशक जिंदल कोक लिमिटेड में एक गैर-कार्यकारी निदेशक है और इसलिए, कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन पर उसका नियंत्रण नहीं है। जहां जिंदल कोक लिमिटेड में 6 निदेशक हैं, वहीं जिंदल स्टेनलेस स्टील में 17 निदेशक हैं। घरेलू उद्योग अनुरोध किया है कि एकल गैर-कार्यकारी निदेशक दोनों कंपनियों पर प्रभाव या नियंत्रण नहीं कर सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि जिंदल कोक लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार संबद्ध कंपनियां नहीं हैं।

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने वाले घरेलू उत्पादकों का कुल पात्र भारतीय उत्पादन में 71% और समर्थकों के साथ कुल पात्र घरेलू उत्पादन में 84% हिस्सा है। चूंकि घरेलू उत्पादक भारत में कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।

59. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया है। सबसे बड़े उत्पादन मात्रा के आधार पर निम्नलिखित तीन घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया गया है। उक्त उत्पादकों ने वर्तमान जांच के लिए व्यापार सूचना 05/2021 के तहत

निर्दिष्ट सभी संगत सूचना प्रदान की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या क्षति विश्लेषण के लिए नमूनाकरण किया गया है। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि क्षति विश्लेषण पूरे घरेलू उद्योग के लिए किया गया है, जिसमें 9 उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े शामिल हैं। नमूनाकरण केवल वर्तमान जांच में क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से किया गया है, जहां निम्नलिखित तीन कंपनियों के आंकड़ों पर विचार किया गया है।

क. बंगाल एनर्जी लिमिटेड

ख. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड)

ग. जिंदल कोक लिमिटेड

60. इस अनुरोध के संबंध में कि नमूनाकरण पद्धति त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी उद्देश्यों के लिए घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पूर्व सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में आवेदन-पत्र व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया था जो प्राधिकारी को एनआईपी उद्देश्यों के लिए घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण का चयन करने का आदेश देता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को याचिका का अगोपनीय रूपांतर प्रदान किया गया था और वे पूरी तरह से अवगत थे कि इस तरह की जांच की प्रक्रिया में क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण शामिल होगा।

61. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी करार घरेलू उत्पादकों के नमूनाकरण की अनुमति नहीं देता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा इस तथ्य के कारण है कि पाटनरोधी करार पाटन मार्जिन की पूरी सीमा तक पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुमति देता है। तथापि, भारत में, नियमावली पाटनरोधी शुल्क को क्षति मार्जिन या पाटन मार्जिन, जो भी कम हो, की सीमा तक लागू करने का आदेश देती है। क्षति के मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से नमूनाकरण किया गया है। घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से क्षति विश्लेषण किया गया है और इस तरह के विश्लेषण के लिए कोई नमूनाकरण नहीं किया गया है।

62. इस अनुरोध के संबंध में कि नमूनाकृत उत्पादकों को घरेलू उत्पादन के उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नमूनाकृत

उत्पादकों का जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन में 50% से अधिक है। इस प्रकार, नमूनाकृत उत्पादक घरेलू उद्योग के एक उचित अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं।

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड और बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंकड़ों के आधार पर क्षति मार्जिन नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वे भविष्य में मेट कोक का प्रयोग कर सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में कानून के तहत कोई औचित्य नहीं पाया जाता है। जिंदल कोक लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का प्रयोग नहीं किया है और बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने अपने उत्पादन की सीमित मात्रा का प्रयोग किया है। कोई भी भविष्य की घटना जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जांच की अवधि के लिए निर्धारित क्षति के मार्जिन को विकृत नहीं करती है, जिसमें नमूनाकृत कंपनियों की प्रमुख बिक्री व्यापारी बाजार में हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एनआईपी उत्पादन पर आधारित है और इस तरह के उत्पादन के प्रयोग से प्रभावित नहीं है - चाहे वह कैप्टिव खपत के लिए हो या घरेलू या निर्यात बाजार में बिक्री के लिए।

64. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भाटिया कोक को नमूनाकृत कंपनी नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भाटिया कोक 2022 तक कारपोरेट समाधान प्रक्रिया के अधीन था और उसके बाद, एक्वा टेरा द्वारा खरीदा गया था। चूंकि, यह कंपनी नए प्रबंधन के अधीन है और जांच की अवधि में दिवालियापन के अधीन नहीं है, इसलिए एक्वा टेरा पर एक नमूनाकृत कंपनी के रूप में विचार करना अनुचित नहीं है।

65. इस अनुरोध के संबंध में कि जिन कंपनियों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है, उनकी पहचान नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने पहले ही उन उत्पादकों को नोट किया है जिन्होंने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपने आंकड़े प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच परिणामों में अपात्र माने गए उत्पादकों की भी पहचान की गई है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि निम्नलिखित तालिका वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का आधार दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	पीओआई	हिस्सा
क	**घरेलू उद्योग बनने वाले उत्पादकों का उत्पादन**	**एमटी**	**14,42,008**	**71.40%**
1.	एक्वा टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड	एमटी	***	***
2.	बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
3.	जिंदल कोक लिमिटेड	एमटी	***	***
4.	पवनपुत्र इकोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
5.	सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
6.	सु मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
7.	वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड	एमटी	***	***
8.	यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
9.	बंगाल एनर्जी लिमिटेड	एमटी	***	***
ख.	**समर्थकों का उत्पादन**	**एमटी**	**248,213**	**12.29%**
1.	कार्बन एज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	एमटी	***	***
2.	कोरोमंडल मेट कोक इंडस्ट्रीज़	एमटी	***	***
3.	नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
4.	नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड	एमटी	***	***
5.	तिरुपति ट्रेडर्स	एमटी	***	***
6.	वराह वेंचर्स (गिरधारी कोक)	एमटी	***	***
7.	हर्ष फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
8.	तमिलनाडु कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
9.	उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
ग.	**अन्य उत्पादकों का उत्पादन**	**एमटी**	**329,292**	**16.31%**
1.	संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड	एमटी	***	***
2.	विमला फ्यूल्स एंड मेटल लिमिटेड	एमटी	***	***
3.	ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड	एमटी	***	***
4.	कृष्णा कोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
5.	जीनस पेपर एंड कोक लिमिटेड	एमटी	***	***
6.	एमवी इंटरनेशनल	एमटी	***	***
7.	श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***

8.	जगन्नाथ कंबाइन कोक लिमिटेड	एमटी	***	***
9.	माइंडस्पेस कोक प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	***
10.	मदरसन कंसोलिडेट	एमटी	***	***
घ.	**कुल पात्र उत्पादन**	**एमटी**	**2,019,514**	**100.00%**

66. जहां तक इस अनुरोध का संबंध हैं कि घरेलू उद्योग की संरचना को पिछले व्यापार उपचारात्मक जांच से बदल दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते है कि घरेलू उद्योग को प्रत्येक जांच के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत आवश्यकता यह है कि घरेलू उद्योग बनने वाले घरेलू उत्पादकों का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात होना चाहिए। चूंकि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माने जाने वाले घरेलू उत्पादक एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए घरेलू उद्योग को सही ढंग से परिभाषित किया गया है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय जांच की तुलना में वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। जबकि पिछली जांच में केवल 5 उत्पादकों को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना गया था, उपरोक्त तालिका के क्र.सं. "क" में सूचीबद्ध 9 उत्पादक वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग हैं।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

67. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. जबकि आवेदकों ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का आयातक है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यदि आवेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण दायर किया गया था, तो उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया था।

ii. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि पीबीआईटी के वास्तविक आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, क्षतिरहित कीमत की गणना प्रदान नहीं की गई है।

iii. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में +/- 10% की रेंज में क्षतिरहित कीमत का प्रकटन नहीं किया है और यह सूचना प्रारंभिक जांच परिणामों में भी प्रकटन नहीं की गई है।

iv. घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना का अगोपनीय रूपांतर अत्यधिक गोपनीय है और इसमें उचित सारांश का अभाव है।

v. घरेलू उद्योग ने तकनीकी विनिर्देशों, बिक्री, क्षमता और अनुप्रयोग के उत्पादन, भारत में वास्तविक मांग, भारत में बाजार हिस्सेदारी और अनुमानित वृद्धि और वास्तविक मंदी सिद्ध करने वाले साक्ष्य के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

vi. भले ही आवेदक का पूरा अनुरोध वास्तविक मंदी पर आधारित है, लेकिन प्रस्तुत कथित परियोजना रिपोर्टों पर व्यापक गोपनीयता का दावा किया गया है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राधिकारी द्वारा लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्रदान नहीं किए गए थे।

viii. व्यापार सूचना संख्या 09/2021 के अनुबंध II में कुछ आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से एक इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन के सदस्यों की पूरी सूची है। घरेलू उद्योग द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को इस सूची का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ix. हितबद्ध पक्षकारों को नमूनाकृत उत्पादकों की ओर से दायर किए गए प्रोफार्मा-IV-क तक भी पहुंच नहीं है। जिंदल कोक द्वारा प्रदान किए गए क्षति के आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान नहीं किया गया है।

x. आवेदक ने सामान्य मूल्य गणनाओं को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है और इसके बारे में कोई अगोपनीय सारांश प्रदान नहीं किया है। इस प्रकार, अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुत सूचना की परिशुद्धता का सत्यापन करने में असमर्थ रहे हैं।

xi. मूल आंकड़े जिससे प्रारंभिक जांच परिणामों में शुल्क के प्रभाव को परिमाणित किया गया है, सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जाना चाहिए।

xii. कथित न्यूनतम डाउनस्ट्रीम कीमत प्रभाव को अंतर्निहित मान्यताओं और कारकों के साथ अगोपनीय रूप में प्रकट किया जाना चाहिए, जिसमें खपत कारक, कैप्टिव बनाम मर्चेंट शेयर और विशेष ग्रेड के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण शामिल हैं। इसके अलावा, फेरोएलॉय और फाउंड्री के लिए तुलनीय मेट्रिक्स साझा किए जाने चाहिए।

xiii. प्रारंभिक जांच परिणामों में सूचना की अत्यधिक गोपनीयता है क्योंकि प्राधिकारी ने पहुंच कीमत का प्रकटन नहीं किया है। जैसा कि भारत संघ मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, प्राधिकारी सूचना को गोपनीय होने का दावा नहीं कर सकते हैं।

xiv. अन्य क्षति मापदंडों का प्रकटन नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि क्षति मापदंड 9 उत्पादकों से संबंधित हैं, और समग्र आंकड़ों का प्रकटन व्यक्तिगत उत्पादकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

xv. निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्रयोग किए गए तथ्यों को प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रकट नहीं किया गया है।

xvi. अनुबंध 3 के संबंध में दावा की गई पूर्ण गोपनीयता हितबद्ध पक्षकारों के लिए घोर पूर्वाग्रहपूर्ण है, क्योंकि आयात आंकड़ों की शुद्धता का पता लगाना संभव नहीं है।

xvii. बंगाल एनर्जी लिमिटेड के आंकड़े सभी पक्षकारों को परिचालित नहीं किए गए थे। दावा की गई क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी, क्योंकि प्रारूपों के अनुसार समेकित सूचना की आपूर्ति नहीं की गई थी।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

68. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. कई विदेशी उत्पादकों ने व्यापारियों और निर्यातकों के नामों का दावा किया है जिन्होंने भारत को गोपनीय रूप से अपना उत्पाद निर्यात किया है।

ii. कई उत्पादकों/निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने वितरण और विपणन चैनल के साथ-साथ संबंधित कंपनियों के बारे में विवरण, समायोजन के रूप में दावा किए गए खर्चों की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रिया और कच्चे माल के नाम का प्रकटन नहीं किया है।

iii. उत्पाद कैटलॉग और ब्रोशर के साथ-साथ बेचे गए उत्पादों की सूची, जिसे नियमित रूप से ग्राहकों के साथ साझा किया जाता है, गोपनीय होने का दावा किया गया है।

iv. कई पक्षकारों ने व्यापार सूचना 01/2013 के अनुसार गोपनीयता के लिए औचित्य प्रदान नहीं किया है।

v. कई उत्पादकों और निर्यातकों ने कंपनी संबद्धता, शेयरधारिता और उत्पादकों के नामों का दावा किया है जो उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के गोपनीय हैं।

vi. दी गई बीजक के बाद की छूट के ब्यौरे और प्रकृति गोपनीय होने का दावा किया गया है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकता का पालन नहीं किया है।

viii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रहा है।

ix. आवेदक ने पूर्ण गोपनीयता का दावा नहीं किया है और प्रत्येक मापदंड के लिए गोपनीयता का दावा करने के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान किया है।

x. चूंकि प्रभाव विश्लेषण बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत पर आधारित है, इसलिए यह गोपनीय है। ऐसी सूचना का प्रकटन घरेलू उद्योग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एक उपयुक्त अगोपनीय सारांश प्रदान किया गया है।

xi. प्रभाव का एक अगोपनीय रूपांतर पहले ही प्रकट किया जा चुका है, और प्राधिकारी ने इस तरह की गणना के लिए विचार किए गए व्यापारिक उत्पादन के उपभोग कारक और हिस्सेदारी का प्रकटन किया है।

xii. नमूनाकृत घरेलू उत्पादकों की लागत संबंधी सूचना वाणिज्यिक स्वामित्व वाली सूचना है, जिसका प्रकटन घरेलू बाजार में उत्पादकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यहां तक कि निप्पॉन कोक और ब्लूस्कोप सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

xiii. प्राधिकारी ने पहले ही प्रारंभिक जांच परिणामों में मात्रा से संबंधित क्षति के मापदंडों का प्रकटन कर दिया है। लाभप्रदता मापदंडों के संबंध में, वही गोपनीय व्यवसाय संवेदनशील सूचना बनाते हैं, जिसका प्रकटन भारतीय बाजार में घरेलू उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और प्रतिस्पर्धियों को अनुचित लाभ प्रदान करेगा। आवेदक ने इस संबंध में अपने आवेदन-पत्र में ही अपनी गोपनीयता के दावों को उचित रूप से सही ठहराया है।

xiv. वास्तविक बिक्री कीमत और बिक्री लागत की सूचना के प्रकटन से ग्राहकों को बाजार में औसत कीमतों के आधार पर बातचीत करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा, अन्य घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अपनी विपणन और कीमत निर्धारण रणनीतियों को फिर से तैयार कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगी और बिक्री में नुकसान हो सकता है, यदि ऐसी सूचना का प्रकटन किया जाता है।

xv. आवेदक ने तीसरे पक्षकार से आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है, जिसे साझा करने के लिए आवेदक को अधिकृत नहीं किया गया है। आवेदक ने देशवार सूचना के रूप में आयात आंकड़े का सारांश प्रदान किया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह तर्क नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े गलत हैं।

xvi. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े पर भरोसा नहीं किया है, लेकिन डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xvii. घरेलू उद्योग ने तकनीकी विनिर्देश प्रदान नहीं किए हैं और अपने अनुरोधों को उसी पर आधारित नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने जहां भी इस संबंध में प्रस्तुतियां अनुरोध किए हैं, वहा मापदंड प्रदान किए हैं, और गोपनीय होने का दावा नहीं किया है।

xviii. वर्तमान मामला वास्तविक मंदी का नहीं है और अनुरोध असंगत हैं क्योंकि वे परियोजना की वृद्धि और साक्ष्य से संबंधित हैं।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सीधे यह स्पष्ट करना होगा कि वे किस अनुबंध 3 का उल्लेख कर रहे हैं।

ड.3प्राधिकारी द्वारा जांच

69. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"7.गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

70. गोपनीय आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

71. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।

72. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने लेनदेन वार आयात आंकड़े साझा नहीं किए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए बाजार की सूचना पर भरोसा किया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ इसका एक अगोपनीय सारांश साझा किया गया है। किसी भी मामले में, लेनदेन वार सूचना साझा नहीं करने से किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हित को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर नहीं।

73. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एसोसिएशन के सदस्यों की सूची का एक अगोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उचित तुलना के लिए दावा किए गए वितरण चैनल और समायोजन प्रदान नहीं किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 24 अक्टूबर 2025 के ईमेल के माध्यम से उक्त सूचना का प्रकटन करने का निर्देश दिया है।

74. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पीबीआईटी के वास्तविक आंकड़ों और सामान्य मूल्य गणना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। चूंकि उत्पादन की

लागत गोपनीय व्यवसाय स्वामित्व वाली सूचना है, इसलिए इसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है। घरेलू उद्योग ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के संबंध में सूचना गोपनीय व्यापार स्वामित्व वाली सूचना है जिसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और प्रयोक्ताओं को कीमतों पर बातचीत करने के लिए एक बढ़त प्रदान करेगा और इसलिए, गोपनीय होने का दावा किया गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है।

75. जहां तक इस अनुरोध का संबंध हैं कि घरेलू उद्योग ने उस स्पष्टीकरण को साझा नहीं किया है जिसके आधार पर प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने भारत में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड ने याचिका दायर करने के बाद वर्तमान जांच में समर्थन पत्र दायर किया है। इस तरह के पत्र का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया है। जिंदल कोक लिमिटेड ने यह उल्लेख है कि उसने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारत में आयात नहीं किया है।

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि निर्धारित क्षतिरहित कीमत रेंज में साझा नहीं की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच के लिए आवेदन-पत्र व्यापार सूचना 9/2021 के तहत दायर किया गया है। बिखरे हुए उद्योग के लिए एक जांच में क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन नमूनाकृत उत्पादकों के लिए निर्धारित किया जाता है। चूंकि प्राधिकारी ने याचिका दायर करने के समय नमूनाकरण नहीं किया था, इसलिए आवेदक ने क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। प्राधिकारी ने नमूनाकृत उत्पादकों के लागत आंकड़े के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। क्षति मार्जिन को प्रारंभिक जांच परिणामों के साथ-साथ वर्तमान प्रकटन विवरण में भी बताया गया है।

77. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा दायर लागत सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का संबंध है, प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि उक्त सूचना व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों की गोपनीय व्यापार स्वामित्व वाली सूचना है और ऐसी सूचना का प्रकटन घरेलू उत्पादकों के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों

ने भी अपनी लागत की सूचना गोपनीय होने का दावा किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, दोनों के लिए ऐसे दावों को स्वीकार किया है।

78. नियो मेटालिक्स लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने अनुमानित वृद्धि और गोपनीय सामग्री मंदी के साक्ष्य के संबंध में सूचना गोपनीय होने का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में वास्तविक मंदी का दावा नहीं किया है और इस प्रकार, इस तरह के अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

79. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने नमूना उत्पादकों के लिए प्रपत्र ।V -क और जिंदल कोक लिमिटेड तथा बंगाल एनर्जी लिमिटेड के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा दायर किए गए आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से क्षति का निर्धारण किया गया है और घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से प्रोफार्मा ।V -क अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया है।

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रभाव विश्लेषण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत पर आधारित है। इस तरह की सूचना घरेलू उद्योग की गोपनीय व्यापारिक स्वामित्व वाली सूचना है और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं जा सकता है। हालाँकि, प्रभाव का एक अगोपनीय रूपांतर साझा किया गया है।

81. कुल आंकड़ों के प्रकटन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि घरेलू उद्योग के लिए मात्रा की सूचना पहले ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट कर दी गई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वास्तविक बिक्री कीमत और बिक्री लागत की सूचना के प्रकटन से ग्राहकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि घरेलू उद्योग (क) औसत बिक्री कीमत, (ख) प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जा रहे बिक्री कीमत पर कितना लाभ कमा रहा है। इससे ग्राहकों को बातचीत करने की अधिक शक्ति मिलेगी। इस तरह की सूचना के प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को घरेलू बाजार में अपनी कीमतों को समायोजित करने की अनुमति भी मिलेगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार कर लिया है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

82. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. दायर की गई याचिका अपर्याप्त है क्योंकि इसमें क्षतिरहित कीमत, क्षति मार्जिन, प्रारूप VI-1 से VI-5, अनुबंध-I प्रत्येक उत्पादक के लिए और साथ ही पीबीआईटी के लिए वास्तविक आंकड़े शामिल नहीं हैं।

ii. वर्तमान जांच में प्रारंभिक जांच परिणामों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने नकद लाभ अर्जित किया है जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। वर्तमान जांच शुरू होने के बाद तीव्र आयात का कोई सबूत नहीं है।

iii. प्रारंभिक जांच परिणाम यह नहीं बताते कि अनुच्छेद 7.1 (ii) के तहत आवश्यक होने के कारण अनंतिम शुल्क लगाना क्यों आवश्यक था। सिर्फ इसलिए कि एक जांच शुरू की गई है और प्राधिकारी ने प्रारंभिक रूप से एक जांच शुरू की है, अनंतिम शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं है।

iv. प्रचालन प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार, यदि घरेलू उद्योग को तीव्र पाटन किए गए आयात के कारण क्षति से बचाने की 'तत्काल आवश्यकता' उत्पन्न होती है, तो अनंतिम शुल्क पर विचार किया जा सकता है।

v. रक्षोपाय जांच और पाटनरोधी जांच के बीच क्षति की अवधि का अतिव्यापन है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को लागू मात्रात्मक प्रतिबंधों द्वारा हल किया जाएगा।

vi. घरेलू उद्योग ने पहले से ही अतिव्यापन क्षति अवधि के आधार पर एक रक्षोपाय प्राप्त कर लिया है। घरेलू उद्योग केवल 15 महीने की अवधि बढ़ाकर और लगभग समान तथ्य स्थिति प्रस्तुत करके व्यापार उपचार के लिए "खरीदारी" में शामिल नहीं हो सकता है, जब परिस्थितियों में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग को रक्षोपाय की मांग करने से पहले पिछली अवधि में कम कीमत वाले आयात के कारण कीमत न्यूनीकरण और ह्रास पर विचार करना चाहिए था।

vii. याचिका और प्रारंभिक जांच परिणाम इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंध स्थिति को ठीक करने में विफल क्यों रहे,

जिससे उस वर्ष में पाटनरोधी जांच शुरू करने की आवश्यकता हुई, जिसमें प्रतिबंध लागू रहे।

viii. ऑपरेटिंग परिपाटियों के मैनुअल में शुल्क लगाने के लिए गहन पाटन को एक मापदंड की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में नहीं है।

ix. वर्तमान जांच की शुरुआत बिना किसी आधार के है क्योंकि आवेदकों ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत की स्थिति को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए हैं।

x. आवेदक व्यापार उपचारात्मक प्रक्रिया का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद वर्तमान में रक्षोपाय के अध्यधीन है और पहले पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था।

xi. 2019 में शुरू की गई निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं की क्योंकि वे संतुष्ट थे कि उद्योग को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई थी।

xii. इंडोनेशिया में चीनी-पूंजीगत उद्यमों द्वारा क्षमता के अत्यधिक विस्तार के कारण जापान में मेट कोक उद्योग गंभीर परिस्थितियों में काम कर रहा है। इसने वैश्विक स्तर पर जापानी मेट कोक को विस्थापित कर दिया है, जिससे जापानी उत्पादकों को क्षमता कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जापानी उद्योग पाटन में शामिल नहीं है, बल्कि कच्चे माल की लागत के आधार पर स्थिर कीमतों पर बेचे जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले कोक में विशेषज्ञता के साथ एक विभेदन रणनीति अपनाता है। इस प्रकार, जापान से 80% मेट कोक को दो भारतीय कंपनियों द्वारा उनके अत्यधिक विशिष्ट ब्लास्ट फर्नेस संचालन के लिए, दीर्घकालिक आपूर्ति संबंधों के तहत और मांग-आपूर्ति सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होने वाली निश्चित कीमतों पर आयात किया जाता है।

xiii. उत्पादन में कटौती के बाद, जापानी उत्पादकों का प्रारंभिक लक्ष्य अस्तित्व और लाभदायक संचालन बनाए रखना है, और इस प्रकार, वे नुकसान पर बेचकर पाटन में शामिल नहीं होंगे। चूंकि क्षमता जोड़ने का कोई इरादा नहीं है,

इसलिए भारत में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का कोई दीर्घकालिक रणनीतिक तर्क नहीं है।

xiv. जांच की शुरुआत के स्तर पर माने गए समुद्री भाड़ा सहित निर्यात कीमत के लिए साक्ष्य में कमियों के कारण, जांच की शुरुआत कानून में अपने आप में गलत है और जांच रद्द की जानी चाहिए।

xv. चूंकि एएमएनएस केवल अपनी खपत के लिए मेट कोक का आयात करता है और बाजार में पुनर्विक्रय नहीं करता है, इसलिए प्राधिकारी को ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को शुल्क से छूट देनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, एएमएनएस अपनी स्वयं की कोक ओवन बैटरी चालू करने की प्रक्रिया में है।

xvi. चूंकि घरेलू उद्योग ने एक समायोजन योजना प्रस्तुत की है, जिसमें उन मुद्दों और कारकों को स्वीकार किया गया है जिनमें सुधार की आवश्यकता है; प्राधिकारी को ऐसी अक्षमताओं के कारण होने वाले नुकसान की मात्रा और सीमा की जांच करनी चाहिए।

xvii. चूंकि मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपचारात्मक प्रभाव जनवरी से सितंबर 2025 तक दिखाई देंगे, इसलिए ऐसी अवधि के निष्पादन का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

xviii. जिंदल कोक द्वारा आयात के संबंध में जांच की शुरुआत से पहले की तथ्यात्मक असंगति प्रक्रिया को नियम 5 (3) (ख) का उल्लंघन करती है, क्योंकि प्राधिकारी ने सूचना की पर्याप्तता और सटीकता की जांच नहीं की थी।

xix. घरेलू उद्योग ने आयात प्रतिबंधों के लिए डीजीएफटी से भी संपर्क किया, जिसे अनंतिम शुल्क लगाए जाने के बाद वापस ले लिया गया। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के बजाय केवल सरकार की दया पर चल रहा है।

xx. चूंकि आवेदन-पत्र जांच की अवधि के लिए नहीं था, इसलिए याचिका पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के सटीक विश्लेषण का आधार नहीं बन सकती है।

xxi. क्षेत्र के प्रकार के आधार पर घरेलू और विदेशी आपूर्ति के साथ-साथ विदेशी स्रोतों से आपूर्ति के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में विविधीकरण है। इस्पात के लिए आपूर्ति किए गए संबद्ध सामान अन्य क्षेत्रों को आपूर्ति किए गए सामानों की तुलना में अलग-अलग स्थितियों के तहत है, जिसमें पिग आयरन और स्पंज आयरन निर्माता शामिल हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में, बिक्री दीर्घकालिक अनुबंधों या स्थल आधार पर संपन्न होती है। तथापि, सभी प्रमुख घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से बार-बार संपर्क करने के बावजूद, किसी भी घरेलू आपूर्तिकर्ता ने नियो मेटालिक्स के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति करार में प्रवेश करने के लिए सहमति नहीं दी है या यहां तक कि उनके अनुरोध का उत्तर भी नहीं दिया है। यहां तक कि विदेशी उत्पादकों ने भी दीर्घकालिक अनुबंध के आधार पर आपूर्ति नहीं की और अपने स्वयं के संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया।

xxii. चूंकि घरेलू उद्योग स्थल बिक्री का पक्षधर था और दीर्घकालिक अनुबंधों को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए गैर-इस्पात क्षेत्रों के लिए घरेलू स्तर पर संबद्ध सामानों की सुनिश्चित आपूर्ति की भारी कमी थी और उपलब्धता 'स्थल बाजार' के आधार पर सीमित है, जो एक सतत उत्पादन योजना को बाधित करती है।

xxiii. चूंकि मात्रा-आधारित क्षति को पहले से ही रक्षोपाय द्वारा हल किया गया है, इसलिए किसी भी वर्तमान क्षति को संदर्भ कीमत-आधारित शुल्क या ट्रिगर कीमत शुल्क के माध्यम से ठीक किया जाना चाहिए, विशेष रूप से मांग-आपूर्ति अंतराल और निचले स्तर के उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए।

xxiv. शुल्क लगाना पाटनरोधी करार और व्यापार को उदार बनाने और सुविधाजनक बनाने के लिए जापान और भारत के बीच सीईपीए की भावना के साथ असंगत होगा।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

i. आयात कीमत विशेष रूप से इंडोनेशिया से जांच की अवधि के बाद भी गिरिती रही।

ii. अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है क्योंकि जांच की अवधि के बाद कीमतों में गिरावट से भारतीय उद्योग को काफी नुकसान हुआ है।

iii. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई नए वास्तविक अनुरोध नहीं किए गए हैं, और इस प्रकार प्रारंभिक जांच परिणामों की अंतिम जांच परिणामों में पुष्टि की जानी चाहिए।

iv. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले कानून में किसी विशेष परिस्थिति को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे न्यायालयों सहित वैश्विक परिपाटी सभी जांचों में प्रारंभिक जांच परिणाम में रिकॉर्ड की जानी है।

v. यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान चार में से तीन वर्षों में क्षति हुई है, अनंतिम शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त औचित्य था।

vi. अंतरिम पाटनरोधी शुल्क लगाने से पता चलता है कि भारत सरकार स्वीकार करती है कि भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का गहन पाटन हो रहा है, जिससे भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

vii. पाटनरोधी जांच के लिए मानी गई जांच की अवधि और रक्षोपाय जांच की सबसे हालिया अवधि अलग-अलग हैं। रक्षोपाय जांच अवधि के बाद, संबद्ध देशों के उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने में लगे हैं।

viii. यदि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन पिछले वर्ष की तुलना में किया जाता है, तो यह संबद्ध देशों से पाटन के कारण गिरावट और वास्तविक क्षति को दर्शाएगा। घरेलू उद्योग इसी अवधि में क्षति का दावा नहीं कर रहा है और एक साथ दो प्रकार के उपायों का अनुरोध कर रहा है।

ix. जबकि रक्षोपाय जांच से पता चला कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण आयात में वृद्धि हुई थी, वर्तमान जांच से पता चलता है कि पाटन हुआ है। इस प्रकार, लागू होने के अनुसार उचित उपचार की मांग की गई है।

x. ऐसे कई मामले हैं जहां जांच अधिकारियों, जिनमें डीजीटीआर भी शामिल है, ने एक ही उत्पाद पर एक साथ रक्षोपायों और पाटनरोधी शुल्क को लागू करना उचित पाया है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने केवल रक्षोपायों की समाप्ति के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की है।

xi. मात्रात्मक प्रतिबंध केवल एक वर्ष की अवधि के लिए लागू थे। भले ही घरेलू उद्योग मात्रात्मक प्रतिबंधों के तहत ठीक हो सकता था, लेकिन ऐसे उपायों का प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका है।

xii. यह देखते हुए कि जांच की अवधि के दौरान और जब पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, दोनों ही समय में मात्रात्मक प्रतिबंध लागू नहीं थे, मात्रात्मक प्रतिबंधों पर भरोसा करना अनावश्यक है।

xiii. याचिका या प्राथिमक जांच परिणामों के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी कि यह स्पष्ट किया जाए कि परिमाणात्मक प्रतिबंध क्षति को हल करने के लिए अपर्याप्त क्यों थे।

xiv. चूंकि भारतीय उद्योग ने केवल एक वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय का अनुरोध किया था, इसलिए समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह रक्षोपायों के लिए समायोजित हो सकता है यदि विदेशी उत्पादक मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते ही पाटन में संलग्न हो जाते हैं।

xv. प्राधिकारी नमूनाकृत उत्पादकों के लिए भारित औसत क्षतिरहित कीमतों का निर्धारण करते हैं और पूरे घरेलू उद्योग के लिए नहीं। बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंकड़े दायर करने के समय, प्राधिकारी ने नमूनाकरण नहीं किया था और इसलिए, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन को निर्धारित नहीं किया गया था।

xvi. घरेलू उत्पादकों ने केवल अपनी लागत की सूचना दायर की है। क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, और प्रारंभिक जांच परिणामों में साझा किया गया है। हालांकि, किसी भी पक्षकार ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

xvii. बंगाल एनर्जी लिमिटेड के लिए आंकड़े और व्यापार सूचना 9/2021 के अनुसार अद्यतन समेकित आंकड़े 24 अप्रैल 2025 को घरेलू उद्योग द्वारा परिचालित किए गए थे।

xviii. चूंकि मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड ने निर्धारित समय सीमा के भीतर भाग नहीं लिया, इसलिए देर से भागीदारी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिर्धारित है कि जहां कोई पक्षकार अपने अधिकारों पर सोता रहता है, वह किसी उपाय की मांग नहीं कर सकता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

84. इस तर्क के संबंध में कि दायर आवेदन-पत्र अपर्याप्त है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र भारत में घरेलू उत्पादकों की एसोसिएशन द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया है। आवेदक घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-I के रूप में आंकड़े प्रदान किए हैं। व्यापार सूचना की आवश्यकताओं के अनुसार, आवेदक घरेलू उत्पादकों को प्रारूप VI-1 से VI-5 के रूप में विस्तृत सूचना दायर करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया है और नमूनाकृत उत्पादकों द्वारा विस्तृत प्रारूप VI-1 से VI-5 तक दायर किए गए हैं। दायर किए गए विस्तृत प्रारूपों के आधार पर, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत के साथ-साथ क्षति के मार्जिन को निर्धारित किया है।

85. प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई औचित्य नहीं मिलता कि वर्तमान जांच बिना किसी आधार के शुरू की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दायर आवेदन-पत्र में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के संबंध में जांच करने और संतुष्ट होने के बाद ही प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू की।

86. इस संबंध में कि समुद्री माल भाड़े के संबंध में साक्ष्य में कमी के कारण जांच की शुरुआत ही कानून में गलत है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो जांच शुरूआत के समय उसे उचित रूप से उपलब्ध थे। प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने तक किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने

प्रदान किए गए साक्ष्य की उपयुक्तता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अब हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए समुद्री माल भाड़े के लिए साक्ष्यों पर विचार किया है। उक्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद भी, रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़ों से पता चलता है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों ने पाटन किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस प्रकार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों के आधार पर भी पाटन का साक्ष्य है।

87. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से पहले साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच नहीं की है, क्योंकि जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा आयात के संबंध में आवेदन-पत्र में असंगतता थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने से पहले, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और दिए गए साक्ष्यों की पर्याप्त रूप से जांच की गई थी। जबकि आवेदक ने अनपुरोध किया कि जिंदल कोक लिमिटेड संबद्ध सामानों का आयातक था, प्राधिकारी ने जिंदल कोक लिमिटेड से सूचना मांगी और सत्यापित किया कि उक्त उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। तदनुसार, इसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग निर्धारित करने के लिए पात्र माना गया था।

88. इस अनुरोध के संबंध में कि अनंतिम शुल्क लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध आयात के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि हुई है और जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद भी आयात कीमत में गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। ऐसे में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक वास्तविक क्षति का उपचार करने की तत्काल आवश्यकता है।

89. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अतीत में संबद्ध सामान पाटनरोधी शुल्क के अधीन रहे हैं। प्राधिकारी ने यह जांच करने और निर्धारित करने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की कि संबद्ध देशों में उत्पादक भारत में संबद्ध सामानों को पाटित कर रहे थे जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी। पिछले जांच परिणामों में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि निर्यातक पाटन की

अनुचित व्यापार परिपाटी में लगे हुए हैं। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय की सिफारिश इस निष्कर्ष के बाद की गई कि आयात इतनी मात्रा में बढ़ गया कि इससे घरेलू उद्योग को गंभीर हानि हुई।

90. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने 2019 में निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि घरेलू उद्योग पहले से ही पर्याप्त रूप से संरक्षित था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019 में कोई निर्णायक समीक्षा नहीं की गई थी और इस तरह के अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

91. इस तर्क का संबंध में कि वर्तमान जांच की क्षति की अवधि रक्षोपाय जांच में क्षति की अवधि का अतिव्यापन करती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि अक्टूबर 2023 - सितंबर 2024 है। रक्षोपाय जांच में मानी गई सबसे हालिया अवधि अप्रैल 2022 - मार्च 2023 थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने केवल जांच की अवधि के लिए पाटन निर्धारित किया है। ऐसे मामले में, अवधि का अतिव्यापन वर्तमान जांच के औचित्य को नहीं बदलता है।

92. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन को उस अवधि के लिए देखा जाना चाहिए जिसमें रक्षोपाय लागू थे, जबकि रक्षोपायों के लागू होने के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में थोड़ा सुधार हो सकता है, ऐसे उपाय अस्थायी अवधि के लिए थे। चूंकि संबद्ध देशों के उत्पादक अनुचित व्यापार परिपाटी में लगे हैं, इसलिए वर्तमान जांच में जांच की अवधि के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है।

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जापानी उद्योग गंभीर परिस्थितियों में काम कर रहा है और पाटन में नहीं लगा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़ों के अनुसार, जापानी उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों को पाटित किया है। यहां तक कि अगर चीनी निवेश के कारण जापानी उत्पादक संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वे भारतीय बाजार में पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटी में लगे हुए हैं। जबकि यह अनुरोध किया गया है कि जापानी उत्पादक भारत में केवल दो उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक संविदाओं के तहत आपूर्ति कर रहे हैं, रिकॉर्ड पर सूचना से पता चलता है कि कम से कम 10 आयातकों ने क्षति की अवधि के दौरान जापान से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

94. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि एएमएनएस अपनी खपत के लिए आयात करता है और घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद को पुनर्विक्रय नहीं करता है, इसलिए, उसे पाटनरोधी शुल्क से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे अनुरोध कानूनी रूप से असंधारणीय हैं। पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों पर लागू होता है जहां प्राधिकारी को पता चलता है कि विदेशी उत्पादक पाटन में लगे हैं, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

95. इस अनुरोध के संबंध में कि रक्षोपाय जांच के दौरान प्रस्तुत समायोजन योजना पर विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपायों का अनुरोध किया था और तदनुसार, समायोजन योजना के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं थी।

96. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि डीजीएफटी ने वित्त मंत्रालय द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए जाने के बाद आयात प्रतिबंध वापस ले लिए थे और घरेलू उद्योग सरकार की दया पर चल रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या संबद्ध देशों में उत्पादक पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटी में लगे हैं और क्या ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए उपाय प्रकृति में सुरक्षात्मक नहीं हैं, बल्कि भारत में पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में केवल उपचारात्मक हैं।

97. नियो मेटालिक्स लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका जांच की अवधि के लिए नहीं थी। प्राधिकारी द्वारा विचार की गई जांच की अवधि के अनुसार घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में याचिका दायर की है।

98. नियो मेटालिक्स ने अनुरोध किया है कि घरेलू उत्पादकों ने दीर्घकालिक संविदाओं में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है और स्थल बिक्री को प्रारंभिकता दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री के मामले में अलग-अलग प्रारंभिकता घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले सामान के पाटन का औचित्य नहीं है। इसके अलावा, प्रयोक्ता ने स्वयं कहा है कि निर्यातकों ने भी दीघर्कालिक संविदाओं में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है। इसलिए, प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से खरीददारी करने में हानि की स्थिति में नहीं हैं।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत और जापान के बीच सीईपीए की भावना के खिलाफ नहीं होगा क्योंकि भारत-जापान सीईपीए की भावना

किसी भी बाजार में पाटन या भारत या जापान में उचित बाजार स्थितियों के विनाश की अनुमति नहीं देना है।

100. इस अनुरोध के संबंध में कि बाजार में मांग-आपूर्ति अंतराल है और संदर्भ कीमत शुल्क लगाया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में कोई मांग-आपूर्ति अंतराल नहीं है और संदर्भ कीमत शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। वित्त मंत्रालय ने पहले ही निश्चितनिर्धारित स्वरूप में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगा दिया है और वह स्वरूप उचित है।

छ. <u>बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

101. बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. आवेदक यह स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि सामान्य मूल्य के निर्माण के साथ कार्यवाही करना उचित था।

ii. आवेदन-पत्र में जांच शुरू करने और अनंतिम उपाय लागू करने को उचित ठहराने के लिए पाटन के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। आवेदक ने धारा 9क(1) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रदान की गई उत्पादन लागत संबद्ध देशों में लागत से संबंधित नहीं है। पैनल ने मोरक्को - अभ्यास पुस्तकों संबंधी निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय (ट्यूनिसिया) में पाया है कि उचित तुलना के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और समायोजन के संबंध में आवेदन-पत्र में पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. प्राधिकारी ने उत्पादन लागत के आधार पर दावा किए गए सामान्य मूल्य को स्वीकार कर लिया है। यह कोलंबिया - फ्रोजन फ्राइज़ के मामले में पैनल की टिप्पणियों से असंगत है, जिसमें पैनल ने पाया कि जांच प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश को निर्यात पर भरोसा करके, अनुच्छेद 5.2 के तहत शर्तों को पूरा किए बिना, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया था।

iv. जबकि प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में नोट किया है कि सामान्य मूल्य की गणना संबद्ध देशों में उत्पादन की प्रतिनिधि कारक लागत के आधार पर की गई है, सामान्य मूल्य की गणना केवल घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के संबंध में की गई है।

v. निर्यात कीमत में समायोजन प्रमाणित नहीं हैं, जिसमें समुद्री माल भाड़ा भी शामिल है। समुद्री माल भाड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि आवेदक ने कंटेनर कार्गो के लिए समुद्री माल भाड़ा माना है, जबकि मेट कोक को थोक में निर्यात किया जाता है।

vi. कोलंबिया के लिए दावा किया गया समुद्री माल ढुलाई सबसे कम है, देश सबसे दूर होने के बावजूद, जो माल ढुलाई के संबंध में किए गए निराधार दावों को दर्शाता है।

vii. यदि प्राधिकारी समुद्रीय माल भाड़ा शुल्क को उचित रूप से समायोजित करते हैं, तो जापानी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन शून्य होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कमीशन, क्रेडिट लागत और मालसूची वहन लागत की ओर समायोजन को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो सभी संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन बहुत कम या न्यूनतम होगा।

viii. एएमएनएस और एमसीसी सहित कई हितबद्ध पक्षकारों ने वास्तविक थोक माल को रिकॉर्ड पर वास्तविक माल भाड़ा बीजक रखा था। इसके अलावा, जापान के कुछ निर्माताओं उत्पादकों ने प्रतिक्रिया प्रस्तुत की थी। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक माल पर विचार करने के बाद ही निर्यात कीमत निर्धारित की जा सकती है।

ix. गलत समुद्री मालभाड़े पर निर्भरता के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि (क) ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैधानिक या प्रथागत कानून नहीं है, (ख) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को गुमराह किया, (ग) एमसीसी ने प्रारंभिक जांच परिणामों पर टिप्पणियों में पहली बार में ही इस मुद्दे को प्राधिकारी के ध्यान में लाया।

x. भले ही उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दायर प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्रस्तुत माल भाड़ा लागत को स्वीकार किया जाना चाहिए था। हितबद्ध पक्षकार मेट कोक के लिए वास्तविक भाड़ा प्रदान कर रहे हैं, जो वर्तमान में माने जाने वाले भाड़े से काफी कम है।

xi. संबद्ध सामानों की बिक्री में कोई कमीशन एजेंट शामिल नहीं है, क्योंकि आयातक सीधे उत्पादकों से मेट कोक खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त, आयातक साख-पत्रों के अग्रिम भुगतान के आधार पर मेट कोक खरीदते हैं, और इस प्रकार, इसमें कोई क्रेडिट लागत शामिल नहीं है।

xii. चूंकि मालसूची वहन लागत एक संभारिकी लागत नहीं है, इसलिए इसे निर्यात कीमत से नहीं घटाया जाएगा।

xiii. ब्लूस्कोप ने दो असंबद्ध कंपनियों, नोबल और ट्रैफिगुरा के माध्यम से निर्यात किया है। जांच की अवधि के दौरान नोबेल को विटोल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और इसलिए, वह भाग लेने में असमर्थ था। ट्रैफिगुरा ने संबद्ध सामान टाटा स्टील लिमिटेड को बेचे हैं, जिसने वर्तमान जांच में भाग लिया है और इसलिए, सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध है।

xiv. यदि प्राधिकारी ब्लूस्कोप को व्यक्तिगत मार्जिन नहीं देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में व्हायला स्टीलवर्क्स से आयात को पहुंच कीमत की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह ब्लूस्कोप से संबद्ध नहीं है और इसने जांच की अवधि से पहले स्थायी रूप से संचालन बंद कर दिया है। ये आयात वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई उत्पादन या निर्यात व्यवहार के प्रतिनिधिकारक नहीं हैं।

xv. यहाँ तक कि उपलब्ध तथ्यों के अनुप्रयोग में भी, प्राधिकारी का विवेकाधिकार एक असहयोगी निर्यातक को अत्यधिक प्रतिकूल शुल्क दर के साथ दंडित करने तक नहीं फैला है। यही दृष्टिकोण यूएस - पाटनरोधी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी (कोरिया) में पैनल द्वारा और डाई स्टफ्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम भारत सरकार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया था।

xvi. प्रश्नावली के उत्तरों की बड़े पैमाने पर अस्वीकृति मनमानी और अनुचित है। प्राधिकारी को सारांश में आंकड़े को खारिज करने के बजाय किसी भी लापता

सूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका - पाटनरोधी शुल्क और भारत से स्टील प्लेट पर प्रतिकारी उपाय में अपीलीय निकाय द्वारा माना गया था, कुछ सूचना की अनुपलब्धता पूरे अनुरोध को स्वत: रद्द करने का औचित्य नहीं बनाते।

xvii. चूंकि निर्यातक अपने आंकड़े समय पर प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि आंकड़े अनुपयोगी या अप्रमाणित थे, इसलिए अपूर्ण मूल्य श्रृंखला के कारण प्रतिक्रिया को खारिज नहीं किया जा सकता था। यूएस - पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क (कोरिया) में पैनल ने पाया है कि भले ही जांच प्राधिकारी को कुछ सूचना गायब मिली हो या हितबद्ध पक्षकार ने जांच में बाधा डाली हो, प्राधिकारी को उस सूचना पर विचार करने की आवश्यकता थी जो प्राधिकारी के अनुरोध के उत्तर में सीधे प्रस्तुत की गई थी, और करार के तहत निर्धारित मापदंडो को पूरा करती थी।

xviii. प्रश्नावली के पैरा 8 (v) के अनुसार, प्राधिकारी को उत्तर रद्द करने से पूर्व तथ्यों और औचित्य के संबंध में मामले की जांच करना अपेक्षित था। प्राधिकारी प्रश्नावली द्वारा या अनुच्छेद 6.8 के तहत अनिवार्य भार से अधिक कठोर भार नहीं डाल सकते।

xix. जबकि प्रक्रिया में संपूर्ण निर्यात श्रृंखला की भागीदारी की आवश्यकता होती है, सहयोग करने वाले उत्पादक को किसी असंबद्ध तीसरे पक्षकार व्यापारी के असहयोग के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से काम करता है और उत्पादकों के साथ गोपनीय सूचना साझा नहीं करेगा।

xx. प्राधिकारी को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन की गणना करनी चाहिए, जैसा कि पॉलिएस्टर स्पन यार्न के मामले में किया गया था।

xxi. रिसुन ग्रुप ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। वाणिज्यिक दस्तावेजों में दर्ज ग्राहकों के नाम प्रस्तुत किए गए थे। प्राधिकारी को पक्षकारों को कमियों के बारे में सूचित करना चाहिए था और अस्वीकृति का सहारा लेने से पहले ऐसी कमियों को दूर करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था।

xxii. यहां तक कि यदि निर्यात कीमत की सूचना पूरी नहीं है, तो सामान्य मूल्य के बारे में सूचना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

xxiii. निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह नहीं किया क्योंकि सभी असंबद्ध पक्षकारों के नाम पारदर्शी रूप से बताए गए थे, और सभी बिक्री दस्तावेज रिकॉर्ड में उपलब्ध कराए गए थे। ये बिक्री दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि प्रेषिती एक भारतीय ग्राहक था जो सामानों का गंतव्य स्थल सिद्ध करता है।

xxiv. तीन व्यापारिक चैनलों का प्राधिकारी को सद्भावनापूर्वक प्रकटन किया गया था, जिसमें असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात भी शामिल था। ऐसे व्यापारियों को संबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था, और इसलिए, उनकी प्रतिक्रिया न देना अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता है। यदि यह माना जाता कि कोई व्यापारी संबद्ध है, तो उचित स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था।

xxv. जो व्यापारी 'संबद्ध पक्षकार' के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, वे उत्तरदाता द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से संबद्ध नहीं कहा जा सकता है।

xxvi. संबद्ध व्यापारियों सहित, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त थी। पीटी किनरुई के मामले में, निर्यात कीमत संबद्ध व्यापारी द्वारा स्वतंत्र ग्राहक को पहली बिक्री या पुनर्विक्रय के आधार पर निर्धारित किया जा सकता था।

xxvii. अधिनियम की धारा 9क (1) (ख) या पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.3 में असंबद्ध व्यापारियों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, या स्वतंत्र क्रेता आयातक देश में स्थित हों।

xxviii. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में गंभीर प्रक्रियात्मक और ठोस त्रुटियां की हैं, पीटी किनरुई द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट आंकड़े की स्वतंत्र समीक्षा करने में विफल रहे हैं, और इसके बजाय गलती से एक अन्य कंपनी पीटी डेटियन के विश्लेषण को पुन: प्रस्तुत किया है।

xxix. यदि प्राधिकारी मार्जिन और क्षति मार्जिन पर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए असंबद्ध मध्यस्थों से सूचना पर भरोसा कर रहे हैं, तो कार्यप्रणाली और गणना का प्रकटन किया जाना चाहिए, जैसा कि निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ और विज़टर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में माना गया है।

xxx. फार्मसन्स फार्मास्युटिकल्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ में, यह माना गया कि प्रकटन विवरण के विपरीत अंतिम जांच परिणाम, जहां प्रकटन के बाद पक्षकारों को कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान नहीं की गई थी, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन था। वर्तमान मामले में भी, प्राधिकारी उचित तर्क या प्रकटन देने में विफल रहे हैं, जिससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकल रहे हैं।

xxxi. भले ही निर्यात श्रृंखला 100% पूर्ण न हो, प्राधिकारी उस निर्यात मात्रा की वास्तविक निर्यात कीमत की अनदेखी नहीं कर सकते हैं जिसके लिए सूचना प्रस्तुत की गई है।

xxxii. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 6.2 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जैसे सुनवाई का अधिकार, और गोपनीयता आवश्यकताओं के अधीन प्रतिकूल सूचना तक पहुंच का अधिकार।

छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन जनवादी गणराज्य को चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

ii. आवेदक के पास किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। भारत में होने वाले आयातों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में वस्तुओं का प्रमुख रूप से पाटन किया जा रहा है। पोलैंड के अलावा अन्य देशों से होने वाले आयात नगण्य हैं और इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

iii. पोलैंड से होने वाले अधिकांश आयात आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा दीर्घकालिक करार के तहत किए जाते हैं। इसलिए, ऐसी कीमत प्रभावित होती है और मांग-आपूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद का आयात कई अलग-अलग कोड के तहत किया गया है और इसलिए ऐसे देशों से अन्य देशों को होने वाले निर्यात पर विचार नहीं किया जा सकता है।

iv. चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया गया है, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है और जिसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

v. चूंकि अन्य देशों के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूची या वाणिज्यिक बीजक आवेदक के पास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया गया है।

vi. पाटन मार्जिन पाटन की पूरी मात्रा को कवर नहीं करता है क्योंकि सामान्य मूल्य कम करके दिखाया गया है, जो वर्तमान जांच में नमूना लिए गए घरेलू उत्पादकों में से एक की न्यूनतम अनुकूलित लागत पर आधारित है।

vii. उत्पादन की अनुकूलित लागत पर केवल अनुबंध-III के तहत क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। तथापि, सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के तहत किया जाता है, और अनुबंध-III के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं।

viii. नमूना लिए गए घरेलू उत्पादकों के बीच न्यूनतम उत्पादन लागत पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी प्रथा अनिवार्य रूप से उत्पादकों/निर्यातकों को उनके असहयोग के लिए पुरस्कृत करती है और ऐसी स्थिति में भागीदारी को हतोत्साहित करती है जहां सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से अधिक होता है।

ix. आवेदक को केवल वही जानकारी प्रदान करनी आवश्यक है जो उसे उचित रूप से उपलब्ध हो, जिसमें सामान्य मूल्य से संबंधित जानकारी भी शामिल है। वर्तमान मामले में, आवेदक ने आवेदन के चरण में वह जानकारी पहले ही प्रदान कर दी थी जो उसे उचित रूप से उपलब्ध थी और इस प्रकार उसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

x. आवेदक ने उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया। अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दिखाने के लिए कोई भी जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं कि वहां ऐसी वैकल्पिक जानकारी उपलब्ध थी जिसे घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत नहीं किया।

xi. प्राधिकारी ने कई जांचों में भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य स्वीकार किया है, जहां वैकल्पिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी। न्यायाधिकरण ने 'ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी' के मामले में भी ऐसे सामान्य मूल्य को उपयुक्त पाया है।

xii. हितबद्ध पक्षकार 'कोलंबिया-फ्रोजन फ्राइज़' मामले की गलत व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि उस मामले में आवेदक ने यह कारण नहीं बताया था कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री कीमत पर विचार क्यों नहीं किया गया और सीधे तीसरे देशों को निर्यात के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था। तथापि, वर्तमान मामले में आवेदक ने स्पष्ट किया है कि जब उसने समान उत्पाद की तुलनात्मक कीमतें प्राप्त करने के प्रयास किए, तो स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूची या वाणिज्यिक बीजक गोपनीय थे और उसकी उन तक पहुंच नहीं थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया था।

xiii. निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

xiv. समुद्री भाड़े का साक्ष्य 6 मई 2025 को प्रदान किया गया था और सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था और किसी भी पक्षकार द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया था। चूंकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया गया समुद्री भाड़ा था, इसलिए उस पर निर्भरता को अनुचित नहीं माना जा सकता है।

xv. निर्यात कीमत के अन्य समायोजनों का दावा प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली निरंतर प्रथा के अनुसार किया गया है, और ऐसे समायोजनों को अत्यधिक नहीं माना जा सकता है।

xvi. जांच की शुरुआत के चरण में केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जैसा कि 'राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बनाम पाटन रोधी महानिदेशक' और न्यायाधिकरण के निर्णयों में निर्धारित किया गया है।

xvii. यह सुस्थापित तथ्य है कि जांच आगे बढ़ने के साथ साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होता है। यदि समुद्री भाड़े के संबंध में बेहतर जानकारी उपलब्ध होती है, तो प्राधिकारी उस पर विचार कर सकते हैं।

xviii. यद्यपि एएमएनएस ने दावा किया है कि आयात सीधे उत्पादकों से और अग्रिम भुगतान के आधार पर होता है, तथापि वह प्रत्येक निर्यातक या आयातक द्वारा सहमत बिक्री शर्तों से अवगत नहीं हो सकता है। एएमएनएस के दावे के विपरीत, जांच की अवधि के दौरान भारत में होने वाले 87% आयात व्यापारियों के माध्यम से किए गए हैं न कि सीधे उत्पादकों द्वारा।

xix. यहां तक कि प्रारंभिक जॉच परिणाम भी दर्शाते हैं कि एएमएनएस के दावे के विपरीत, विदेशी उत्पादकों ने विचाराधीन वस्तु का भारत को निर्यात व्यापारियों के माध्यम से किया है।

xx. यह तर्क कि मालसूची वहन लागत एक संभार तंत्र लागत नहीं है और इसे निर्यात कीमत से नहीं घटाया जाना चाहिए, अव्यवहार्य है क्योंकि एक उत्पादक अपने ग्राहकों को उत्पाद बेचने के उद्देश्य से मालसूची रखता है। जबकि मालसूची वहन लागत संभार तंत्र लागत नहीं हो सकती है, फिर भी यह एक बिक्री व्यय है। अमेरिका और ब्राजील जैसे कई क्षेत्राधिकार निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समायोजन करने हेतु निर्यातकों से मालसूची वहन लागत के संबंध में जानकारी मांगते हैं, और भारतीय प्राधिकारी के लिए इस पर विचार न करने का कोई औचित्य नहीं है।

xxi. इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि कमीशन, ऋण लागत और मालसूची वहन लागत की उपेक्षा की जाए, तो पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम हो जाएगा, क्योंकि यह अनुरोध आयातक द्वारा किया गया है न कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा। ऐसे खर्चों की अनदेखी करने से वास्तविक कीमत विकृत हो जाएगी ।

xxii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, प्रश्नावली के उत्तर केवल जानकारी की कमी के कारण अस्वीकृत नहीं किए गए थे । उत्तर इसलिए अस्वीकृत किए गए क्योंकि उत्पादकों ने गलत और भ्रामक जानकारी दी थी, जिसमें व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यात का प्रकटन न करना और ग्राहकों के पूर्ण नाम न देना शामिल है ।

xxiii. दायर किए गए उत्तरों का अगोपनीय संस्करण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निर्यातकों ने भारत को प्रत्यक्ष निर्यात का दावा किया था, जो तथ्यों का गलत चित्रण है, जबकि वस्तुओं का निर्यात असहयोगी व्यापारियों के माध्यम से किया गया था ।

xxiv. चूंकि प्रारंभिक जॉच परिणाम से पता चलता है कि प्राधिकारी ने पक्षकारों को पूरक प्रश्न जारी किए थे, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि पक्षकारों को पर्याप्त अवसर या प्रकटन नहीं दिया गया था । चूंकि उस समय कोई प्रकटन विवरण जारी नहीं किया गया था, इसलिए किसी नए प्रकटन की आवश्यकता नहीं थी ।

xxv. ब्लूस्कोप और मित्सुबिशी केमिकल्स लिमिटेड के मामले में, निर्यात श्रृंखला में शामिल व्यापारियों ने भाग नहीं लिया, इसलिए उनके उत्तर स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

xxvi. चूंकि मेट कोक से संबंधित पिछली जांच में व्यापारी की भागीदारी न होने के कारण ब्लूस्कोप के उत्तर को अस्वीकृत कर दिया गया था, इसलिए वह अच्छी तरह अवगत था कि व्यापारी का उत्तर देना आवश्यक था।

xxvii. एचआईआईआर के आयात की पाटन रोधी जांच में प्राधिकारी ने व्यापारी के उत्तर की प्रासंगिकता स्पष्ट की थी।

xxviii. चूंकि भारतीय प्राधिकारी 'कमतर शुल्क नियम' का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें भारत में पहुंच कीमत के संबंध में सटीक जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, पाटनरोधी करार केवल पाटन मार्जिन को संदर्भित करता है।

xxix. अन्य जांच अधिकारियों की प्रथा भी व्यापारियों के उत्तर पर विचार करने का समर्थन करती है ।

xxx. संबंधित निर्यातक के माध्यम से निर्यात के मामले में, भले ही मात्रा कम हो, उत्पादक को व्यक्तिगत शुल्क दर की अनुमति तभी दी जा सकती है जब उस निर्यातक द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया जाए।

xxxi. मैनुअल के अनुसार, यदि भारत को होने वाले निर्यात के 30% से अधिक के लिए जिम्मेदार असंबंधित निर्यातक सहयोग नहीं करते हैं, या यदि कोई संबंधित निर्यातक सहयोग नहीं करता है, तो उत्तर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

xxxii. हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई के साथ-साथ पूरक प्रश्नावली जारी करके अपनी बात रखने का अवसर पहले ही दिया जा चुका है। प्राकृतिक न्याय के सभी

सिद्धांतों का पालन किया गया है और पक्षकारों को कोई और अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

xxxiii. अनुच्छेद 6.8 यह प्रावधान करता है कि यदि हितबद्ध पक्षकार जांच में काफी अधिक बाधा डालते हैं, तो जांच अधिकारी उपलब्ध तथ्यों का उपयोग कर सकते हैं।

xxxiv. तथापि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पाटन रोधी करार उत्तरों की ऐसी अस्वीकृति की अनुमति नहीं देता है, किंतु उन्होंने किसी ऐसे क्षेत्राधिकार का उदाहरण नहीं दिया है जहाँ तथ्यों के इतने स्पष्ट गलत चित्रण के बावजूद उत्तर स्वीकार किया गया हो।

xxxv. ऐसे मामले में जहाँ विदेशी उत्पादकों ने भ्रामक जानकारी दी है, वे यह प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि सामान्य मूल्य से संबंधित जानकारी को क्यों स्वीकार नहीं किया गया।

xxxvi. जैसा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि यदि प्राधिकारी चयनात्मक जानकारी पर भरोसा करते हैं, तो ऐसी स्थिति बन सकती है जहॉ निर्यातक जानबूझकर केवल उच्च कीमतों वाली मात्रा के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करेंगे।

xxxvii. चूंकि भ्रामक और अधूरी जानकारी के कारण उत्तर स्वीकार नहीं हुआ है इसलिए प्राधिकारी ने मार्जिन निर्धारण के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद अगले सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया । तथापि, लगाए गए शुल्क को किसी भी तरह से दंडात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्य क्षेत्राधिकार प्रतिकूल तथ्यों को लागू करते समय बहुत अधिक शुल्क लगाते हैं।

xxxviii. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन काफी अधिक हैं, जो भारत में व्यापक पाटन को दर्शाते हैं।

xxxix. इंडोनेशिया से कीमतें और भी कम हो गई हैं, जबकि कोकिंग कोल की कीमतों में उतनी गिरावट नहीं आई है, और आयात की मात्रा बढ़ी है। इंडोनेशिया के लिए पाटन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है ।

xl. इंडोनेशिया में स्थापित संयंत्र अनिवार्य रूप से चीन की कंपनियों द्वारा निवेश हैं और वहां की मांग से अधिक हैं। ऐसी क्षमताएं केवल निर्यात बाजारों के लिए लक्षित हैं ।

xli. संबद्ध देशों के उत्पादकों को प्राप्त किसी भी प्राकृतिक लाभ के बावजूद, उन्होंने भारतीय बाजार में पाटन करना बंद नहीं किया है ।

xlii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए प्राकृतिक लाभ केवल चीन और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, न कि अन्य देशों से । तथापि, पाटन कई देशों से हो रहा है, और प्राधिकारी ने पहले भी चीन और ऑस्ट्रेलिया के उत्पादकों को पाटन करते हुए पाया है।

xliii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, संबद्ध देशों के उत्पादक और निर्यातक भारतीय मर्चेंट मेट कोक उद्योग को समाप्त करने के प्रयास में पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से भारत में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

xliv. पाटन इस बात पर आधारित नहीं है कि निर्यात घाटे में हुआ है या नहीं, बल्कि इस पर आधारित है कि निर्यात सामान्य मूल्य से कम पर हुए है या नहीं ।

xlv. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है ।

<u>छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

103. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा* ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा*:

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत*:

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है,

अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

i. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड
ii. चीन रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड, हांगकांग
iii. हांगकांग जिनटेंग डेवलपमेंट लिमिटेड
iv. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन, जापान
v. मित्सुबिशी कॉरपोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड
vi. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया
vii. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया
viii. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया
ix. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड
x. रिसुन मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (जापान)
xi. रिसुन वेइशान इंजीनियरिंग (हैनान) लिमिटेड, चीन

105. ऐसे अनुरोधों के संबंध में कि आवेदन में जांच शुरू करने के औचित्य के लिए पाटन के पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों की प्रथम दृष्टया जॉच के आधार पर शुरू की गई थी। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच शुरूआत के चरण में और यहां तक कि प्रारंभिक जॉच परिणाम जारी होने तक भी जांच की शुरुआत की अनुचितता पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने वह जानकारी प्रदान की है जो जांच शुरू करने के उद्देश्य से उसे उचित रूप से उपलब्ध थी।

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों में उत्पाद की लागत और कीमतों के संबंध में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थी। हितबद्ध पक्षकारों ने निर्यात करने वाले देशों के घरेलू बाजार में कीमतों के सार्वजनिक साक्ष्य दर्शाकर इस पर कोई विवाद नहीं किया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि उत्पाद और उसके कच्चे माल दोनों का कोई समर्पित टैरिफ कोड नहीं है, जिससे आवेदक के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करना या संबद्ध देशों में उत्पादन लागत का निर्माण करना संभव हो पाता। तदनुसार, सामान्य मूल्य का परिकलन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उत्पादन लागत के साथ उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के आधार पर किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई पद्धति को स्वीकार कर लिया है।

107. ऐसे अनुरोधों के संबंध में कि समुद्री भाड़े के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य गलत और अविश्वसनीय हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया समुद्री भाड़ा संबद्ध वस्तु के निर्यात के लिए वास्तव में भुगतान किए गए समुद्री भाड़े से अधिक है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य वर्तमान जांच की शुरुआत के समय सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए थे। घरेलू उद्योग ने इस जानकारी को गोपनीय होने का दावा नहीं किया था। तथापि, प्रारंभिक जॉच परिणाम जारी होने से पहले किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसे साक्ष्यों की कथित अनुपयुक्तता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। किसी भी मामले में, चूंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अब समुद्री भाड़े के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, इसलिए निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उन पर उचित रूप से विचार किया गया है।

108. एमसीसी ने अनुरोध किया है कि समुद्री भाड़े के मुद्दे को पहले अवसर पर ही प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच 29 मार्च 2025 को शुरू की गई थी और समुद्री भाड़े के साक्ष्य एमसीसी सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए थे। प्राधिकारी ने 14 नवंबर 2025 को प्रारंभिक जॉच परिणाम जारी किए। यद्यपि जांच की शुरुआत और प्रारंभिक जॉच परिणाम के बीच पर्याप्त समय था, फिर भी एमसीसी ने समुद्री भाड़े पर कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की। यह मुद्दा प्रारंभिक जॉच परिणाम जारी होने के बाद ही उठाया गया है।

109. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए समुद्री भाड़े के साक्ष्यों में कमी के कारण जांच की शुरुआत विधिक रूप से गलत हो गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद भी, वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा विचार किए गए उच्च समुद्री भाड़े ने जांच की शुरुआत को निष्फल नहीं बनाया है।

110. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यदि मालसूची वहन लागत, कमीशन और ऋण लागत की उपेक्षा की जाए, तो जापान से पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम हो जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए मालसूची वहन लागत पर विचार नहीं किया गया है। तथापि, कमीशन और ऋण लागत की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों द्वारा किया गया एक व्यय है। निवल निर्यात कीमत को उचित रूप से निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने ऐसे खर्चों पर विचार किया है। वास्तव में, यह देखा गया है कि यदि निर्यातकों द्वारा उनके प्रश्नावली उत्तरों में रिपोर्ट की गई जापान में बिक्री कीमत पर विचार किया जाता है, तो पाटन मार्जिन वर्तमान में निर्धारित पाटन मार्जिन से

बहुत अधिक है। वास्तव में, प्राधिकारी ने जापानी उत्पादकों द्वारा रिपोर्ट की गई बिक्री कीमत की तुलना में बहुत कम सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

111. इस अनुरोध के संबंध में कि कोई कमीशन एजेंट और ऋण लागत नहीं है क्योंकि आयातक सीधे उत्पादकों से और अग्रिम भुगतान के आधार पर खरीद करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के अनुसार, भारत में आयात न केवल उत्पादकों से बल्कि व्यापारियों से भी होता है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो यह दर्शाती हो कि भारत में सभी आयातक अग्रिम भुगतान कर रहे हैं।

112. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्रश्नावली के उत्तरों की अस्वीकृति मनमानी और अनुचित है और निर्यातकों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान प्रकटन विवरण के संगत खंड में उल्लिखित है कि उत्पादकों और निर्यातकों को वर्तमान जांच में पूर्ण और सटीक उत्तर देने का उचित अवसर दिया गया था। तथापि, उत्पादकों और निर्यातकों ने अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है और यहां तक कि प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास भी किया है। तदनुसार, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को अस्वीकृत कर दिया गया है और मार्जिन का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, ऐसे तथ्य वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को पहले ही प्रकट कर दिए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कमियों को सुधारने का अवसर देने के बाद भी सटीक और पूर्ण उत्तर प्रदान करने में विफलता, उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सटीकता पर संदेह उत्पन्न करती है।

113. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने 'पॉलिएस्टर स्पन यार्न' के आयात की पाटन रोधी जांच का उल्लेख किया है जिसमें प्राधिकारी ने उत्पादकों के उत्तर स्वीकार कर लिए थे भले ही उनकी असंबद्ध कंपनियों ने भाग नहीं लिया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त जांच में असंबद्ध संस्थाओं से आयात की मात्रा बहुत कम थी और तदनुसार उत्तर स्वीकार कर लिए गए थे। तथापि, वर्तमान जांच में भारत में आयात की महत्वपूर्ण मात्रा उन असंबद्ध कंपनियों से है जो भाग लेने में विफल रही हैं, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि ऐसे उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

114. इस संबंध में कि यह अनुरोध किया गया है कि असंबंधित निर्यातकों के सहयोग न करने के कारण उपलब्ध तथ्यों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में, जब भारत को किए गए निर्यात के संबंध में पूर्ण जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का सटीक निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हैं। यह प्राधिकारी की स्थापित प्रथा है कि वह निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण केवल तब करते हैं जब संबंधित उत्पादक एवं निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हों। चूंकि

असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों से संबंधित निर्यात कीमत उपलब्ध नहीं है, अतः प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

115. इस अनुरोध के संबंध में कि भले ही निर्यात कीमत संबंधी जानकारी अपूर्ण हो, सामान्य मूल्य उत्तरों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तर न केवल अपूर्ण हैं बल्कि असत्य भी हैं, तथा कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास भी किया है। चूंकि प्रस्तुत उत्तर असत्य हैं, जैसा कि संबंधित भागों में उल्लिखित है, इसलिए उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण जानकारी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

116. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि अनुच्छेद 6.2 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, सुने जाने के अधिकार तथा प्रतिकूल सूचना तक पहुँच के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर प्रदान किया गया है। प्राधिकारी द्वारा मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी पक्षकारों ने भाग लिया और उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सुना गया। इसके अतिरिक्त, सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जॉच परिणाम पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने, मौखिक सुनवाई के पश्चात लिखित एवं प्रत्युत्तर अनुरोध करने का अवसर प्रदान किया गया। अतः उन्हें अपने हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया गया।

117. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि कुछ देशों से आयात की कीमतें प्राकृतिक लाभ के कारण भारत में कम हैं। इस पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर, संबंधित देशों के उत्पादकों ने अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात पाटन में संलिप्तता दर्शाई है तथा वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

1. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया

118. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया (पीटी डेटियन) ने दावा किया है कि उसने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है।

119. प्राधिकारी ने दिनांक 30 जुलाई 2025 को ईमेल के माध्यम से उत्पादक से अतिरिक्त जानकारी मांगी तथा 11 अगस्त 2025 तक का समय प्रदान किया। उत्पादक ने 27 अगस्त 2025 को आंशिक उत्तर प्रस्तुत किया तथा 18 सितंबर 2025 को उसने पूरक रूप से प्रस्तुत किया। अपने पूरक उत्तर में प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल तथा यह कि क्या उस चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है, इस संबंध में जानकारी मांगी। उत्पादक ने यह पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने यह घोषित किया कि उसने केवल भारत को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है।

120. तत्पश्चात प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछे, जिनमें नमूना बीजकों सहित अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। प्रस्तुत बीजकों एवं परिशिष्ट 3क में उपलब्ध ग्राहक विवरणों की जांच करने पर प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को पीटी डेटियन ने बिक्री की है, वे भारतीय इकाइयाँ नहीं हैं। इसके विपरीत, प्रस्तुत नमूना बीजक एवं डीजी सिस्टम्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि रिपोर्ट किए गए ग्राहक वास्तव में *** में स्थित हैं।

121. इससे स्पष्ट होता है कि पीटी डेटियन ने घोषणा किए गए अनुसार भारत को प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया है। बल्कि, विचाराधीन उत्पाद भारत को व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए संपूर्ण वितरण चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहाँ निर्यात निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है, वहाँ निर्यातक को भाग-I, भाग-II तथा परिशिष्ट 5 के उत्तर प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के स्थान पर, उत्पादक ने यह गलत घोषणा की कि उसने केवल भारत को प्रत्यक्ष निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ किए जाने पर भी उत्पादक ने सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

122. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकारी यह पाते हैं कि पीटी डेटियन द्वारा प्रस्तुत उत्तर पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त एवं सटीक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात के ***% का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारियों ने भी भागीदारी नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने इस उत्पादक को अलग शुल्क दर प्रदान नहीं की है तथा प्रारंभिक जॉच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

2. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ इंडोनेशिया

123. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ इंडोनेशिया ("पीटी किनरुई") ने दावा किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को निर्यात किया है, जिसमें से *** मीट्रिक टन का प्रत्यक्ष निर्यात किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने संबंधित व्यापारी *** को भी संबद्ध वस्तु का विक्रय किया है, जिसने अंततः उक्त उत्पाद का भारत को निर्यात किया है।

पीटी किनरुई → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
पीटी किनरुई → *** → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

124. प्राधिकारी ने दिनांक 30 जुलाई 2025 को ईमेल के माध्यम से उत्पादक से अतिरिक्त जानकारी मांगी तथा 11 अगस्त 2025 तक का समय प्रदान किया। उत्पादक ने 27 अगस्त 2025 को आंशिक उत्तर प्रस्तुत किया तथा 18 सितंबर 2025 को उसने पूरक

रूप से प्रस्तुत किया। अपने पूरक उत्तर में प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल तथा यह कि क्या उस चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है, इस संबंध में जानकारी मांगी। उत्पादक ने यह पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने यह पुनः दोहराया कि उसने उपर्युक्त वितरण चैनलों के माध्यम से भारत को निर्यात किया है।

125. तत्पश्चात प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को कतिपय अतिरिक्त प्रश्न पूछे तथा अतिरिक्त जानकारी मांगी। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, प्रस्तुत बीजकों तथा परिशिष्ट 3क में दिए गए उपभोक्ता विवरणों की जांच की। उपलब्ध जानकारी के परीक्षण पर प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को पीटी किनरुई ने विक्रय किया है, उनमें से अनेक भारतीय इकाइयाँ नहीं हैं। इसके विपरीत, प्रस्तुत नमूना बीजक एवं डीजी सिस्टम्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि कई रिपोर्ट किए गए उपभोक्ता वास्तव में अन्य देशों, जैसे *** एवं *** में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यापारी भारत को किए गए निर्यात का ***% से अधिक भाग बनाते हैं।

126. इससे स्पष्ट होता है कि पीटी किनरुई ने यथा घोषित रूप से, केवल प्रत्यक्ष रूप से एवं संबंधित व्यापारी के माध्यम से ही भारत को निर्यात नहीं किया है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद भारत को व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भी निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए संपूर्ण वितरण चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, वहाँ निर्यातक को भाग-I, भाग-II तथा परिशिष्ट 5 के उत्तर प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के स्थान पर, उत्पादक ने यह गलत घोषणा की कि उसने केवल प्रत्यक्ष रूप से तथा संबंधित निर्यातक के माध्यम से ही भारत को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ किए जाने पर भी उत्पादक ने सही एवं पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिससे प्रस्तुत जानकारी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

127. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकारी यह पाते हैं कि पीटी किनरुई द्वारा प्रस्तुत उत्तर पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त एवं सटीक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को काफी अधिक निर्यात करने वाले

व्यापारियों ने भी भागीदारी नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने इस उत्पादक को अलग शुल्क दर प्रदान नहीं की है तथा प्रारंभिक जॉच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

3. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया

128. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया ("रिसुन वेई शान") द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, इसने विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को निर्यात किया है। उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का प्रत्यक्ष रूप से भारत को निर्यात नहीं किया है। उक्त उत्पाद भारत को निर्यात हेतु संबंधित संस्थाओं, अर्थात् ***, ***, *** एवं *** को बेचा गया है। *** ने आगे उक्त उत्पाद को असंबद्ध व्यापारी ***, को बेचा, जिसने आगे इसे *** को बेचा। रिसुन वेई शान द्वारा उत्पादित वस्तु का अंतिम निर्यातक रिसुन एचके है।

रिसुन वेई शान → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
रिसुन वेई शान → *** → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
रिसुन वेई शान → *** → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
रिसुन वेई शान → *** → *** → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

129. प्राधिकारी ने दिनांक 30 जुलाई 2025 को ईमेल के माध्यम से उत्पादक से अतिरिक्त जानकारी मांगी तथा 11 अगस्त 2025 तक का समय प्रदान किया। अपने पूरक उत्तर में प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल तथा यह कि क्या उस चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर अनुरोध किया है, इस संबंध में जानकारी मांगी। उत्पादक ने यह स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल से संबंधित सभी निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने यह पुनः दोहराया कि उसने उपर्युक्त वितरण चैनलों के माध्यम से भारत को निर्यात किया है। तत्पश्चात प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त प्रश्न पूछे तथा अतिरिक्त जानकारी मांगी। अतः उत्पादक के अनुसार, भारत को सभी निर्यात रिसुन एचके के माध्यम से भारत के असंबद्ध ग्राहकों को किए गए हैं।

130. प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा परिशिष्ट 3क में दिए गए उपभोक्ता विवरणों की जांच की तथा उनकी तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से की। उपलब्ध जानकारी की जॉच करने पर प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को रिसुन एचके ने विक्रय किया है, उनमें से कई भारतीय इकाइयाँ नहीं हैं। इसके विपरीत, डीजी

सिस्टम्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि कई रिपोर्ट किए गए उपभोक्ता वास्तव में अन्य देशों, जैसे ***, *** एवं *** में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यापारी भारत को किए गए निर्यात का ***% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।

131. इससे स्पष्ट होता है कि रिसुन वेई शान द्वारा उत्पादित वस्तु केवल रिसुन एचके के माध्यम से भारत के ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात नहीं की गई है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद भारत को व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भी निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए संपूर्ण वितरण चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, वहाँ निर्यातक को भाग-I, भाग-II तथा परिशिष्ट 5 के उत्तर प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के स्थान पर, उत्पादक ने अपने वितरण चैनल का गलत विवरण प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया कि रिसुन एचके ने सीधे भारत के ग्राहकों को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ किए जाने पर भी उत्पादक एवं उसकी संबंधित इकाइयों ने सही एवं पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

132. यह भी नोट किया जाता है कि परिशिष्ट 3क में रिसुन एचके ने ग्राहकों के पूर्ण नाम प्रदान नहीं किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहचान संबंधी विवरण, जिनसे प्राधिकारी यह निर्धारित कर सकते थे कि उपभोक्ता भारत में स्थित नहीं है, जैसे "***", "***", "***." तथा "***", हटा दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, "***" को की गई बिक्री, जो *** में स्थित है, को "***" के रूप में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, "***" को की गई बिक्री, जो *** में स्थित है, को "***" के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इससे उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

133. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि रिसुन वेई शान द्वारा प्रस्तुत उत्तर पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त एवं सटीक जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को किए गए निर्यात के ***% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारियों ने भी भागीदारी नहीं की है। अतः प्राधिकारी इस उत्पादक को अलग शुल्क दर प्रदान नहीं करते हैं तथा प्रारंभिक जॉच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

4. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) पी टी वाई लिमिटेड

134. ब्लूस्कोप स्टील (एआईएस) पी टी वाई लिमिटेड (ब्लूस्कोप) द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, इसने भारत को *** मीट्रिक टन का निर्यात किया है, जिसमें से *** मीट्रिक टन का प्रत्यक्ष निर्यात किया गया है। शेष निर्यात दो व्यापारियों, अर्थात् *** एवं *** के माध्यम से किया गया है।

ब्लूस्कोप → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
ब्लूस्कोप → ***
ब्लूस्कोप → ***

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ब्लूस्कोप ने विचाराधीन उत्पाद का महत्वपूर्ण मात्रा में, जो कुल मात्रा का लगभग *** के बराबर है, असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात किया है। उक्त असंबद्ध व्यापारियों ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर सहयोग नहीं किया है। चूंकि भारत को किए गए महत्वपूर्ण निर्यात के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी यह पाते हैं कि उत्पादक को अलग पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है तथा प्रारंभिक जॉच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

136. ब्लूस्कोप ने अनुरोध किया है कि *** का अधिग्रहण जांच अवधि के दौरान किसी अन्य कंपनी द्वारा किया गया है तथा *** ने केवल *** को निर्यात किया है, जिसने भारत में भागीदारी की है और आयात कीमत का सत्यापन *** द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से किया जा सकता है। इस पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार *** ने अन्य पक्षकारों को भी बिक्री की है, और चूंकि उक्त निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है, अतः ब्लूस्कोप के दावों का सत्यापन संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि *** ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, उसने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः ऐसी जानकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

137. इस संबंध में कि ऑस्ट्रेलिया स्थित व्हायल्ला स्टीलवर्क्स से आयात को पहुंच कीमत की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनकी परिपाटी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से भारत को किए गए आयातों को पहुंच कीमत के निर्धारण हेतु सम्मिलित किया गया है। भले ही किसी उत्पादक ने उत्पादन बंद कर दिया हो, तथापि उसने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है, अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे उत्पादक के निर्यातों पर

विचार करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार व्हायल्ला स्टीलवर्क्स द्वारा ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया गया है।

5. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन

138. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, इसने विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन का भारत को प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने संबंधित व्यापारियों, अर्थात् *** के माध्यम से निर्यात किया है। *** ने आगे उक्त उत्पाद का भारत को प्रत्यक्ष रूप से तथा एक संबंधित पक्ष, अर्थात् *** के माध्यम से निर्यात किया है। *** ने आगे इसे एक असंबद्ध व्यापारी को पुनर्विक्रय किया, जिसने आगे भारत को निर्यात किया।

मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन → *** → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन → *** → *** → असंबद्ध व्यापारी → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

139. यद्यपि मित्सुबिशी जापान ने वर्तमान जांच में भागीदारी की है, *** ने उत्तर प्रस्तुत करने एवं सहयोग करने में विफलता दिखाई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ***% निर्यात *** द्वारा किए गए हैं, जिसने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि *** ने अपने उत्तर में *** के पुनर्विक्रय संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है। तथापि, यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी को परिशिष्ट 5 सहित भाग-I एवं भाग-II में अतिरिक्त जानकारी संबंधित व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। प्राधिकारी के निर्देश स्पष्ट हैं कि *"विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में संलग्न किसी भी अन्य गैर-उत्पादक संबंधित इकाई को भाग-I एवं भाग-II के साथ परिशिष्ट-5 प्रस्तुत करना आवश्यक है।"* इसके अतिरिक्त, *** ने उक्त उत्पाद को एक असंबद्ध व्यापारिक इकाई को बेचा है तथा भारत को प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया है। उक्त असंबद्ध व्यापारी ने भी प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। संबंधित पक्ष तथा आगे के व्यापारी द्वारा आवश्यकतानुसार पूर्ण उत्तर प्रस्तुत न किए जाने के कारण, प्राधिकारी यह पाते हैं कि उत्पादक को अलग पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है तथा प्रारंभिक जॉच परिणाम की पुष्टि करते हैं।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

<u>ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य</u>

140. ब्लूस्कोप लिमिटेड को छोड़कर, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है और न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, ब्लूस्कोप लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उत्तर को व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण हेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है, जिसे विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों के समुचित समायोजन तथा युक्तिसंगत लाभ जोड़कर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात कीमत</u>

141. ऑस्ट्रेलिया से सभी असहयोगी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

142. चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर करार तथा एससीएम करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य

कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

एससीएम करार के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम करार के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

143. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में, उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होते हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी जानकारी बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

144. वर्तमान मामले में, चीन के किसी भी उत्पादक ने उत्तर प्रस्तुत करके इस जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो इस प्रकार है:

7.''गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

145. आवेदक ने यह दावा किया है कि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, अन्य देशों में होने वाले आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे आयात विभिन्न कोड के अंतर्गत हैं। भारत में होने वाले आयात की कीमत पर भी विचार नहीं किया जा

सकता क्योंकि भारत में उनका पाटन किया जा रहा है। अतः, आवेदक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 के तहत सूचीबद्ध किसी अन्य आधार को प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके। अतः, प्राधिकारी ने आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, भारत में देय कीमत के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

<u>चीन जनवादी गणराज्य के लिए निर्यात कीमत</u>

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चीन जनवादी गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>कोलंबिया के लिए सामान्य मूल्य</u>

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोलंबिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। कोलंबिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़ने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, कोलंबिया के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>कोलंबिया के लिए निर्यात कीमत</u>

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोलंबिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। कोलंबिया के सभी असहयोग करने वाले

उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

149. पीटी डेटियन, पीटी किनरुई और रिसुन वेई शान को छोड़कर किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। ऊपर यथा उल्लिखित, उक्त तीन उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों पर अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़ने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत

150. इंडोनेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान के लिए सामान्य मूल्य

151. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन को छोड़कर किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। ऊपर यथा उल्लिखित, मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़ने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, जापान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान के लिए निर्यात कीमत

152. जापान के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>रूस के लिए सामान्य मूल्य</u>

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। रूस के सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़ने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, रूस के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>रूस के लिए निर्यात कीमत</u>

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। रूस के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.4. पाटन मार्जिन

155. प्रारंभिक जांच परिणामों में, प्रतिशत में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को क्रमशः सामान्य मूल्य और क्षति-रहित कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया था। अब इसे संशोधित कर क्रमशः निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। तथापि, इसका प्रारंभिक जांच परिणामों में अधिसूचित शुल्क की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि समग्र रूप में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर आधारित था। ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार परिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य, जैसा निर्धारित किया गया है, विषय देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन के अनुसार सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निम्नानुसार है।

पाटन मार्जिन

विवरण	यूनिट	ऑस्ट्रेलिया	चीन	कोलंबिया	इंडोनेशिया	जापान	रूस
परिकलित सामान्य	अम	***	***	***	***	***	***

मूल्य	डा/एमटी						
निर्यात कीमत	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज	20-30%	50-60%	50-60%	20-30%	10-20%	55-65%

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

156. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण केवल तीन घरेलू उत्पादकों के आंकड़ों पर आधारित है, जबकि घरेलू उद्योग में इससे अधिक उत्पादक शामिल हैं, जो उपयुक्त नहीं है।

ii. जापान से आयातों का अन्य संबद्ध देशों, विशेषकर चीन एवं इंडोनेशिया, के साथ संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जापान से आयात क्षति अवधि के दौरान घटे हैं, अन्य संबद्ध देशों की तुलना में काफी कम हैं तथा उनकी कीमतें अधिक हैं।

iii. जापान से आयातित मेट कोक, विशेषकर एमसीसी, एवं घरेलू उत्पादित वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियां समान नहीं हैं, क्योंकि जापान से आयातित मेट कोक एवं स्थानीय रूप से उत्पादित मेट कोक की गुणवत्ता में अंतर है।

iv. जापान से आयातित मेट कोक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है तथा आर्सेलरमित्तल जापान से मेट कोक आयात करने वाले प्रमुख आयातकों में से एक है। अतः जापानी वस्तुएं घरेलू उत्पादित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं।

v. जापान से आयातों में कमी आई है तथा ये देश को आवंटित कोटा के लगभग आधे तक ही सीमित रहे हैं। चूंकि आयात ऐतिहासिक मात्रा के आधार पर निर्धारित कोटा से कम हैं, अतः इन्हें वृद्धि के रूप में नहीं माना जा सकता।

vi. जापान से आयातों की कीमतें सर्वाधिक हैं। इंडोनेशिया एवं चीन, जो कुल आयात का 62% हिस्सा रखते हैं, उनकी कीमतें जापान से कम हैं। जापान के लिए कीमत कटौती केवल 0-20% है।

vii. जापान से निर्यातित वस्तुओं की बिक्री कीमत उनकी उत्पादन लागत से अधिक है तथा वे केवल उच्च ग्रेड के मेट कोक को दीर्घकालिक अनुबंधों के अंतर्गत निर्यात करते हैं। पोलैंड को संबद्ध देश के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि पोलैंड से आयात अनुबंध के अंतर्गत हुए हैं।

viii. जापान से आयात मुख्यतः दो खरीदारों तक सीमित हैं, उच्च गुणवत्ता के हैं तथा उनका उपयोग विशिष्ट एवं सीमित है। जापान से आयातों में गिरावट को देखते हुए ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले आयातों को बाहर रखा जाना चाहिए।

ix. चूंकि निप्पोन कोक एंड इंजीनियरिंग कं. लि. द्वारा उत्पादित वस्तु उच्च गुणवत्ता की है तथा तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित या अन्य संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं है, अतः जापान से आयातों का संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।

x. आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि 2022-23 में मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण जापान से आयातों में सीमित वृद्धि हुई। कुल मिलाकर जापान से आयात घटे हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री एवं ऑस्ट्रेलिया से आयात स्वतंत्र रूप से संचालित हुए। आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि का परिणाम है।

xi. यदि ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को देखा जाए, तो मांग 2013-14 में 6.5 मिलियन एमटी से बढ़कर जांच अवधि में 6.6 मिलियन एमटी हो गई है। आयातों में वृद्धि इसी का स्वाभाविक परिणाम है।

xii. 6.6 लाख एमटी की मांग के मुकाबले, व्यापारी उत्पादकों की क्षमता केवल 3.6 मिलियन एमटी है, जिससे आयात आवश्यक हो जाते हैं।

xiii. इंडोनेशिया एवं चीन को छोड़कर, अन्य संबद्ध देशों से आयातों में मुख्यतः गिरावट आई है।

xiv. यद्यपि जांच अवधि में आयात बढ़े हैं, परंतु जनवरी 2025 से इस उत्पाद पर मात्रात्मक प्रतिबंध लागू होने के कारण उसके बाद आयातों में वृद्धि का आकलन करना संभव नहीं है, जो वर्तमान क्षति के लिए सार्थक आधार प्रदान कर सके।

xv. घरेलू उद्योग जानबूझकर उत्पादन को आबद्ध उपभोग की ओर ले जा रहा है, जैसा कि बिक्री की तुलना में आबद्ध उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट है। इससे मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न होता है, जिसके कारण आयात आवश्यक हो जाते हैं।

xvi. देश-वार पहुंच कीमत के प्रकटन के अभाव में हितबद्ध पक्षकार टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

xvii. जहां आयातित मेट कोक की कीमतें ऑस्ट्रेलियाई कोकिंग कोयले की कीमतों के अनुरूप रही हैं, वहीं घरेलू उद्योग की कीमतें स्थिर बनी रही हैं।

xviii. ऑस्ट्रेलिया से आयातित वस्तुओं की कीमतें अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक हैं, जबकि ये आयात शुल्क मुक्त हैं। अतः ऑस्ट्रेलिया से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करने की संभावना नहीं रखते हैं।

xix. रक्षोपाय जांच में प्राधिकारी ने पाया कि 2022-23 एवं 2023-24 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कोकिंग कोयले की पहुंच कीमतें अधिक थीं। परिणामस्वरूप इस अवधि में मेट कोक की पहुंच कीमतें भी अधिक रहीं। इसके बाद कीमतों में कोई भी सुधार गिरावट के रूप में नहीं माना जा सकता।

xx. आधार वर्ष से 2022-23 के बीच आयातों में वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि हुई। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग को कीमतें घटाने के लिए बाध्य नहीं किया था।

xxi. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत की तुलना में पहुंच मूल्य कम है, जो विदेशी उत्पादकों को प्राप्त प्राकृतिक लाभों के कारण है। रक्षोपाय जांच में भी यह उल्लेख किया गया था कि चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्पादक कोकिंग कोयला घरेलू स्तर पर प्राप्त करते हैं, जिससे उन देशों में संभार तंत्र लागत कम होती है, जबकि भारतीय कंपनियां कोयले का आयात करती हैं, जिससे उन्हें भारी लागत वहन करनी पड़ती है।

xxii. चूंकि घरेलू उद्योग की लागत उसके विक्रय मूल्य से अधिक रही है, अतः कथित कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण कच्चे माल की उच्च कीमतों, प्रचालन अक्षमताओं तथा निवेश के पैमाने एवं प्रकृति के कारण है।

xxiii. कोकिंग कोयले की कीमतों में 40% की गिरावट के अनुरूप मेट कोक की कीमतों में भी कमी आई है।

xxiv. मात्रात्मक प्रतिबंधों द्वारा संरक्षित होने के बावजूद, घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं बना रहा तथा लागत एवं कीमत के बीच का अंतर कम नहीं हुआ।

xxv. चूंकि जापान एवं ऑस्ट्रेलिया से आयातों का हिस्सा चीन एवं इंडोनेशिया की तुलना में कम था, इसलिए उनका घरेलू कीमतों पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं हो सकता था।

xxvi. क्षति अवधि के अधिकांश भाग में घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य उसकी बिक्री लागत के अनुरूप रहे हैं। अतः यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई कीमत संबंधी क्षति नहीं हुई है।

xxvii. भारत में आयात कीमत विचाराधीन उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों पर आधारित हैं।

xxviii. आवेदक ने क्षति अवधि के प्रथम तीन वर्षों के लिए कीमत कटौती से संबंधित कोई जानकारी प्रदान नहीं की है।

xxix. वेदांता माल्को लिमिटेड के वित्तीय प्रकटन क्षति अवधि के दौरान मेट कोक की कीमतों में वैश्विक उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं।

xxx. समग्र रूप से, बेंचमार्क कोकिंग कोयले की कीमतों में 40% की गिरावट आई, जिसके साथ मेट कोक की कीमतों में भी गिरावट आई। घरेलू उद्योग का निष्पादन आयात की मात्रा या कीमतों की तुलना में कच्चे माल की लागत में बदलाव के साथ अधिक निकटता से संबंधित है।

xxxi. यद्यपि क्षमता, उत्पादन, बिक्री मात्रा एवं कीमत में वृद्धि हुई है, तथापि निर्यात बिक्री में कमी आई है। लाभप्रदता में गिरावट घरेलू उद्योग के निर्यात में कमी के कारण है।

xxxii. क्षति अवधि के दौरान क्षमता विस्तार के कारण घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

xxxiii. जहां निर्यात बिक्री में कमी आई है, वहीं मालसूची में वृद्धि को केवल घरेलू बिक्री से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जॉच परिणाम यह पुष्टि नहीं करते कि रिपोर्ट की गई लाभप्रदता एवं बिक्री में निर्यात बिक्री शामिल नहीं है।

xxxiv. क्षति अवधि के प्रथम वर्ष में घरेलू उद्योग लाभकारी था। जिंदल कोक लिमिटेड ने महत्वपूर्ण लाभ मार्जिन की सूचना दी है तथा क्षमता उपयोग में भी सुधार किया है।

xxxv. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट विचाराधीन उत्पाद की अपस्ट्रीम कीमत श्रृंखला में कीमत उतार-चढ़ाव के कारण है।

xxxvi. यद्यपि 2023-24 में घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि हुई, तथापि नियोजित पूंजी पर आय में वृद्धि हुई।

xxxvii. जांच अवधि के पश्चात कोयले की कीमतों में और कमी होने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार होने की संभावना है।

xxxviii. प्रारंभिक निर्धारण में यह स्वीकार किया गया है कि जांच अवधि के दौरान पोलैंड से आयात महत्वपूर्ण मात्रा में हुए हैं, तथापि इसके बावजूद प्राधिकारी तथा आवेदक ने उच्च आयात कीमतों के आधार पर पोलैंड को संबद्ध देशों में शामिल नहीं किया है। जबकि पोलैंड से आयात क्षतिरहित कीमत से कम हैं।

xxxix. यदि मालभाड़ा लागत को समायोजित किया जाए, तो जापान से आयात का पहुंच मूल्य पोलैंड से आयात के पहुंच मूल्य से अधिक होगा। अतः जापान से आयातों को बाहर किए जाने की आवश्यकता है।

xl. यदि कोई क्षति हुई है, तो वह जापान के अतिरिक्त अन्य देशों से आयातों के कारण हुई है।

xli. घरेलू उद्योग को हुई क्षति एमएफएन शुल्क दरों में कमी तथा इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के तहत टैरिफ उदारीकरण के कारण है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल ऐसे देशों से आयातों के कारण है।

xlii. अनुशंसित शुल्क की राशि पोलैंड एवं रूस की कीमतों के बीच अंतर से कहीं अधिक है। यदि पोलैंड से आयात क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, तो प्रस्तावित शुल्क कथित क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक राशि से अधिक है और इससे घरेलू उद्योग को अत्यधिक संरक्षण मिलेगा, जिससे डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं पर अनुचित भार पड़ेगा।

xliii. अन्य घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति आंतरिक अक्षमताओं के कारण है। जिंदल कोक, जो कुल आंकड़ों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखता है, ने पूरी क्षति अवधि के दौरान लाभ अर्जित किया है।

xliv. घरेलू उद्योग के उच्च मालसूची यह दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग अन्य कारकों, जैसे गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के कारण प्रचालन अक्षमताओं का सामना कर रहा है।

xlv. घाटे में वृद्धि आयातों के कारण नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग की अक्षमताओं के कारण है, क्योंकि इसने कभी भी अपनी क्षमता के 50% से अधिक पर संचालन नहीं किया, जिससे उच्च स्थिर लागत एवं प्रचालन अक्षमताएं उत्पन्न हुईं।

xlvi. घरेलू उद्योग का कम क्षमता उपयोग संरचनात्मक सीमाओं, जैसे पुरानी तकनीक, खंडित क्षमता, कोयले की सीमित उपलब्धता तथा अत्यधिक उत्पादन लागत के कारण है, न कि संबद्ध आयातों के कारण।

xlvii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी निर्यात में गिरावट, उच्च ब्याज लागत, मालसूची में वृद्धि तथा कमीशन, मालभाड़ा एवं छूट पर बढ़ते व्यय के कारण हुई है।

xlviii. घरेलू उत्पाद की आपूर्ति ट्रकों के माध्यम से की जाती है, जिससे लागत बढ़ती है, जबकि आयात बड़े जहाजों के माध्यम से आते हैं, जिससे घरेलू आपूर्ति में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती है।

xlix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट क्षमता विस्तार के कारण हो सकती है, जिसके चलते क्षति अवधि के दौरान कीमतह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है।

l. भाटिया कोक एंड एनर्जी क्षति अवधि के दौरान लगभग 125.9 करोड़ रुपये के बकाया के भुगतान न करने के कारण बैंकों के एक संघ द्वारा दिवालियापन कार्यवाही के अधीन रहा है। ऐसी कार्यवाही के अंतर्गत, कॉर्पोरेट देनदार कंपनी का संचालन मूल्य संरक्षण के उद्देश्य से करता है, न कि लाभ अर्जन के उद्देश्य से। अतः क्षति संबद्ध आयातों के कारण नहीं हुई है।

li. प्राधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भाटिया कोक पर दिवालियापन कार्यवाही का क्षति विश्लेषण पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा।

lii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उसकी स्वयं की अक्षमताओं के कारण है, न कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण। घरेलू उद्योग लागत के दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धी नहीं है।

liii. कच्ची सामग्री की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता, जो बिक्री कीमत में गिरावट के साथ मिलकर, लाभप्रदता को प्रभावित करती है, जैसा कि बीएलए कोक प्रा. लि. और मालको एनर्जी लि. के संबंध में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दर्ज किया गया है।

liv. मेट कोक के विदेशी उत्पादकों के पास एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनमें आबद्ध विद्युत संयंत्र और रिकवरी प्रकार के ओवन शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण उप-उत्पाद उत्पन्न करते हैं। इन उप-उत्पादों से प्राप्त लाभ के माध्यम से लागत में कमी ग्राहकों

को स्थानांतरित की जाती है। इसके विपरीत, घरेलू उत्पादकों ने उप-उत्पादों से प्राप्त आय या ऊर्जा उत्पादन दक्षताओं को शामिल किए बिना आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। घरेलू उद्योग की संरचनात्मक अक्षमता के लिए पाटन को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

lv. इस्पात मंत्रालय और कोयला मंत्रालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि भारत में कोकिंग कोयला पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता में उपलब्ध नहीं है। यदि घरेलू उद्योग कोयला घरेलू स्तर पर प्राप्त करता है, तो उसे उत्पाद को धोने में अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है।

lvi. सौराष्ट्र फ्यूल्स की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उत्पाद में नमी में परिवर्तन होता है, जिससे संचालन बाधित होता है, हैंडलिंग लागत बढ़ती है तथा उत्पादकता में कमी आती है।

lvii. यद्यपि घरेलू उत्पादकों को (क) खदान से बंदरगाह, (ख) पत्तन से मालसूची यार्ड/कारखाना तथा (ग) कारखाने से उपभोक्ताओं तक मालभाड़ा वहन करना पड़ता है, वहीं विदेशी उत्पादकों के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है या वे कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जिससे मालभाड़ा लागत कम होती है।

lviii. क्षतिरहित कीमत अनुचित है, क्योंकि नमूना लिए गए तीन उत्पादकों में से दो कोक का आबद्ध उपभोग करते हैं।

lix. भाटिया कोक द्वारा दर्ज असाधारण मदों के अंतर्गत उच्च शुल्कों की जांच की जानी चाहिए।

lx. क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग के क्षति के दावों का आकलन करते समय उच्च कीमतह्रास और ब्याज लागतों को समायोजित किया जाना चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

157. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति केवल आयात की मात्रा में वृद्धि पर आधारित नहीं है, बल्कि आयात की कम कीमतों पर भी आधारित है। चूंकि रक्षोपायों ने मात्रा को सीमित कर दिया था, इसलिए ऐसे उपाय लागू होने के बावजूद क्षति बनी रही।

ii. वर्तमान मामले में आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है, क्योंकि संचयन की सभी शर्तें पूरी होती हैं।

iii. आयातों के संचयन के लिए पाटनरोधी करार में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं। प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी को देश-वार मात्रा और कीमत का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि ईसी - मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग्स के संबंध में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में भी देखा गया है।

iv. चूंकि संचयन की शर्तें पूरी हो चुकी हैं, अतः क्षति की जॉच सभी संबद्ध देशों के लिए सामूहिक रूप से की जानी चाहिए, न कि केवल जापान के लिए अलग से।

v. देश में अनेक उपभोक्ता जापान और भारत से प्राप्त उत्पाद का परस्पर उपयोग करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग इन उत्पादों के लिए जापान से आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

vi. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि जापान से आयात अनुबंध के तहत हो रहे हैं। कई पक्षकार जापान से विचाराधीन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, जिनमें से अनेक के पास जापानी उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रदर्शित नहीं किया गया है कि ऐसे दीर्घकालिक अनुबंधों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता या आपूर्ति को घरेलू उत्पादकों की ओर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

vii. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जापान से निर्यात केवल दो कंपनियों को होता है, तथापि कम से कम 10 आयातकों ने जापान से इस उत्पाद का आयात किया है।

viii. भले ही जापानी उद्योग प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य कर रहा हो, जापान से पाटन ने भारत में उचित बाजार परिस्थितियों को प्रभावित किया है तथा जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

ix. यदि जापानी उत्पादक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो यह स्थिति भारतीय सरकार द्वारा सुधारने योग्य नहीं है। जापानी उत्पादकों को अपने उत्पादन को अपने घरेलू बाजारों पर केंद्रित करना चाहिए, न कि अपनी क्षमताओं को भारतीय बाजार के लिए उपयोग करना चाहिए।

x. क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष भी वृद्धि हुई है।

xi. संबद्ध आयात भारत में कुल आयात का अधिकांश हिस्सा रखते हैं।

xii. आयातों में वृद्धि, मांग में वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक है। जहां क्षति अवधि के दौरान मांग में 40% की वृद्धि हुई, वहीं संबद्ध आयातों में 179% की वृद्धि हुई है। अतः आयातों में वृद्धि केवल बढ़ती मांग का परिणाम नहीं है।

xiii. 2013-14 और वर्तमान अवधि के बीच आयात प्रवृत्तियों की तुलना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस अवधि के दौरान ही आयातों में वृद्धि हो चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। यदि 2012-13 की तुलना वर्तमान जांच अवधि से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि जहां व्यापार मांग में केवल 2% की वृद्धि हुई है, वहीं आयातों में 25% की वृद्धि हुई है।

xiv. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, वर्तमान जांच अवधि के दौरान कोई मात्रात्मक प्रतिबंध लागू नहीं था। जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा पर पाटन के अतिरिक्त किसी अन्य कारक का प्रभाव नहीं था।

xv. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

xvi. संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा बिक्री लागत, दोनों से कम है।

xvii. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू विक्रय मूल्य आयातों के पहुंच मूल्य से केवल थोड़ा अधिक है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने हानि पर बिक्री की है, फिर भी आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध रहे।

xviii. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, तथापि बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में हुई वृद्धि से कम रही है। अतः संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

xix. 2022-23 से पहुंच मूल्य बिक्री लागत से कम बना हुआ है तथा बिक्री लागत और पहुंच मूल्य के बीच अंतर प्रत्येक वर्ष बढ़ता गया है।

xx. भले ही संबद्ध देशों के उत्पादकों को क्षति अवधि के दौरान लागत लाभ प्राप्त रहा हो, तथापि 2021-22 में संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक था। तथापि, इसके बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

xxi. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच में प्राधिकारी ने यह माना था कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ था, क्योंकि आयात भारतीय बाजार में ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे थे जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में हुए परिवर्तनों के अनुरूप नहीं थीं।

xxii. यह तथ्य कि मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी लागत और कीमत के बीच अंतर कम नहीं हुआ, भारत में संबद्ध वस्तुओं के बड़े पैमाने पर पाटन का परिणाम है।

xxiii. घरेलू उद्योग मुख्यतः कच्चा माल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से प्राप्त करता है। चूंकि संबद्ध देशों से आयात कीमत कच्चे माल की लागत से कम है, अतः यह तर्क कि ऐसी कीमतें कोकिंग कोयले की कीमतों के अनुरूप हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

xxiv. कीमत कटौती का आकलन जांच अवधि के लिए किया जाना चाहिए, न कि संपूर्ण क्षति अवधि के लिए। घरेलू उद्योग ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए कीमत ह्रास और न्यूनीकरण से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है।

xxv. यहां तक कि यदि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को कमीशन, मालभाड़ा और छूट को शामिल किए बिना भी देखा जाए, तो वह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

xxvi. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, तथापि क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में कमी आई है।

xxvii. देश में इतनी मांग उपलब्ध है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकता है, फिर भी घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में कमी आई है।

xxviii. घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्षमता बढ़ाई है। इसका उत्पादन और बिक्री इसलिए बढ़े क्योंकि उसने हानि पर बिक्री की थी। घरेलू उद्योग का कुल घाटा प्रत्येक टन बिक्री के साथ बढ़ता गया है।

xxix. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन घटा है। यह गिरावट इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में और अधिक स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने हानि पर बिक्री की है।

xxx. जहां उत्पादन में गिरावट आई है तथा घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को हानि पर बेचा है, वहीं घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में मालसूची में कमी आई है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने और अधिक हानि पर बिक्री की है।

xxxi. संबद्ध देशों से आयात देश की मांग में लगभग आधा बाजार हिस्सा रखते हैं। घरेलू उद्योग तथा अन्य देशों से आयातों का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान घटा है।

xxxii. घरेलू उद्योग तथा संपूर्ण भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति अवधि के दौरान घटा है।

xxxiii. जहां 2021-22 में संबद्ध आयात भारतीय बाजार का केवल 26% या एक-चौथाई हिस्सा थे, वहीं अब संबद्ध आयात भारत की मांग का 50% से अधिक हिस्सा रखते हैं।

xxxiv. यद्यपि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया और हानि पर बिक्री की, फिर भी घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

xxxv. घरेलू उद्योग को 2022-23 से हानि हो रही है। यद्यपि 2023-24 और जांच अवधि में पहुंच मूल्य में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुछ सुधार हुआ, तथापि यह लाभकारी स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था।

xxxvi. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जहां आधार वर्ष में घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा था, वहीं इसके बाद उसे वित्तीय हानि हुई है। साथ ही, घरेलू उद्योग के घाटे वर्ष-दर-वर्ष बढ़े हैं और जांच अवधि में सर्वाधिक रहे हैं।

xxxvii. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकद घाटा हुआ है।

xxxviii. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

xxxix. 2023-24 के दौरान घरेलू उद्योग ने अत्यंत नगण्य आय अर्जित किया, जिसे "वृद्धि" नहीं माना जा सकता है।

xl. 2022-23, 2023-24 तथा जांच अवधि के दौरान वित्तीय और नकद घाटों के कारण घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

xli. एक बार जब जिंदल कोक घरेलू उद्योग का हिस्सा बन जाता है, तो उसका व्यक्तिगत निष्पादन अप्रासंगिक हो जाता है और उसे घरेलू उद्योग के अन्य घटकों से अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षति विश्लेषण संपूर्ण घरेलू उद्योग के लिए किया जाना आवश्यक है, न कि उसके भागों या घटकों के लिए।

xlii. इस अवधि के दौरान जिंदल कोक के लाभ में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।

xliii. यद्यपि रक्षोपायों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में कुछ सुधार हो सकता है, तथापि ऐसे उपाय अस्थायी अवधि के लिए थे। चूंकि उत्पादकों और निर्यातकों ने जांच अवधि में, जो रक्षोपाय जांच में विचाराधरीन अवधि के पश्चात की है, पाटन किया है और इससे घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है, अतः संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

xliv. चूंकि कच्चे माल की लागत उत्पादन लागत का 90% होती है, अतः तैयार उत्पाद की कीमतों में कच्चे माल की लागत के अनुरूप उतार-चढ़ाव होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ है।

xlv. घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण हुई है। अन्य कोई ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

xlvi. पोलैंड से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत, दोनों से अधिक है, तथा संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य से भी अधिक है।

xlvii. पोलैंड से आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों से अधिक है तथा संबद्ध आयातों की कीमत से भी अधिक है।

xlviii. पोलैंड को संबद्ध देश के रूप में शामिल करने का अनुरोध एक उपभोक्ता द्वारा किया गया है। तथापि, पोलैंड को संबद्ध देश के रूप में शामिल न किए जाने से किसी उपभोक्ता को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

xlix. रूस पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश क्षति मार्जिन के आधार पर की गई है, अतः यह रूसी उत्पादकों द्वारा किए जा रहे वास्तविक पाटन से कम है। शुल्क का निर्धारण अन्य देशों से आयात की कीमतों के संदर्भ में करने की आवश्यकता नहीं है।

l. चूंकि मेट कोक एक वस्तु उत्पाद है, अतः संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप पोलैंड से आयात की कीमतों में भी वृद्धि होने की संभावना है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आवेदक पोलैंड से आयातों पर शुल्क लगाए जाने हेतु प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।

li. घरेलू उद्योग को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात कारकों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

lii. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो आंतरिक अक्षमताओं या घरेलू उद्योग के लागत-प्रतिस्पर्धी न होने को दर्शाता हो।

liii. संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत का प्रमुख घटक कोकिंग कोयला है, जो कुल लागत का 90% से अधिक है, जिसे घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्राप्त करता है। अतः यह कहना कि घरेलू उद्योग लागत-प्रतिस्पर्धी नहीं है, सही नहीं है।

liv. भारत में कोकिंग कोयले की अनुपलब्धता घरेलू उद्योग की एक अंतर्निहित विशेषता है, जो अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही है। कच्चे माल के आयात पर घरेलू उद्योग की निर्भरता, कारणात्मक संबंध के विश्लेषण में प्रासंगिक नहीं है, जैसा कि यूरोपीय संघ - बायोडीजल (अर्जेंटिना) मामले में माना गया है।

lv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। चूंकि पहुंच मूल्य कोकिंग कोयले की कीमत से भी कम है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति उच्च कच्चे माल की कीमतों के कारण हुई है।

lvi. कोकिंग कोयला केवल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में उपलब्ध है। अन्य संबद्ध देशों के विदेशी उत्पादक भी कोयला आयात करते हैं और दावा किए गए अनुसार बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं हैं।

lvii. यह प्रदर्शित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी उत्पादक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से खदानों से जुड़े हुए हैं।

lviii. हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी किसी नई अक्षमता की पहचान नहीं की है जो क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को प्रभावित करने लगी हो। यह स्थापित सिद्धांत है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाना

चाहिए, और प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताओं के लिए गैर-आरोपण विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।

lix. नमी में परिवर्तन जैसे कारक नए नहीं हैं, बल्कि उत्पाद की अंतर्निहित विशेषता हैं। अतः क्षति के लिए इसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

lx. चूंकि घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी में क्षति अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा आधार वर्ष में घरेलू उद्योग लाभकारी था, अतः क्षति के लिए घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधाओं को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

lxi. रिकवरी संयंत्र में निवेश और प्रचालन लागत अत्यधिक होती है। यदि घरेलू उद्योग के पास रिकवरी प्रकार के संयंत्र होते, तो उत्पादन लागत और क्षतिरहित कीमत वर्तमान से अधिक होती।

lxii. यदि भविष्य में लाभप्रदता में सुधार होता है तथा पाटन समाप्त हो जाता है, तो अन्य हितबद्ध पक्षकार मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं।

lxiii. भाटिया कोक वर्ष 2022 तक कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया के अधीन था, जिसके पश्चात इसे एक्वा टेरा द्वारा अधिग्रहित किया गया। जांच अवधि के दौरान इसे स्वतंत्र और नए प्रबंधन द्वारा संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य अन्य व्यवसायों की भांति लाभ अधिकतम करना था।

lxiv. भाटिया कोक के वित्तीय विवरणों में दर्ज असाधारण मदों को प्राधिकारी को प्रस्तुत लागत प्रारूपों का हिस्सा नहीं माना गया है।

lxv. चूंकि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए भी घटा है, अतः क्षति का कारण केवल ब्याज लागत नहीं है।

lxvi. चूंकि घरेलू उद्योग ने अपने घरेलू और निर्यात निष्पादन के संबंध में पृथक-पृथक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, अतः दावा की गई क्षति निर्यात के कारण नहीं हुई है।

lxvii. कोविड-19 को छह वर्ष हो चुके हैं, अतः इस चरण पर किसी भी मामले में सार्वजनिक हित विश्लेषण हेतु अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

lxviii. बाद की अवधि में क्षति मार्जिन और अधिक बढ़ गया है। अतः यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

158. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रत्युत्तरों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों पर विचार किया गया है।

159. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उत्पादकों में से एक दिवालियापन कार्यवाही के अधीन है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे मुद्दों के लिए डीजीटीआर उचित प्राधिकारी नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भाटिया कोक वर्ष 2022 तक दिवालियापन कार्यवाही के अधीन था। इसके पश्चात उक्त उत्पादक को एक्वा टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा खरीद लिया गया था और अब इसका संचालन एक नए स्वतंत्र प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। चूंकि जांच अवधि के दौरान उत्पादक दिवालियापन कार्यवाही के अधीन नहीं है, अतः पूर्व में हुई ऐसी कार्यवाहियों से क्षति विश्लेषण प्रभावित नहीं होता है।

160. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति विश्लेषण उचित नहीं है क्योंकि यह केवल तीन नमूना उत्पादकों के लिए किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षति विश्लेषण समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए किया गया है। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग में नौ उत्पादक शामिल हैं और क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से ऐसे उत्पादकों के संचयी निष्पादन की जांच की गई है। वर्तमान जांच में निदर्शन केवल क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के सीमित उद्देश्य के लिए किया गया है।

1. क्षति का संचयी मूल्यांकन

161. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात के विरुद्ध एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन तभी करेंगे, जब वे यह निर्धारित होता है कि:

i प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के कुल आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है, या जहाँ अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ वे आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के कुल आयात का सात प्रतिशत से अधिक हैं, और

ii आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है।

162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा व्यक्तिगत रूप से कुल आयात की मात्रा के 3% से अधिक है।

iii. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से होने वाले आयात न केवल प्रत्येक संबद्ध देश द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पाद के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

163. उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकारी ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का घरेलू उद्योग पर संचयी रूप से मूल्यांकन करना उचित समझते हैं।

164. जापान से होने वाले आयातों को गैर-संचयी करने के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से आयात की मात्रा कुल आयात की मात्रा के 3% से अधिक है, जापान के उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन 'न्यूनतम' सीमा से अधिक है और रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि ऐसे आयात अन्य संबद्ध देशों से होने वाले आयातों या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि जापान के उत्पादकों ने कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के समान वस्तु नहीं है, किंतु प्राधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पाद के लिए समान वस्तु का उत्पादन किया है। इसके अलावा, जापान से आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता में भिन्नता का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि जापानी उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती, तो वे इसके लिए बेहतर कीमत वसूल सकते थे। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग

की बिक्री कीमत से कम है। अतः, प्राधिकारी ने सभी संबद्ध देशों से होने वाले आयातों के संचयन विचार किया है।

165. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि जापान से संबद्ध वस्तु का आयात भारत में केवल एक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों के अनुसार, कई कंपनियों ने जापान से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, जिन संस्थाओं ने जापान से संबद्ध वस्तु का आयात किया है, उन्होंने घरेलू उद्योग से भी संबद्ध वस्तु की खरीद की है। इस प्रकार, जापान से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के साथ-साथ अन्य संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, एक ही उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं और इस प्रकार, एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

166. इस अनुरोध के संबंध में कि एक संबद्ध देश से आयात कीमत अन्य संबद्ध देशों की तुलना में अधिक थी और मात्रा कम थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों के संचयन के लिए इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन सभी जांचों में जहाँ एक से अधिक देशों के आयातों का एक साथ मूल्यांकन किया जाता है, एक देश से आयात कीमत हमेशा दूसरे की तुलना में अधिक होगी और मात्रा अन्य देशों की तुलना में कम या अधिक हो सकती है। यदि संचयी मूल्यांकन के लिए ऐसी तुलना आवश्यक होती, तो किसी भी जांच में आयातों का संचयी मूल्यांकन करना संभव नहीं होता।

167. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जापान से होने वाले आयातों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे अनुबंध के अधीन हैं और यह स्थिति पोलैंड के समान है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोलैंड का पहुंच मूल्य जापान से होने वाले आयात की कीमत से बहुत अधिक है। इसके अलावा, पोलैंड से आयात का पहुंच मूल्य बिक्री लागत, बिक्री कीमत और साथ ही सभी संबद्ध देशों से होने वाले आयात की कीमत से अधिक है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
जापान से पहुच कीमत	रु./एमटी	29,941
पोलेंड से पहुच कीमत	रु./एमटी	34,090
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
घरेलू उद्योग की बिक्री लागत	रु./एमटी	***
कीमत कटौती		
पोलेंड	रु./एमटी	नकारात्मक
जापान	रु./एमटी	सकारात्मक
लागत कटौती		

पोलेंड	रु./एमटी	नकारात्मक
जापान	रु./एमटी	सकारात्मक

2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

168. वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु, भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से होने वाले आयातों के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार मूल्यांकित की गई मांग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083
आबद्ध खपत	एमटी	6,662	0	1,37,268	2,17,230
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	11,98,008	10,35,742	9,12,230	9,39,285
संबद्ध आयात	एमटी	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
अन्य आयात	एमटी	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
कुल मांग	एमटी	47,31,503	57,58,934	59,32,081	66,10,837

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि के दौरान भारत में निरंतर वृद्धि हुई है और जांच अवधि के दौरान यह मांग उच्चतम स्तर पर थी।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

170. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
ऑस्ट्रेलिया	एमटी	1,16,925	2,96,324	1,69,401	1,36,749

चीन जन गण	एमटी	1,24,044	9,44,638	6,80,467	7,39,508
कोलंबिया	एमटी	5,28,332	5,55,586	5,67,205	3,61,969
इंडोनेशिया	एमटी	69,932	2,53,672	8,59,057	17,52,886
जापान	एमटी	3,45,603	3,80,420	2,63,742	2,19,726
रूस	एमटी	47,168	1,73,944	2,60,383	2,23,968
अन्य आयात	एमटी	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
कुल आयात	एमटी	24,28,939	35,47,220	36,26,196	42,47,239
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	50%	124%	140%	172%
खपत	%	26%	45%	47%	52%
कुल आयात	%	51%	73%	77%	81%

171. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों में क्षति अवधि के दौरान 179% की वृद्धि हुई है।

ii. आयातों में उत्पादन और खपत के सापेक्ष भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारत में कुल खपत का 52% हिस्सा रखते हैं।

iii. जहां आधार वर्ष में संबद्ध आयात भारत में कुल आयात का 51% थे, वहीं क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात की मात्रा दोगुनी से अधिक हो गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारत में कुल आयात का 81% हिस्सा रखते हैं।

iv. संबद्ध आयातों में वृद्धि की दर, मांग में वृद्धि की दर से अधिक रही है। जहां आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारत में मांग में 40% की वृद्धि हुई, वहीं उसी अवधि में संबद्ध आयातों में 179% की वृद्धि हुई है।

172. इस अनुरोध के संबंध में कि आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर की है। घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंडों में वृद्धि, घरेलू उद्योग द्वारा लाभप्रदता से समझौता करने के कारण हुई है।

173. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यदि ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को देखा जाए, तो 2013-14 से मांग में वृद्धि हुई है और इसी कारण आयातों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि की तुलना 2013-14 से करते हुए मांग और आयात की मात्रा की तुलना करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी स्थिति में, देश में व्यापारी मांग 2013-14 की तुलना में घटी है, तथापि भारत में आयात उसी अनुपात में नहीं घटे हैं।

विवरण	2013-14*	पीओआई	परिवर्तन
भारत में आयात	39,26,125	42,47,239	+8%
व्यापारिक मांग	64,98,780	63,93,607	-2%

**जैसा कि प्राधिकारी द्वारा ऑस्ट्रेलिया और चीन से मेट कोक के आयात संबंधी पाटनरोधी जांच [संख्या 14/9/2015-डीजीएडी] में विचार किया गया था।*

174. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि 2013-14 वह अवधि थी जिसमें पाटन के कारण भारत में आयातों में वृद्धि हुई थी तथा प्राधिकारी ने उक्त अवधि के आयातों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की अवधि को आधार माना जाए, तो यह देखा जाता है कि 2012-13 के बाद भारत में आयातों में वृद्धि, मांग में हुई वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक रही है।

विवरण	2012-13*	पीओआई	परिवर्तन
भारत में आयात	31,34,149	42,47,239	+36%
व्यापारिक मांग	59,63,382	63,93,607	+7%

**जैसा कि प्राधिकारी द्वारा ऑस्ट्रेलिया और चीन से मेट कोक के आयात पर पाटनरोधी जांच [संख्या 14/9/2015-डीजीएडी] में विचार किया गया था।*

175. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग की तुलना में काफी कम है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में व्यापारी क्षमता, व्यापारी मांग से अधिक है। प्राधिकारी ने इस विषय की जॉच इस प्रकटन विवरण के संगत हिस्से में की है।

176. इस अनुरोध के संबंध में कि आयात जनवरी 2025 से मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन हैं और उनमें वृद्धि संभव नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में क्षति विश्लेषण जांच अवधि के लिए किया गया है। जांच अवधि के पश्चात आयात मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन थे। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकटन विवरण जारी किए जाने के समय ऐसे उपाय समाप्त हो चुके हैं। अतः रक्षोपायों की अवधि के दौरान हुए आयात वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

177. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग जानबूझकर उत्पादन को आबद्ध उपभोग की ओर स्थानांतरित कर रहा है, जिसके कारण मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न हो रहा है और आयात आवश्यक हो जाते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का आबद्ध उपभोग भारत में उपलब्ध क्षमता की तुलना में काफी सीमित है। इस प्रकार का नगण्य आबद्ध उपभोग देश में मांग-आपूर्ति अंतर उत्पन्न नहीं करता है।

विवरण	**यूनिट**	**पीओआई**
क्षमता	एमटी	36,16,031
आबद्ध क्षमता	एमटी	2,17,230
क्षमता के संबंध में आबद्ध खपत	%	6%

3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

178. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव का परीक्षण कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में किया गया है।

क कीमत कटौती

179. कीमत कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है।

विवरण	यूनिट	राशि
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
पंहुच कीमत	रु./एमटी	27,024

कीमत कटौती	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	15-25%

180. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं तथा कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि उसकी बिक्री लागत से भी कम है।

181. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने देश-वार पहुंच मूल्य के प्रकटन का अनुरोध किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के लिए समग्र रूप से तथा वर्तमान जांच के अधीन प्रत्येक देश के लिए भी कीमत कटौती सकारात्मक है।

विवरण	यूनिट	ऑस्ट्रेलिया	चीन	कोलंबिया	इंडोनेशिया	जापान	रूस
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
पंहुच कीमत	रु./एमटी	28,563	24,059	24,999	28,096	29,941	27,897
कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20%	30-40%	25-35%	10-20%	0-10%	10-20%

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

182. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	105	102
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
पंहुच कीमत	रु./एमटी	32,618	37,733	28,916	27,024

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	89	83

183. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में हुई वृद्धि से कम रही। 2022-23 में आयात कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत और बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से भी कम रही। 2023-24 में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत में कमी आई, परंतु बिक्री कीमत में कमी, बिक्री लागत में हुई कमी से अधिक रही। जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत में और कमी आई। जांच अवधि में पहुंच मूल्य, बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों से कम रहा, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें घटाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जबकि उसकी कीमतें पहले से ही बिक्री लागत से कम थीं। समग्र रूप से, जहां क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई, वहीं बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम रही। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है तथा ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है, जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ सकती थीं।

184. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयात कीमत कोकिंग कोयले की कीमतों के अनुरूप है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य कच्चे माल, अर्थात् कोकिंग कोयले की कीमतों से भी कम है। जहां घरेलू उद्योग की बिक्री लागत कच्चे माल की लागत में हुए परिवर्तनों के अनुरूप रही है, वहीं पहुंच मूल्य में भारत में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह इस स्तर तक पहुंच गया है कि यह घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से भी कम है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
पंहुच कीमत	रु./एमटी	32,618	37,733	28,916	27,024
कोकिंग कोयले की कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	123	121

185. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि 2022-23 और 2023-24 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण कोकिंग कोयले का पहुंच मूल्य अधिक था और परिणामस्वरूप मेट कोक की कीमतें भी अधिक थीं। पहुंच मूल्य में कमी केवल कीमत सुधार है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि यदि कोई कीमत सुधार हुआ भी हो, तो वह इस सीमा तक नहीं हो सकता कि अंतिम उत्पाद का पहुंच मूल्य भारत में उस उत्पाद के कच्चे माल की लागत से भी कम हो जाए तथा निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम हो।

186. इस तर्क के संबंध में कि आधार वर्ष की तुलना में 2022-23 में आयात बढ़ने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम था और आयातों ने कीमतों पर कोई दबाव नहीं डाला, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 46% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग अपने बिक्री कीमत में केवल 25% की वृद्धि कर सका। अतः कम कीमतों पर बढ़े हुए आयातों ने उक्त अवधि में भी घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है।

187. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, जो प्राकृतिक लाभों के कारण है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे प्राकृतिक लाभ पूरी क्षति अवधि के दौरान विद्यमान रहे हैं। आधार वर्ष में संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक था। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भले ही विदेशी उत्पादकों को प्राकृतिक लाभ प्राप्त हों, उन्होंने भारतीय बाजार में पाटन का सहारा लिया है। साथ ही, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार, ये प्राकृतिक लाभ केवल ऑस्ट्रेलिया और चीन के उत्पादकों को प्राप्त हैं, तथापि ऐसे उत्पादकों ने वर्तमान तथा पूर्ववर्ती जांचों में भी पाटन किया है। उक्त देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, क्योंकि वहां के उत्पादकों ने अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाए थे।

188. इस तर्क के संबंध में कि मात्रात्मक प्रतिबंध लागू होने के बावजूद लागत और कीमत के बीच अंतर कम नहीं हुआ, जिससे घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुएं मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन नहीं थीं।

189. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वेदांता मालको एनर्जी के वित्तीय विवरण वैश्विक स्तर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के उत्पादकों ने भारत में उत्पाद का पाटन किया है। यदि कम कीमतें केवल वैश्विक कीमत उतार-चढ़ाव के कारण होतीं, तो विदेशी उत्पादकों के घरेलू बाजार में भी कीमतें कम होतीं।

4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

190. नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी। जहाँ तक घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयात के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियम आगे यह प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति से संबंधित सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के

उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, तथा नकदी प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर पड़ने वाले वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव सम्मिलित हैं।

191. विभिन्न तथ्यों और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति के मानकों की वस्तुनिष्ठ रूप से जॉच की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

192. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है: -

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
क्षमता	एमटी	31,61,750	33,48,531	34,38,531	36,16,031
उत्पादन	एमटी	16,26,523	14,47,193	14,45,028	14,42,008
क्षमता उपयोग	%	51%	43%	42%	40%
घरेलू बिक्री	एमटी	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083

193. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, तथापि उत्पादन में गिरावट आई है।

ii. भारत में मांग घरेलू उद्योग की क्षमताओं से अधिक है, अतः मांग इतनी पर्याप्त है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उक्त वृद्धि केवल लाभप्रदता को गंवाने के कारण हुई है।

194. इस संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमताओं में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल क्षमता उपयोग ही नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग का वास्तविक उत्पादन भी घटा है। जबकि घरेलू उद्योग ने क्षमताओं

में वृद्धि की है और भारत में मांग भी बढ़ी है, इसके बावजूद उत्पादन में गिरावट आई है। अतः क्षमता उपयोग में गिरावट को क्षमताओं में वृद्धि के कारण नहीं माना जा सकता।

ख) बाजार हिस्सेदारी

195. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध आयात तथा अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	23%	20%	23%	22%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	25%	18%	15%	14%
संबद्ध आयात	%	26%	45%	47%	52%
अन्य आयात	%	25%	16%	14%	12%

196. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग तथा समग्र भारतीय उद्योग दोनों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

ii. अन्य देशों से आयात की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है।

iii. मांग में संबद्ध आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है तथा संबद्ध आयात बाजार की लगभग आधी हिस्सेदारी रखते हैं। संबद्ध आयातों ने भारतीय उद्योग के साथ-साथ अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी भी अपने अधीन कर ली है।

ग) मालसूची

197. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
आरंभिक स्टॉक	एमटी	***	***	***	***

अंतिम स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	1,04,260	1,64,201	2,19,746	1,99,085

198. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। जबकि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की बिक्री हानि पर की है तथा घरेलू उद्योग का उत्पादन भी घटा है, इसके बावजूद घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

घ) लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ

199. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है: -

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	105	102
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(18)	(22)	(37)
कुल लाभ/(हानि)	₹/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(19)	(26)	(41)
नकद लाभ	₹/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(2)	(2)	(14)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%सूचीबद्ध	100	2	10	(10)

200. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जबकि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया था, इसके पश्चात उसे केवल घाटे ही हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के बाद घरेलू उद्योग की हानियां वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी हैं।

ख. यद्यपि घरेलू उद्योग हानि पर बिक्री करके अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा, तथापि घरेलू उद्योग की कुल हानियां बढ़ी हैं।

ग. नकद लाभ में उल्लेखनीय गिरावट आई है और स्थिति ऐसी हो गई है कि घरेलू उद्योग को न केवल जांच अवधि में, बल्कि 2022-23 और 2023-24 में भी नकद हानियां हुई हैं।

घ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय ने भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

ङ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

201. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और वेतन का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	1,809	1,822	1,942	1,900
मजदूरी	₹/लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	97	93
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	4,647	4,135	4,129	5,341
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	899	794	744	759

202. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान क्षमताओं में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

च) वृद्धि

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
क्षमता	%	-	6%	3%	5%
उत्पादन	%	-	(11)%	(0.1)%	(0.2)%
घरेलू बिक्रियॉ	%	-	7%	7%	(4)%
लाभ/हानि	%	-	(118)%	(23)%	(65)%
नकद लाभ	%	-	(102)%	(11)%	(495)%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	(98)%	307%	(198)%

203. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. जांच अवधि तक घरेलू उद्योग की क्षमता में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानक, जिनमें उत्पादन तथा घरेलू बिक्री शामिल हैं, जांच अवधि में कम हुए हैं।

iii. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानकों में क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को 2022-23, 2023-24 तथा जांच अवधि में वित्तीय घाटा और नकद घाटा हुआ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ी हैं तथा क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है।

iv. नियोजित पूंजी पर आय ने 2022-23 में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की, तथापि 2023-24 में इसमें सुधार हुआ। जांच अवधि में नियोजित पूंजी पर आय ने पुनः नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

204. चूंकि संबद्ध आयातों का कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, अतः इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव उत्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत तथा बिक्री लागत से भी कम पर हुए हैं। इससे घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और नकद हानियां हुई हैं। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी की है तथा ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है, जो

अन्यथा बढ़ गई होती। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

ज) पाटन की मात्रा तथा पाटन मार्जिन

205. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है तथा पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

206. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को 2022-23, 2023-24 तथा जांच अवधि में वित्तीय हानि और नकद हानि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। ऐसी स्थिति में, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

207. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत, जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु की पंहुच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत को लिया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय शामिल न हों। नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर युक्तिसंगत आय (कर-पूर्व 22%) कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई, और तदनुसार क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया गया है।

208. सहयोगी निर्यातकों के लिए पंहुच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पंहुच कीमत का निर्धारण किया है।

209. इस अनुरोध के संबंध में कि भाटिया कोक के संबंध में असाधारण मदों हेतु बड़े प्रभारों को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने कंपनी के वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई असाधारण मदों को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु विचार में नहीं लिया है।

210. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित पंहुच कीमत तथा क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है तथा उसका विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है: -

विवरण	**यूनिट**	**ऑस्ट्रेलिया**	**चीन**	**कोलंबिया**	**इंडोनेशिया**	**जापान**	**रूस**
क्षतिरहित कीमत	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
पंहुच कीमत	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम डा/एमटी	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज	20-30%	40-50%	35-45%	20-30%	10-20%	20-30%

ग. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

211. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मौजूदगी और घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच करने के उपरांत, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति को नियमावली के तहत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

212. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के अलावा, जांच की अवधि के दौरान केवल पोलैंड से महत्वपूर्ण मात्रा में आयात हुआ है। तथापि, पोलैंड से होने वाले आयात की कीमतें संबद्ध देशों से होने वाले आयात की कीमतों की तुलना में अधिक हैं। इसलिए, क्षति के लिए तीसरे देशों से होने वाले आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

213. इन अनुरोधों के संबंध में कि पोलैंड से होने वाले आयातों को बाहर रखा गया है, भले ही वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोलैंड से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ-साथ बिक्री लागत से भी अधिक है। यदि घरेलू उद्योग ने पोलैंड से प्राप्त कीमतों के बराबर कीमतों पर बिक्री की होती, तो उसे लाभ प्राप्त होता। इसके अलावा, ऐसी कीमतें संबद्ध देशों से होने वाले आयातों के पहुंच मूल्य से भी अधिक हैं। अतः, पोलैंड से होने वाले आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला नहीं माना जा सकता है।

214. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रूस से होने वाले आयातों पर अनुशंसित पाटन रोधी शुल्क अधिक है और पोलैंड की कीमतों को पाटन रोधी शुल्क लगाने के लिए बेंचमार्क माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश के लिए किसी अन्य देश की कीमतों को बेंचमार्क के रूप में मानने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में 'कमतर शुल्क नियम' का पालन किया है। यद्यपि रूस के निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है, फिर भी प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्क की सिफारिश की है, यद्यपि पाटन मार्जिन अधिक था।

ख. मांग में संकुचन

215. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। अतः, क्षति के लिए मांग में किसी भी संकुचन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ग. खपत की प्रवृति

216. विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

217. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ नहीं हैं, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

218. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग पुरानी तकनीक का उपयोग करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में विकास के संबंध में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू

उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हुई हो। इसके अलावा, घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभदायक था, जबकि वह उसी तकनीक का उपयोग कर रहा था।

च. उत्पादकता

219. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में घरेलू उद्योग के उत्पादन में परिवर्तन के साथ बदलाव आया है। अतः, क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

220. यहाँ ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः, क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

221. क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में जानकारी अलग से प्रदान की है।

झ. कुछ संबद्ध देशों के साथ मुक्त व्यापार करार

222. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और जापान के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित एफटीए के कारण एमएफएन शुल्क दरों में कमी की वजह से हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से कम है। अतः, क्षति केवल उन देशों से आयातों की कम कीमत के कारण नहीं हुई है जिनके साथ भारत ने एफटीए हस्ताक्षरित किया है।

223. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी देशों से सीमा शुल्क जांच की अवधि से पहले ही न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया गया था। घरेलू उद्योग वर्ष 2021-22 में लाभदायक था, जब सीमा शुल्क वही थे जो जांच की अवधि के दौरान थे। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, ऑस्ट्रेलिया से आयातों का पहुंच मूल्य अधिकांश देशों की तुलना में अधिक है, यद्यपि उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता है।

ञ. आंतरिक अक्षमताएं

224. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दलील दी है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति आंतरिक अक्षमताओं के कारण है, तथापि, इस संबंध में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह आगे नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में उत्पाद की प्रकृति ऐसी है कि कच्चे माल, यानी कोकिंग कोल की लागत, कुल उत्पादन लागत के 90% से अधिक है। ऐसी स्थिति में, आंतरिक अक्षमता, यदि कोई हो, तो वह काफी सीमित है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से भी कम है। प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान है। अतः, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्षति आंतरिक अक्षमता या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता के कारण है न कि भारत में पाटन के कारण।

ट. उच्च ब्याज और कीमतह्रास लागत

225. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उच्च ब्याज लागत के कारण होने संबंधी दलीलों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए, जिसमें ब्याज या कीमतह्रास लागत शामिल नहीं होती है, उसमें भी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके अलावा, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए नकारात्मक है। अतः, घरेलू उद्योग को अपने ब्याज दायित्वों को पूरा करने से पहले ही घाटा हुआ है।

विवरण	**यूनिट**	2021-22	2022-23	2023-24	**पीओआई**
मूल्यह्रास	रु./एमटी	***	***	***	***
मूल्यह्रास	सूचीबद्ध	100	113	143	162
ब्याज	रु./एमटी	***	***	***	***
ब्याज	सूचीबद्ध	100	153	232	212
ईबीआईटीडीए	लाख रू.	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	2	9	-8
ईबीआईटीडीए	रु./एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	100	2	8	-8

ठ. कमीशन, माल-भाड़ा और छूट में वृद्धि

226. इन अनुरोधों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति कमीशन, माल-भाड़ा और छूट में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि इन व्ययों पर विचार किए बिना भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार किया जाए, तो भी वह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। अतः, क्षति के लिए ऐसी लागतों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ड. भाटिया कोक एंड एनर्जी का संचालन लाभ के उद्देश्यों के लिए न होना

227. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति इस तथ्य के कारण है कि भाटिया कोक एंड एनर्जी दिवाला कार्यवाही के अधीन थी और इसका संचालन कॉर्पोरेट डेब्टर द्वारा किया जा रहा था न कि लाभ कमाने के उद्देश्यों के लिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त उत्पादक वर्ष 2022 तक दिवाला कार्यवाही के अधीन था और उसके पश्चात इसे एक्वा टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा खरीद लिया गया था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उक्त उत्पादक का संचालन लाभ कमाने के उद्देश्यों के साथ एक स्वतंत्र प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। अतः, पूर्व की दिवाला कार्यवाही वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति को प्रभावित नहीं करती है।

ढ़. कच्ची सामग्री की कीमतों में अस्थिरता

228. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता के कारण हुई है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत में कच्चे माल की लागत का हिस्सा 90% से अधिक है। ऐसी स्थिति में, संबद्ध वस्तु की कीमतों में कच्चे माल की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलाव होना चाहिए। चूंकि, घरेलू उद्योग कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव के अनुसार कीमतें वसूलने में सक्षम नहीं रहा है, और आयात कच्चे माल की लागत से कम स्तर पर बना हुआ है, इसलिए क्षति संबद्ध आयातों के कारण हुई मानी जाएगी।

ण. घरेलू उद्योग के अंतर्निहित कारक

229. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि जहां विदेशी उत्पादकों के पास रिकवरी टाइप ओवन के साथ एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं हैं, वहीं घरेलू उद्योग के पास स्टैंडअलोन संयंत्र हैं जिसके कारण उसे क्षति हुई है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत में कोकिंग कोल की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं

कि घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का प्रकार और कच्चे माल की उपलब्धता घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताएं हैं। क्षति की अवधि के दौरान ऐसी विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके कारण इसे क्षति हुई हो। घरेलू उद्योग के उन अंतर्निहित कारकों के लिए किसी 'गैर-आरोपण विश्लेषण' की आवश्यकता नहीं है, जो पूरी अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहे हैं। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को उसके वर्तमान स्थिति के रूप में ही देखा जाना आवश्यक है।

झ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

230. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनिक हित के विरुद्ध है और इससे कथित क्षति का समाधान नहीं होगा।
ii. पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करने से घरेलू उद्योग अपनी परिचालन क्षमता में सुधार करने और उन्नत तकनीकों को अपनाने के प्रति हतोत्साहित हो सकता है।
iii. घरेलू उद्योग व्यापार उपचारात्मक जांचों का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग व्यापार उपचारात्मक उपायों पर अत्यधिक निर्भर है।
iv. आयात प्रतिबंधों को वापस लेना एक सचेत नीतिगत निर्णय को दर्शाता है कि निरंतर संरक्षण को आवश्यक और जनहित में नहीं माना गया था।
v. कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा तक सस्ती पहुंच के मिशन को ध्यान में रखते हुए, शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुएं अलाभकारी हो जाएंगी।
vi. घरेलू उद्योग पहले से ही लागू सुरक्षा उपायों द्वारा संरक्षित है।
vii. मात्रात्मक प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें जुलाई 2025 में ₹ 28,500 प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर दिसंबर 2025 में ₹ 32,000 प्रति मीट्रिक टन कर दीं। इंडियन स्टील एसोसिएशन की एक हाल की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि कई गैर-एकीकृत इस्पात उत्पादक 2025 की अंतिम तिमाही में उत्पादन में औसतन 15% की कटौती करने के लिए मजबूर हुए हैं।
viii. प्रारंभिक जॉच परिणाम ने अनंतिम शुल्क को उचित ठहराने के लिए ऐतिहासिक हानियों पर भरोसा किया था। तथापि, उसके बाद से घरेलू उद्योग

की कीमतों में वृद्धि हुई है, और फलस्वरूप, 2025 के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ होगा।

ix. पाटन रोधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग की इनपुट लागत बढ़ जाएगी और इस्पात उत्पादकों की लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार के स्तर में गिरावट आएगी।

x. इस्पात की आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान का राष्ट्रीय आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह 1991-92 में 22 मीट्रिक टन की क्षमता से विकसित होकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यह जीडीपी में 2% का योगदान देता है और प्रत्यक्ष रूप से 5 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को रोजगार देता है। प्राधिकारी ने 'नॉन-अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स' से संबंधित सुरक्षा जांच में इस्पात उद्योग के महत्व को देखा है।

xi. शुल्क लगाने से इस्पात उद्योग और उससे संबद्ध वस्तुओं की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह वियतनाम, चीन, तुर्की, कोरिया और यूरोपीय संघ जैसे प्रतिस्पर्धियों के पक्ष में भारतीय इस्पात निर्माताओं के अवसरों को कम कर देगा।

xii. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कच्चे माल की आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रू. के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। घरेलू मेट कोक को उच्च ऊर्जा लागत, पर्यावरणीय प्रतिबंधों तथा तकनीकी सीमाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आपूर्ति बाधित होती है।

xiii. एक महत्वपूर्ण कच्चे माल पर व्यापार उपचार उपायों का निरंतर लागू रहना उद्योग को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत 300 मिलियन मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक देगा।

xiv. जहाँ एएमएनएस ने 25% रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध किया था, वहीं प्राधिकारी ने 12% शुल्क की सिफारिश की, जिसे क्रमिक रूप से उदार किया जाना है। ऐसे में, एक महत्वपूर्ण कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से इस्पात उद्योग की चुनौतियाँ और बढ़ जाएँगी।

xv. चूँकि इस्पात एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उत्पाद है, अतः शुल्क लगाए जाने से इस्पात उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों पर प्रभाव पड़ेगा।

xvi. चूँकि मिश्र धातु इस्पात के लंबवत उत्पादों के आयात पर कोई व्यापार उपचार उपाय लागू नहीं है, अतः मेट कोक पर शुल्क लगाने से ऐसे उत्पादों के आयात में वृद्धि हो सकती है।

xvii. नियो मेटालिक्स ने भारत में संबंधित वस्तु के निर्माण हेतु अपनी क्षमता का विस्तार किया है और उसे दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता है। नियो मेटालिक्स घरेलू उत्पादकों से खरीद करता रहा है, तथा अपर्याप्त और असंगत आपूर्ति और दीर्घकालिक अनुबंधों के अभाव के कारण संबंधित देशों से न्यूनतम मात्रा में आयात भी करता है। शुल्क लगाए जाने से उपलब्ध स्रोत सीमित हो जाएँगे।

xviii. नियो मेटालिक्स की वार्षिक क्षमता 4,00,000 मीट्रिक टन है, यह लगभग 1,500 कर्मचारियों को रोजगार देता है तथा इसने 1,000 करोड़ रू. का निवेश किया है। नियो मेटालिक्स भी एक महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग है, और प्राधिकारी को उस पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

xix. भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर है और इसे पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है।

xx. प्राधिकारी को मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग के पात्र उत्पादन या क्षमता पर भरोसा करना चाहिए था।

xxi. मांग-आपूर्ति अंतर का विश्लेषण अन्य उत्पादकों की अप्रमाणित क्षमता पर आधारित है, जबकि मांग को कम करके आँका गया है। उपयोगकर्ताओं द्वारा डीजीएफटी को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, भारत में वर्तमान मांग 100 लाख मीट्रिक टन है, जिससे कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन का मांग-आपूर्ति अंतर स्पष्ट होता है।

xxii. भारत में आयात इस मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने और भारतीय इस्पात उद्योग, जिसकी क्षमता विस्तार की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, का समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

xxiii. जिंदल कोक की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा समूह कंपनियों को किया जाता है, अतः जिंदल कोक द्वारा उत्पादन में वृद्धि भी मांग-आपूर्ति अंतर को दूर नहीं कर पाएगी।

xxiv. मेट कोक के लिए घरेलू व्यापारी क्षमता सीमित, केंद्रित तथा तकनीकी रूप से अपर्याप्त है, विशेषकर तब जब इस्पात क्षमता का विस्तार हो रहा है। शुल्क लगाए जाने से कमी उत्पन्न हो सकती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता भारतीय उपयोगकर्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

xxv. घरेलू आपूर्ति में गुणवत्ता और संभार तंत्र संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं के कारण आयात आवश्यक है, क्योंकि घरेलू उत्पादों में कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिडक्शन कम तथा कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स अधिक है।

xxvi. चूँकि 9 घरेलू उत्पादक भारतीय उत्पादन का 72% हिस्सा रखते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि भारतीय क्षमता 6.7 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि इन 9 उत्पादकों की क्षमता केवल 3.6 मिलियन मीट्रिक टन थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक जॉच परिणाम में 6.7 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता में आबद्ध उत्पादकों की क्षमता भी शामिल की गई है, जो उचित नहीं है क्योंकि वे उत्पाद को व्यापारी बाजार में नहीं बेचते हैं।

xxvii. प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि शुल्क का कोई प्रभाव नहीं होगा, रक्षोपाय जांच के निष्कर्षों पर भरोसा किया है, जो उचित नहीं है क्योंकि रक्षोपाय जांच में उत्पाद पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था।

xxviii. मेट कोक डाउनस्ट्रीम इस्पात उत्पादों के उत्पादन लागत का 30-50% हिस्सा बनाता है। शुल्क लगाए जाने से इस उद्योग की लागत संरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

xxix. प्रभाव का आकलन कई त्रुटियों से ग्रस्त है और एएमएनएस द्वारा किए गए आकलन को ही माना जाना चाहिए। एचआर इस्पात की कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि हाल ही में संपन्न रक्षोपाय जॉच में प्राधिकारी ने स्वयं कीमत ₹50,000 से ₹55,000 प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कुल मांग में व्यापारी उत्पादकों और आयात का हिस्सा 10% है या नहीं है।

xxx. शुल्क के प्रभाव का आकलन प्रत्येक आयातक/इस्पात उत्पादक द्वारा वहन की गई लागत के संदर्भ में किया जाना चाहिए। प्रभाव को व्यापारी उत्पादकों और आयात के हिस्से के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है।

xxxi. एएसपीए के सदस्यों के पास मेट कोक का आबद्ध उत्पादन नहीं है और वे शुल्क से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

xxxii. प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव प्राधिकारी के प्रारंभिक जॉच परिणाम में दर्शाए गए प्रभाव से कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें यह मान लिया गया है कि यदि 10 मीट्रिक टन हॉट रोल्ड कॉइल के उत्पादन के लिए 5 मीट्रिक टन मेट कोक की आवश्यकता है, तो 4.5 मीट्रिक टन मेट कोक शुल्क से प्रभावित नहीं होगा। साथ ही, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा बताए गए उपभोग मानकों को स्वीकार किया है, जो प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दी गई जानकारी कि 1 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन के लिए 500 से 600 किलोग्राम मेट कोक आवश्यक है, के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, इस्पात की कीमत वास्तविक कीमत से काफी अधिक मानी गई है।

xxxiii. 1 मीट्रिक टन एचआर इस्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक आयातित मेट कोक की लागत जापान से आयातित मेट कोक के लिए 32% और चीन से आयातित मेट कोक के लिए 104% तक बढ़ सकती है, जिससे कुल वार्षिक प्रभाव लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। इस प्रकार की वृद्धि इस्पात उद्योग के पहले से कम लाभ मार्जिन को और कम कर देगी।

xxxiv. एसएलआर ने शुल्क के प्रभाव को 5-15% के दायरे में बताया है।

xxxv. प्रयोक्ताओं द्वारा दर्शाए अनुसार, 20% शुल्क से प्रयोक्ताओं के लिए कुल लागत में लगभग 5-11% की वृद्धि होती है। प्रयोक्ताओं के अनुरोधों को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए कि पिछले वर्ष उच्च कीमतों के कारण उनकी लाभप्रदता प्रभावित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

xxxvi. पिग आयरन के निर्माण पर शुल्क लगाए जाने का प्रभाव लगभग ₹3,000 से ₹5,000 प्रति मीट्रिक टन है।

xxxvii. यदि घरेलू स्रोत से मेट कोक खरीदना भी आवश्यक हो, तब भी आर्सेलरमित्तल को उपयुक्त गुणवत्ता वाले मेट कोक का मिश्रण तैयार करना

पड़ेगा, जो भारत में उपलब्ध नहीं है और जिसे आयात करना अनिवार्य है। जब मेट कोक के आयात पर सुरक्षा उपाय लागू थे, तब आर्सेलरमित्तल को उच्च गुणवत्ता वाले आयातित कोक के स्थान पर निम्न गुणवत्ता वाले घरेलू कोक के उपयोग के कारण उत्पादन में हानि उठानी पड़ी थी।

xxxviii. चूँकि कोक का उपयोग मिश्रण में किया जाता है और इसके मानक उत्पादक के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, इसलिए विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से अलग-अलग आकार के कोक की खरीद करना उचित नहीं है, भले ही यह मान लिया जाए कि घरेलू उत्पादक सामूहिक रूप से पूरी मांग को पूरा कर सकते हैं।

xxxix. चूँकि कोई एकल घरेलू उत्पादक बड़े पैमाने पर आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है, प्रयोक्ताओं को कई आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करना पड़ता है और उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

xl. घरेलू कोक की कीमत आयातित कोक की तुलना में ₹8,000-10,000 प्रति मीट्रिक टन अधिक है, जिससे छोटे ब्लास्ट फर्नेस संचालकों के लिए महत्वपूर्ण लागत असमानता उत्पन्न होती है।

xli. प्रयोक्ता उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि को ग्राहकों पर बिना बिक्री में कमी के स्थानांतरित नहीं कर पाएगा, जिससे अंततः प्रयोक्ता उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों के आयात में वृद्धि होगी।

xlii. उपायों का निरंतर लागू रहना दक्षता सुधार और तकनीकी उन्नयन को बाधित करता है तथा प्रयोक्ता उद्योग में निवेश और प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है।

xliii. उपायों का लागू होना निर्माण, अवसंरचना और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का प्रभाव डालेगा।

xliv. भारत में कोक की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन है, क्योंकि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में अधिशेष क्षमता है, जबकि ये उत्पादक पूर्वी क्षेत्रों में प्रभावी आपूर्ति नहीं कर पाते। अधिकांश घरेलू कोक निर्माता सड़क परिवहन पर निर्भर हैं, जिससे प्रयोक्ताओं के लिए संभार तंत्र बोझ बढ़ता है।

xlv. पूर्वी क्षेत्र तक कोक के आंतरिक परिवहन की लागत लगभग ₹4,000 से ₹5,000 प्रति मीट्रिक टन है, जबकि परिवहन के दौरान गुणवत्ता में गिरावट

आती है, जिससे कुल प्रभाव ₹7,000 से ₹9,000 प्रति मीट्रिक टन तक पहुँच जाता है।

xlvi. विचाराधीन 20-40 मिमी उत्पाद के प्रयोक्ता झारखंड और पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसे उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में उत्पादक वित्तीय संकट में आ सकते हैं, जिससे संचालन बंद होने और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की संभावना है।

xlvii. पाटनरोधी शुल्क लगाना दीर्घकालिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश सहयोग के व्यापक उद्देश्य के विपरीत होगा। बढ़ती लागत और नीतिगत अनिश्चितता भारत में एएम/एनएसआई जैसे प्रमुख जापानी निवेशों की व्यवहार्यता को कमजोर करेगी और नए निवेश को हतोत्साहित करेगी।

xlviii. यद्यपि विदेशी निवेशकों ने भारत में संचालन विस्तार, सहयोग और डाउनस्ट्रीम निवेश में रुचि दिखाई है, फिर भी व्यापार नीति में अनिश्चितता दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।

xlix. आयातित कोक, जो तकनीकी रूप से उन्नत संयंत्रों में और कम दक्षताओं के साथ उत्पादित होता है, का समर्थन करना पेरिस करार के तहत देश के दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप होगा।

l. यद्यपि घरेलू उत्पादक तुरंत उत्पादन बढ़ा सकें, तथापि उन्हें कच्चे माल की खरीद के लिए 6 से 8 महीने का समय लगेगा, जिससे घरेलू उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करना शुरू कर सके।

li. अतीत में पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग को दी गई समग्र सुरक्षा, डब्लूटीओ ढाँचे के अंतर्गत अपेक्षित उपचारात्मक उद्देश्य से अधिक हो सकती है।

lii. यदि शुल्क लगाए भी जाते हैं, तो संतुलित दृष्टिकोण के तहत 20-30 अम.डा. प्रति मीट्रिक टन के दायरे में कम शुल्क, तथा इस्पात संयंत्रों और फेरो अलॉय उत्पादकों जैसे सत्यापित अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए छूट या रियायती शुल्क पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने और बाजार दुरुपयोग को रोकने हेतु एक निगरानी तंत्र अपनाया जाना चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

231. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हितों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. सार्वजनिक हित का निर्धारण निम्नलिखित के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए– (क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ता, (ग) उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योग, तथा (घ) जनसाधारण।

ii. व्यापार उपचार उपाय संरक्षण नहीं हैं, बल्कि विदेशी देशों के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा की गई अनुचित व्यापार प्रथाओं के परिणामस्वरूप उठाया गया उपचारात्मक कदम हैं।

iii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अतीत में ऐसे शुल्कों का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

iv. उपभोक्ताओं के हित में यह है कि एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग हो, जो प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो। बाजार में कीमतें तभी निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बनी रह सकती हैं जब घरेलू उत्पादन मौजूद हो।

v. यदि उपभोक्ता आयातित सामग्री पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें अधिक मात्रा में मालसूची बनाए रखना पड़ता है, जबकि घरेलू उद्योग से खरीद की स्थिति में मालसूची का स्तर कम रखा जा सकता है।

vi. यद्यपि उत्पाद पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय लागू थे, फिर भी डाउनस्ट्रीम उद्योग को कोई हानि नहीं हुई। प्रयोक्ताओं से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने निष्पादन पर पिछले उपायों के प्रतिकूल प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत करें।

vii. डाउनस्ट्रीम उद्योग, मेट कोक का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग की तुलना में कहीं बड़ा है।

viii. विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख मांग इस्पात क्षेत्र में है, जहाँ प्रमुख निर्माताओं के पास आबद्ध कोक ओवन संयंत्र हैं और वे शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे। फेरोएलॉय उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को उपायों के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः यह उद्योग भी शुल्क से प्रभावित नहीं होगा।

ix. शुल्क लगाए जाने से इस्पात उत्पादन के लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्पाद के घरेलू व्यापारी उत्पादकों के पास भारत में संपूर्ण व्यापारी मांग को पूरा

करने की क्षमता पहले से ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, देश के 90% इस्पात निर्माता व्यापारी बाजार पर निर्भर नहीं हैं।

x. जहाँ घरेलू उत्पादक पाटन के कारण प्रभावित हो रहे हैं, वहीं डाउनस्ट्रीम उद्योग को भारत सरकार द्वारा सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने की नीति, पीएलआई प्रोत्साहन योजना तथा सुरक्षा शुल्कों के माध्यम से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है।

xi. यदि ऐसे समर्थन के बावजूद इस्पात उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाता है, तो उसे अपनी दक्षता में सुधार हेतु प्रयास करने चाहिए। इस्पात उद्योग की अक्षमताओं के लिए घरेलू उद्योग को दंडित नहीं किया जा सकता।

xii. इस्पात उद्योग से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह इतना प्रतिस्पर्धी हो कि वह अन्य देशों के समकक्ष, निष्पक्ष और गैर-पाटित प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर कच्चे माल की खरीद कर सके।

xiii. जहाँ घरेलू उद्योग केवल अनुचित पाटन को समाप्त करने की मांग कर रहा है, वहीं इसके विपरीत इस्पात उद्योग को मौजूदा सरकारी समर्थन के अतिरिक्त, अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम कीमत पर कच्चे माल तक पहुँच की आवश्यकता है।

xiv. चूँकि भारत में कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है तथा वे इस्पात उत्पादक जो आबद्ध रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं, कोकिंग कोयला आयात करते हैं, अतः उनकी उत्पादन लागत अधिक होती है, क्योंकि मेट कोक भारत में कोकिंग कोयले से कम कीमत पर आयात किया जा रहा है। मेट कोक पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से केवल व्यापारी प्रयोक्ताओं को ऐसे आबद्ध उत्पादकों के समान स्तर पर लाया जाएगा।

xv. व्यापारी बाजार से खरीद करने वाला डाउनस्ट्रीम उद्योग भारत में मेट कोक के पाटन से लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि उन्हें कोकिंग कोयले की आयात कीमत से कम कीमत पर कोक उपलब्ध है। भारत में उत्पाद के उचित कीमत को पुनः स्थापित करना ऐसे उपभोक्ताओं की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में नहीं देखा जा सकता।

xvi. प्राधिकारी ने रक्षोपाय जॉच में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर इस्पात पर सुरक्षा शुल्क लगाया है। यदि घरेलू उत्पादकों ने अपने आवेदन में बढ़ा-चढ़ाकर

दावा प्रस्तुत किया था, तो वे शुल्क की मात्रा में कमी के कारण कोई शिकायत नहीं कर सकते।

xvii. यद्यपि इस्पात उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, तथापि इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल निर्मित करने वाला उद्योग भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

xviii. चूँकि एएमएनएस अपने स्वयं के संयंत्र के चालू करने की प्रक्रिया में है, अतः वह केवल अल्प अवधि के लिए शुल्क के प्रभाव को अनुभव करेगा।

xix. शुल्क निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम उद्योग अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना विचाराधीन उत्पाद का आयात कर सकता है, बशर्ते कि वह डाउनस्ट्रीम उत्पाद का निर्यात करे।

xx. वास्तविक प्रयोक्ताओं को पाटनरोधी शुल्क से छूट देने का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रयोक्ता अपने उपभोग हेतु अनुचित आयात तक पहुँच की मांग नहीं कर सकते हैं।

xxi. यदि घरेलू उत्पादकों तथा विदेशी उत्पादकों दोनों ने प्रयोक्ता के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करने से इनकार किया है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग से खरीद करते समय प्रयोक्ता किसी प्रकार के प्रतिकूल स्थिति में नहीं हैं।

xxii. प्रमुख इस्पात निर्माताओं के पास आबद्ध कोक ओवन संयंत्र हैं और विचाराधीन उत्पाद के आयात पर किसी भी उपाय का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xxiii. डाउनस्ट्रीम उद्योग भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और उपायों के अंतर्गत संरक्षित और सुरक्षित है।

xxiv. डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर मूल सीमा शुल्क, विचाराधीन उत्पाद की तुलना में अधिक है।

xxv. भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है, और भारतीय उत्पादक ऐसी गुणवत्ता प्रदान कर रहे हैं जो संबंधित देशों से आयातित उत्पाद के यदि उससे बेहतर नहीं, तो समान है।

xxvi. शुल्क लगाए जाने के पश्चात भी प्रयोक्ता उचित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

xxvii. चूँकि मेट कोक की गुणवत्ता कोकिंग कोयले की गुणवत्ता पर निर्भर करती है तथा घरेलू उद्योग आयातित कोयले पर निर्भर है, अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कोई चिंता नहीं हो सकती।

xxviii. कोक के मानक बैच से बैच में भिन्न हो सकते हैं, तथा एक ही उत्पादक से प्राप्त होने पर भी उनमें अंतर हो सकता है। ये मानक प्रयुक्त कोकिंग कोयले की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं।

xxix. प्रत्येक उत्पादक आर्डर देते समय उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का निर्माण करता है। भले ही विभिन्न स्रोतों से उत्पाद की खरीद की जाए, वह प्रयोक्ताओं द्वारा आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप ही होगा।

xxx. वर्तमान में भी एएमएनएस, इंडिया कोक एंड पावर तथा उड़ीसा मेटालिक्स जैसे आयातक विभिन्न स्रोतों से उत्पाद की खरीद कर रहे हैं। शुल्क लगाए जाने के पश्चात भी वे अनेक स्रोतों से खरीद जारी रख सकते हैं।

xxxi. आयात के मामले में उत्पाद के संभार तंत्र की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि उत्पाद को पहले रेल/सड़क मार्ग से पत्तन तक ले जाया जाता है, तत्पश्चात कार्गो जहाज पर लादा जाता है, फिर जेट्टी तक पहुँचाया जाता है, उसके बाद पत्तन पर उतारा जाता है और अंततः ट्रकों के माध्यम से प्रयोक्ता के परिसर तक ले जाकर पुनः उतारा जाता है। यदि इस प्रकार के परिवहन में गुणवत्ता में गिरावट नहीं आती, तो घरेलू उत्पाद के परिवहन में गुणवत्ता में गिरावट होने का अनुमान भी उचित नहीं है।

xxxii. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव 1% से कम है।

xxxiii. चूँकि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है, अतः यह संभव है कि इसका भार डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा वहन किया जाएगा और इसे प्रयोक्ताओं पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

xxxiv. डाउनस्ट्रीम उद्योग अपने उत्पाद की कीमत को विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर परिवर्तित नहीं करता है।

xxxv. शुल्क के प्रभाव का आकलन भारत के समग्र स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि प्रत्येक उत्पादक और आयातक के लिए अलग-अलग। चूँकि विचाराधीन उत्पाद की 90% मांग मेट कोक के आबद्ध उपभोग द्वारा पूरी की जाती है, जो बाजार में

प्रतिस्पर्धा नहीं करता, अतः इस मांग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xxxvi. कुछ प्रयोक्ता पूर्णतः अप्रभावित रहेंगे, क्योंकि वे अन्य देशों से खरीद कर रहे हैं, या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित हैं, या निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं, अथवा अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत आयात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता पर प्रभाव का आकलन करना व्यवहार्य नहीं है।

xxxvii. एएसपीए के सदस्यों में टाटा स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, किर्लोस्कर फेरस तथा कल्याणी स्टील्स लिमिटेड जैसे उत्पादक शामिल हैं, जिनके पास आबद्ध मेट कोक संयंत्र हैं। यहाँ तक कि एसएलआर मेटालिक्स भी अपना आबद्ध कोक संयंत्र चालू करने वाला है।

xxxviii. घरेलू उद्योग ने इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा दावा की गई एचआर स्टील की कीमत जांच अवधि के दौरान प्रचलित कीमतों के अनुरूप है, जैसा कि इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी मासिक सारांश में दर्शाया गया है।

xxxix. व्यापारी मांग में 10% हिस्सेदारी का उपयोग रक्षोपाय जॉच में भी किया गया था और किसी भी पक्ष द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया। वर्तमान जांच में भी, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कुल मांग में व्यापारी उत्पादकों के हिस्से का कोई वैकल्पिक अनुमान प्रस्तुत नहीं किया है।

xl. यदि एएमएनएस के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए इस्पात पर प्रभाव की गणना की जाए, तो यह जापान के लिए 2.8% और चीन के लिए 6.1% होगा, न कि एएमएनएस द्वारा दावा किए गए 32% और 104% होगा।

xli. विचाराधीन उत्पाद के ऐसे कोई विशेष ग्रेड नहीं हैं, जिनके लिए प्रभाव का पृथक रूप से आकलन करने की आवश्यकता हो।

xlii. रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण होने वाली न्यूनतम लागत वृद्धि को उत्पाद के प्रयोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

xliii. सामान्यतः डाउनस्ट्रीम उद्योग कोक की कीमतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि या कमी नहीं करता है। यहाँ तक कि यदि कीमतों में वृद्धि होती भी है, तो डाउनस्ट्रीम उद्योग पर इसका प्रभाव न्यूनतम होगा।

xliv. भारतीय उद्योग के पास भारत में संपूर्ण व्यापारी मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

xlv. घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमता भारत की मांग से अधिक है, अतः शुल्क लगाए जाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की कोई कमी उत्पन्न नहीं होगी।

xlvi. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता, बल्कि यह केवल सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर हों।

xlvii. मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन उत्पादन के बजाय भारत में उपलब्ध क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए।

xlviii. चूँकि भारत में 90% उत्पादक आबद्ध रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं और व्यापारी मेट कोक उत्पादकों के पास भारत में संपूर्ण घरेलू व्यापारी मांग को पूरा करने की क्षमता है, अतः उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय इस्पात नीति में उन दोनों प्रकार के इस्पात उत्पादकों को शामिल किया गया है, जो मेट कोक खरीदते हैं तथा जिनके पास स्वयं का मेट कोक उत्पादन है।

xlix. चूँकि कई व्यापारी उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहे हैं, अतः उनके उत्पादन को पात्र भारतीय उत्पादन के निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, उनकी क्षमता को भारत में कुल व्यापारी क्षमता के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

l. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, भारत में कुल व्यापारी क्षमता 67,15,931 मीट्रिक टन है, जबकि मांग 63,93,607 मीट्रिक टन है।

li. यद्यपि जिंदल कोक लिमिटेड ने समूह कंपनियों को आपूर्ति हेतु उत्पादन बढ़ाया है तथापि उसने भारत में मांग को पूरा किया है। ऐसी समूह कंपनियाँ, जिंदल द्वारा आपूर्ति के अभाव में, घरेलू उत्पादकों से खरीद करतीं या आयात करतीं हैं।

lii. किसी भी उत्पादक द्वारा भविष्य में उत्पाद के आबद्ध उपभोग को पाटनरोधी शुल्क न लगाने का आधार नहीं माना जा सकता। यदि शुल्क लगाए जाने के पश्चात भविष्य में उत्पाद की उपलब्धता में कमी होती है, तो हितबद्ध पक्षकार मध्यावधि समीक्षा हेतु प्राधिकारी के समक्ष जा सकते हैं।

liii. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि मांग-आपूर्ति अंतर पाटनरोधी शुल्क न लगाने का आधार नहीं है। विशेष रूप से इसलिए कि यदि पाटन को बाजार में प्रतिस्पर्धा को

समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो यह उत्पाद में भविष्य के निवेश को हतोत्साहित करेगा और मांग-आपूर्ति अंतर और अधिक बढ़ जाएगा।

liv. चूँकि अधिकांश इस्पात निर्माता अपनी क्षमता का विस्तार आबद्ध मेट कोक उत्पादन क्षमता के साथ करते हैं, अतः उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी और आबद्ध मेट कोक क्षमता भी बढ़ेगी। किसी भी स्थिति में, भारतीय व्यापारी मेट कोक उद्योग भी मांग में वृद्धि के साथ नियमित रूप से अपनी क्षमता का विस्तार करता है।

lv. वर्तमान मामले में प्रयुक्त पूंजी पर आय नकारात्मक होने के कारण भारत में बाजार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह दक्षता में सुधार या उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु निवेश को प्रोत्साहित कर सके। उद्योग को आगे निवेश करने के लिए पहले लाभकारी होना आवश्यक है।

lvi. यद्यपि कुछ पक्षकारों ने डीजीएफटी के समक्ष 100 लाख मीट्रिक टन की मांग का दावा किया हो, तथापि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त मांग आंकड़ों को डीजीएफटी द्वारा स्वीकार किया गया था। कुल मांग में व्यापारी मांग तथा आबद्ध मांग दोनों शामिल हैं।

lvii. पूर्वी क्षेत्र में विचाराधीन वस्तु के कम से कम 8 घरेलू व्यापारी उत्पादक हैं, जो इस क्षेत्र में मेट कोक की संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम हैं, तथा इस क्षेत्र में कुछ सबसे बड़े उत्पादकों की क्षमता भी स्थित है।

lviii. घरेलू उत्पादक प्रयोक्ताओं को रेलवे तथा समुद्री मार्ग से आपूर्ति करते हैं। एएमएनएस ने पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के लिए पूर्वी क्षेत्र के घरेलू उत्पादकों से समुद्री मार्ग के माध्यम से मेट कोक की महत्वपूर्ण मात्रा की खरीद की है।

lix. यदि उद्योग की स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है, तो इससे व्यापारी मेट कोक उद्योग के बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे विचाराधीन वस्तु की कमी हो जाएगी। विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार से अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं।

lx. संबंधित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, जिससे आगे के निवेश के लिए प्रतिकूल बाजार परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

lxi. भारत में पाटन के कारण अनेक उत्पादकों ने अपने प्रचालन बंद कर दिए। संचित मालसूची के कारण उत्पादकों को हानि हुई और उन्हें अपने संचालन बंद करने के लिए विवश होना पड़ा।

lxii. व्यापक जनहित में यह आवश्यक है कि उत्पाद का एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन हो, जो तब संभव नहीं होगा जब उद्योग निरंतर क्षति झेलता रहेगा।

lxiii. घरेलू उत्पादकों की बिक्री लागत से कम कीमतों पर उत्पाद के आयात ने निष्पक्ष बाजार परिस्थितियों को नष्ट कर दिया है और समान अवसर बनाए रखने हेतु उपायों का लगाया जाना आवश्यक है।

lxiv. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम कीमतों पर आयात में वृद्धि के कारण सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल कोक लिमिटेड तथा उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे कई भारतीय उत्पादकों को अपने संयंत्र बंद करने पड़े।

lxv. उत्पाद के संदर्भ में 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु आवश्यक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान बाजार परिस्थितियाँ इस उत्पाद में आगे निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

lxvi. अन्य पक्षकारों द्वारा इंगित किए अनुसार, इस्पात क्षेत्र में निरंतर क्षमता विस्तार हो रहा है, अतः कच्चा माल उद्योग में भी क्षमता विस्तार की आवश्यकता है। तथापि, वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है।

lxvii. मेट कोक कच्चा माल नहीं, बल्कि उत्पादों के निर्माण हेतु एक उपयोगिता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया कि आयात पर निर्भरता देश में उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

lxviii. संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाला भारतीय उद्योग भारत के सभी पर्यावरणीय कानूनों और नियमावली का पालन कर रहा है, जबकि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि विदेशी उत्पादक अधिक पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। वास्तव में, कोकिंग कोयले की अनुपलब्धता के कारण भारत में इस कच्चे माल का खनन नहीं होता, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

lxix. चूँकि वस्तु का आयात कीमत घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से भी कम है, इससे घरेलू उत्पादन अव्यवहार्य हो गया है। तथापि, घरेलू उत्पादन के अभाव में मेट कोक की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।

lxx. बाद की अवधि में कथित कीमत वृद्धि का दावा गलत है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान भी ₹28,500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर आपूर्ति नहीं की है।

lxxi. घरेलू उद्योग की कीमतें कोयले की कीमतों के अनुरूप परिवर्तित हुई हैं। तथापि, यद्यपि कोयले की कीमतों में 18% की वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को उसी अनुपात में बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

lxxii. यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ₹32,000 प्रति मीट्रिक टन की दर पर बिक्री कर रहा है, तथापि यह कथित कीमत भी बिक्री लागत से कम है।

lxxiii. भारत में बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक हैं तथा भारतीय उद्योग की क्षमता भारत में संपूर्ण व्यापारी मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है। भारत में आपसी प्रतिस्पर्धा बाजार में उचित कीमत सुनिश्चित करेगी।

lxxiv. जापानी उत्पादक यह आग्रह नहीं कर सकते कि एक बार निवेश करने के पश्चात उन्हें देश में पाटन करने की अनुमति दी जाए। विचाराधीन वस्तु के घरेलू उत्पादकों ने भी क्षमता स्थापित करने हेतु पर्याप्त निवेश किया है और उन्हें बाजार में उचित कीमत और प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने का अधिकार है।

lxxv. वर्तमान मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक जॉच परिणाम लागू किए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि भारत सरकार भारत में व्यापारी मेट कोक उत्पादकों पर पाटन के प्रतिकूल प्रभाव से अवगत है।

lxxvi. डीजीएफटी द्वारा आयात प्रतिबंध लगाए जाने से यह स्पष्ट होता है कि डीजीएफटी ने भारतीय बाजार में आयात के प्रतिकूल प्रभाव को समझा और घरेलू उद्योग की रक्षा को आवश्यक पाया। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार संबंधित देशों के उत्पादकों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण देश में निष्पक्ष बाजार परिस्थितियों के नष्ट होने को लेकर चिंतित है।

lxxvii. वर्तमान मामले में कम शुल्क लगाने या विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट शुल्क निर्धारित करने का कोई औचित्य या प्रावधान नहीं है। जहाँ तक सत्यापित अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए छूट या रियायती शुल्क का प्रश्न है, ऐसी छूट शुल्क के उद्देश्य को ही विफल कर देगी, क्योंकि सभी प्रयोक्ता आयात की ओर स्थानांतरित हो जाएंगे और लगाया गया शुल्क निरर्थक हो जाएगा।

lxxviii. जहाँ तक निगरानी तंत्र का संबंध है, घरेलू उद्योग को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में उपयुक्त मंच का विचार कर सकते हैं।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

232. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रमुख उद्देश्य पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करना है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबंधित देशों से आयात को मनमाने ढंग से सीमित करना नहीं है, बल्कि यह समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लगाए जाने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूल स्वरूप प्रभावित नहीं होगा। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को रोकते हैं तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्पों तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बाधा नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के संवर्धन का साधन हैं।

233. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों तथा आयात की पहुंच कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पूर्व में कीमतें काफी अधिक थीं। चूँकि अतीत में ऐसी उच्च कीमतों के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भी किसी प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है।

234. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर विद्यमान है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में व्यापारी मांग की तुलना में कहीं अधिक है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता, तथापि आयात के बंद हो जाने की स्थिति में भी भारत में विचाराधीन वस्तु की कोई कमी होने की संभावना नहीं है।

विवरण	मात्रा (एमटी)
भारत में मांग (आबद्ध को छोड़कर)	63,93,607
व्यापारी उत्पादकों की कुल भारतीय क्षमता	67,15,931
मांग-आपूर्ति अंतर (आबद्ध को छोड़कर)	(3,22,324)

235. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन करने हेतु प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के पात्र उत्पादन या क्षमता पर निर्भर होना चाहिए था, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत किसी घरेलू उत्पादक की पात्रता केवल पाटनरोधी जांच में उसकी स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से की जाती है। यदि कोई उत्पादक किसी विशेष जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने हेतु पात्र नहीं है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उस उत्पादक का उत्पादन और क्षमता अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान जांच में, कुछ उत्पादकों को उनके द्वारा किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए अयोग्य माना गया है, तथापि उनके संयंत्र संचालन में हैं। अतः भारत में मांग-आपूर्ति अंतर के आकलन हेतु ऐसी क्षमताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

236. यह भी अनुरोध किया गया है कि व्यापारी उत्पादन के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार की गई क्षमताएँ अविश्वसनीय हैं, क्योंकि 9 घरेलू उत्पादक कुल उत्पादन का 71% योगदान करते हैं और उनकी क्षमता 36,00,000 मीट्रिक टन है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में स्थिति के निर्धारण के दौरान उन इकाइयों के उत्पादन को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, क्योंकि ऐसी इकाइयाँ नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए अयोग्य हैं। तथापि, भारत में उपलब्ध कुल क्षमताओं का निर्धारण करते समय, जिनका उपयोग घरेलू बाजार में आपूर्ति हेतु किया जा सकता है, सभी घरेलू उत्पादकों की क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है।

237. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत में मांग 100 लाख मीट्रिक टन है और यह आंकड़ा डीजीएफटी को प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भले ही ऐसा कोई अनुरोध डीजीएफटी के समक्ष किया गया हो, तथापि डीजीएफटी ने संबद्ध वस्तु के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में भारत में मांग-आपूर्ति अंतर का आकलन केवल व्यापारी बाजार की मांग के आधार पर किया गया है। चूँकि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाला घरेलू उद्योग केवल व्यापारी उद्योग को आपूर्ति करता है, अतः मांग का आकलन व्यापारी तथा आबद्ध दोनों

बाजारों के लिए एक साथ नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने मांग-आपूर्ति अंतर के आकलन हेतु आबद्ध उत्पादकों की क्षमताओं को शामिल नहीं किया है।

238. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि इस्पात उद्योग अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस्पात उद्योग मेट कोक के उत्पादन की क्षमता का भी विस्तार कर रहा है, जिसका उपयोग आबद्ध रूप से किया जाता है। किसी भी स्थिति में, पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से भारत में व्यापारी कोक संयंत्रों के बंद होने की संभावना है, जिससे बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर और बढ़ जाएगा।

239. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि जिंदल कोक द्वारा उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा संबंधित पक्षकारों को बेचा जाता है और ऐसे उत्पादक द्वारा उत्पादन में वृद्धि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर को दूर नहीं करेगी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मांग में जिंदल कोक लिमिटेड से खरीद करने वाले उपभोक्ताओं की खपत भी शामिल है। अतः जिंदल कोक लिमिटेड के उत्पादन में कोई भी वृद्धि भारतीय बाजार में आपूर्ति में वृद्धि का कारण बनेगी।

240. प्राधिकारी ने पहले ही यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। जहाँ घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है, उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में किसी विशेष प्रकार के उत्पाद की कमी उत्पन्न नहीं होगी।

241. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि विचाराधीन वस्तु के मानक उत्पादक के अनुसार भिन्न होते हैं और भले ही घरेलू उत्पादकों के पास सामूहिक रूप से संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता हो, विभिन्न उत्पादकों से अलग-अलग आकार की खरीद करना उचित नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद के मानक केवल उत्पादक के अनुसार ही नहीं, बल्कि प्रयुक्त कोकिंग कोयले के आधार पर बैच से बैच में भी भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग प्राप्त आदेशों के अनुसार

उत्पादन और आपूर्ति करता है। भारत के घरेलू उत्पादक तथा विदेशी उत्पादक दोनों ही उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करते हैं और उत्पाद को उपभोक्ताओं द्वारा तभी स्वीकार किया जाता है जब वह उन मानकों को पूरा करता है। साथ ही, उपभोक्ताओं ने क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया है, न कि किसी एक उत्पादक से। अतः यह अनुरोध कि खरीद केवल एक ही उत्पादक से सीमित है, स्वीकार्य नहीं है।

242. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि पूर्व वर्षों में विचाराधीन वस्तु की उच्च कीमतों के कारण प्रयोक्ताओं की लाभप्रदता प्रभावित हुई थी। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव 1% से कम है। सुरक्षा संबंधी मात्रात्मक प्रतिबंधों की जांच में प्राधिकारी पहले ही यह निष्कर्ष दे चुका है कि भारत में 90% मांग उत्पाद के आबद्ध उपभोग द्वारा पूरी की जाती है और केवल 10% मांग व्यापारी बाजार से प्राप्त की जाती है। ऐसी स्थिति में, भारत के 90% बाजार पर व्यापारी बाजार में विचाराधीन वस्तु की कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

विवरण	यूनिट	राशि
घरेलू उद्योग की वर्तमान बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत	रु./एमटी	***
क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए कीमत में वृद्धि	रु./एमटी	***
हॉट रोल्ड कॉइल इस्पात की कीमत	रु./एमटी	63,959
प्रति एमटी इस्पात पर मेट कोक की खपत	किग्रा./एमटी	304
इस्पात उद्योग में कुल मांग में व्यापारी उत्पादकों और आयातों का हिस्सा	%	10%
इस्पात उद्योग में प्रति एमटी स्टील पर मेट कोक की खपत (मेट कोक के घरेलू उत्पादकों से खरीदा गया + आयात) [*** किग्रा/एमटी	किग्रा/एमटी	30

का ***%]		
ग्राहक के लिए कीमत में वृद्धि	रु./एमटी	***
ग्राहक के लिए कीमत में वृद्धि	₹/किग्रा	***
हॉट रोल्ड कॉइल स्टील में पाटनरोधी शुल्क के कारण कीमत में वृद्धि का हिस्सा	रु./एमटी	***
पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव	%	<0.15%

**2.5 मिमी का हाट रोल्ड काइल इस्पात*

243. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्रभाव का आकलन प्रत्येक आयातक तथा इस्पात उत्पादक के लिए पृथक रूप से किया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव का आकलन देश के समग्र स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि केवल किसी एक उत्पादक या उपभोक्ता के संदर्भ में। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में आयात विश्लेषण किया है।

244. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि एचआर इस्पात के लिए विचार की गई कीमतें उपयुक्त नहीं हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी मासिक सारांश के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत में एचआर इस्पात की कीमतें दर्शाई गई हैं। प्रभाव विश्लेषण के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कीमतों के अनुसार एचआर इस्पात की औसत कीमत को संगत माना गया है।

महीना	कीमत (रु./एमटी)
अक्टूबर-23	67,850
नवंबर-23	65,990
दिसंबर-23	65,900
जनवरी-24	65,440

फरवरी-24	64,670
मार्च-24	63,290
अप्रैल-24	64,900
मई-24	64,610
जून-24	63,720
जुलाई-24	62,250
अगस्त-24	59,890
सितंबर-24	59,000
औसत	63,959

245. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयातकों ने यह अनुरोध किया है कि एचआर इस्पात के उत्पादन की लागत में वृद्धि जापान से मेट कोक के मामले में 32% तथा चीन से मेट कोक के मामले में 104% तक होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि व्यापारी मेट कोक उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला कोई भी प्रभाव उत्पाद के उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जाएगा तथा भारत सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के लागू किए जाने के पश्चात इस्पात उद्योग की लाभप्रदता में पहले ही वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रभाव विश्लेषण भारत में आयात के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ संबंधित देशों के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त, प्रभाव विश्लेषण देश के समग्र स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि केवल देश में उपभोक्ताओं के किसी एक समूह के लिए। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने इस संबंध में एएमएनएस द्वारा किए गए अनुरोधों को संज्ञान में लिया है। यहाँ तक कि यदि प्रभाव का आकलन एएमएनएस द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया जाए, तो केवल चीन और जापान से आयात के आधार पर व्यापारी कोक उपभोक्ताओं पर प्रभाव 4% से कम होगा।

विवरण	यूनिट	जापान	चीन
पाटनरोधी शुल्क	अम डा/एमटी	***	***

पाटनरोधी शुल्क	रु./एमटी	***	***
प्रति एमटी इस्पात पर मेट कोक की खपत	एमटी	0.304	0.304
अतिरिक्त लागत	रु./एमटी	***	***
हॉट रोल्ड शीट की कीमत	रु./एमटी	63,959	63,959
प्रभाव	%	0-5	5-10
औसत प्रभाव	%	3.44%	

246. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का प्रमुख उपभोग इस्पात उद्योग में होता है। तथापि, अधिकांश इस्पात उत्पादकों के पास आबद्ध कोक ओवन संयंत्र हैं और वे संबद्ध वस्तु के बाजार कीमत में परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं। अतः ऐसे उत्पादकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, चूँकि फेरोएलॉय उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है, अतः फेरोएलॉय उद्योग पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खंड	खपत				खंड वार हिस्सा %	
	सकल (केटी)	आबद्ध (केटी)	व्यापारिक (केटी)	व्यापारी की हिस्सा	समग्र	व्यापारी
इस्पात	34,147	30,522	3,625	11%	89%	54%
पिग आयरन	2,018	1,064	954	47%	5%	14%
जिंक सोडा एश और अन्य	736	0	736	100%	2%	11%
फेरो अलॉय	525	0	525	100%	1%	8%
फाउंड्री	266	0	266	100%	1%	4%
अन्य	629	0	629	100%	2%	9%
कुल	38,320	31,586	6,734		100%	100%

247. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग को भारत सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन प्रदान किया गया है। चूँकि घरेलू उद्योग को बढ़ती हुई क्षति का सामना करना पड़ रहा है, अतः संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले भारतीय उद्योग की स्थिति का उपचार करना भी आवश्यक है।

248. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि सरकार पहले ही इस्पात उद्योग के महत्व को स्वीकार कर चुकी है और आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की बाधा देश के जीडीपी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता और अतः इससे आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित बाजार कीमतों पर उपलब्ध हों। पूर्व में भारत में प्रचलित कीमत अधिक थे और ऐसे मूल्यों का इस्पात उद्योग पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है, जिससे उक्त वस्तु का निर्माण करने वाले भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय हानि हुई है और उसने प्रयुक्त पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज किया है। ऐसी स्थिति में, यदि घरेलू उद्योग की स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन को बंद करने के लिए विवश हो सकता है। इससे इस्पात उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।

249. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से इस्पात उद्योग और उससे संबंधित उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद के निर्यात के मामले में, संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता अग्रिम प्राधिकार के अंतर्गत बिना किसी पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः निर्यात बाजार में डाउनस्ट्रीम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

250. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू कोक उद्योग पर्यावरणीय प्रतिबंधों तथा तकनीकी सीमाओं जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है और पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना राष्ट्रीय इस्पात नीति के हित में नहीं होगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अनेक प्रमुख डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की है। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता भारत में आयातित वस्तु से तकनीकी रूप से भिन्न है। इसके अतिरिक्त, इस्पात उत्पादक मुख्यतः भारत में मेट कोक का आबद्ध उत्पादन करते हैं, जिसके लिए वे उन्हीं स्रोतों से कोकिंग कोयला प्राप्त करते हैं जिनसे व्यापारी कोक

उत्पादक प्राप्त करते हैं। चूँकि संबद्ध वस्तु की 90% खपत भारत में आबद्ध रूप से उत्पादित होती है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में उत्पादित वस्तु में कोई तकनीकी सीमाएँ हैं। किसी भी स्थिति में, संबद्ध वस्तु के उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात भी उचित कीमतों पर उत्पाद का आयात जारी रख सकते हैं और ऐसा शुल्क लगाया जाना भारत में आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है।

251. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एएमएनएस ने यह अनुरोध किया है कि उसने 25% सुरक्षा शुल्क का अनुरोध किया था, किन्तु प्राधिकारी ने डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर कम दर का सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसके द्वारा सिफारिश किया गया सुरक्षा शुल्क संबंधित सुरक्षा कानूनों और नियमावली के अनुरूप है। वर्तमान जांच में भी प्राधिकारी ने 'कमतर शुल्क नियम' का पालन किया है और अस्थायी पाटनरोधी शुल्क केवल क्षति मार्जिन की सीमा तक ही लगाने की सिफारिश की है, न कि पाटन मार्जिन की पूर्ण सीमा तक।

252. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि कुछ इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयात में वृद्धि तथा इस्पात उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु पूर्व में पाटनरोधी शुल्क के अधीन रही है, तथापि उस अवधि के दौरान इस्पात उत्पादों की कीमतों में किसी उल्लेखनीय वृद्धि या डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयात में वृद्धि का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत केवल इस कारण कम है कि भारत में घरेलू उद्योग विद्यमान है। यदि व्यापारी घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन बंद कर दिया जाता है, तो निर्यातक पाटन बंद कर सकते हैं और भारत को निर्यात के लिए कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसी स्थिति इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की उचित बाजार कीमत को प्रभावित करेगी और भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

253. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियो मेटालिक्स लिमिटेड ने यह अनुरोध किया है कि उसे संबद्ध वस्तु की निरंतर आपूर्ति दीर्घकालिक अनुबंधों के अंतर्गत आवश्यक है और अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त उत्पादक ने स्वयं यह अनुरोध किया है कि न तो भारतीय उत्पादक और न ही संबंधित देशों के विदेशी उत्पादक दीर्घकालिक अनुबंध के अंतर्गत उत्पाद की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में,

भारतीय उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों की बिक्री की शर्तों में कोई अंतर नहीं है, जिससे उक्त उत्पादक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। किसी भी स्थिति में, आयातक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात भी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंध कर सकता है और उचित कीमतों पर उत्पाद का आयात जारी रख सकता है।

254. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की कीमतें पहुंच मूल्य से अधिक हैं, जिसके कारण घरेलू कोक की खरीद ब्लास्ट फर्नेस के लिए महत्वपूर्ण लागत असमानता उत्पन्न करती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु को हानि पर बेचा है। यद्यपि उसने हानि पर बिक्री की है, तथापि संबंधित आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं और उनकी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा कच्चे माल की लागत दोनों से कम हैं। डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा ऐसी पाटित कीमतोंअ तक पहुँच का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।

255. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबंधित आयातों का पहुंच मूल्य भारत में कोकिंग कोयले की आयात कीमत से कम है। वे इस्पात उत्पादक जो संबद्ध वस्तु का आबद्ध रूप से उत्पादन और उपभोग करते हैं, कच्चे माल को उन कीमतों पर प्राप्त कर रहे हैं जो संबद्ध वस्तु के व्यापारी उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही खरीद की तुलना में अधिक हैं। अतः संबद्ध वस्तु के आबद्ध उपभोक्ता भी उन इस्पात उत्पादकों की तुलना में प्रतिकूल स्थिति में हैं जो संबंधित देशों से संबद्ध वस्तु का आयात करते हैं।

256. इस अनुरोध के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचार उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर अतीत में कई बार पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, जो उत्पाद के पाटन के परिणामस्वरूप था। प्राधिकारी ने पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध की विस्तृत जॉच की है और उसके पश्चात पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए उपायों की संख्या संबंधित देशों के उत्पादकों द्वारा कीमत निर्धारण और अनुचित व्यापार प्रथाओं को दर्शाती है।

257. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान में लागू मात्रात्मक प्रतिबंध घरेलू उद्योग की क्षति का समाधान कर देंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे उपाय अस्थायी प्रकृति के होते हैं। संबंधित देशों के उत्पादकों ने अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न होकर जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु को भारत में पाटित किया है। वर्तमान जांच की जांच अवधि रक्षोपाय जॉच की नवीनतम अवधि के पश्चात की है। चूँकि भारत में अनुचित प्रथाएँ जारी रही हैं, अतः संबंधित देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।

258. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मात्रात्मक प्रतिबंधों की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कीमतों में वृद्धि की है और इसके कारण गैर-एकीकृत इस्पात उत्पादकों को उत्पादन में कटौती का सामना करना पड़ा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अर्थात एसबीबी स्टील मार्केट्स डेली रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जहाँ कोकिंग कोयले की कीमतों में 18% की वृद्धि हुई, वहीं इस अवधि में घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में केवल 12% की वृद्धि कर पाया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए मूल्यों को भी मान लिया जाए तथा जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाए, तो भी घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु को बिक्री लागत से कम कीमत पर बेचा है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***
बिक्री कीमत*	रु./एमटी	***
पीबीटी	रु./एमटी	(***)

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार*

259. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में व्यापक पाटन के कारण अनेक उत्पादकों ने अपने संचालन बंद कर दिए। *** को भी अपने संचालन बंद करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन में कमी करने तथा संबद्ध वस्तु को हानि पर बेचने के बावजूद, उसकी

मालसूची में वृद्धि हुई है। यदि वर्तमान स्थिति बनी रहती है, तो अन्य उत्पादकों के भी बंद होने की संभावना है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि 20-40 मिमी कोक के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से झारखंड और पश्चिम बंगाल में उद्योग बंद हो जाएगा। तथापि, चूँकि उक्त उत्पाद को विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए पहले ही दायरे से बाहर रखा गया है, अतः शुल्क लगाए जाने से उसकी उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व में भारत में विचाराधीन उत्पाद की कीमत अधिक थी और ऐसी कीमतों का उपभोक्ताओं पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उपभोक्ताओं या रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में पाटन के कारण कोक उद्योग के अनेक संयंत्र पहले ही बंद हो चुके हैं या उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग प्रभावित हुआ है, जिससे रोजगार में कमी आई है।

260. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आयात प्रतिबंधों को वापस लेना घरेलू उद्योग को निरंतर संरक्षण देने संबंधी नीति निर्णय को दर्शाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयात प्रतिबंधों का लगाया जाना या हटाया जाना इस जांच का विषय नहीं है। इस संबंध में डीजीएफटी द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किसी भी स्थिति में, रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रतिबंध लगाए गए थे और बाद में वापस ले लिए गए, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत सरकार को कोक उद्योग को होने वाले नुकसान की चिंता थी, किन्तु पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात प्रतिबंधों को शीघ्र ही हटा लिया गया। पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति मार्जिन या पाटन मार्जिन, जो भी कम हो, की सीमा तक राहत प्रदान करता है। अतः वर्तमान मामले में अति-संरक्षण का कोई प्रश्न नहीं है।

261. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाएंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग या प्रयोक्ता उद्योग पर कोविड-19 के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, अतः ऐसे अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

262. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता वाले कम से कम 8 उत्पादक मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह जानकारी प्रस्तुत की है कि संबद्ध वस्तु को सड़क परिवहन, रेलवे तथा समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाया जा रहा है। वास्तव में, जांच अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्रों के उत्पादकों ने गुजरात सहित पश्चिमी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी आपूर्ति की है।

क्र. सं.	पूर्वी क्षेत्र में उत्पादक का नाम	यूनिट	क्षमता
1	वीज़ा कोक लिमिटेड	एमटी	***
2	जगन्नाथ कंबाइन कोक लिमिटेड	एमटी	***
3	ऊषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***
4	बंगाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***
5	जिंदल कोक लिमिटेड	एमटी	***
6	कृष्णा कोक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***
7	एमवी इंटरनेशनल	एमटी	***
8	नीलांचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड	एमटी	***
9	कुल क्षमता	एमटी	***

263. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि परिवहन के दौरान उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट आती है और अतः घरेलू उत्पादकों से खरीद उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि भारत में आयातित उत्पाद के परिवहन की दूरी तथा परिवहन के साधन, घरेलू रूप से निर्मित उत्पाद के परिवहन की तुलना में काफी अधिक होते हैं।

ञ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ञ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

264. अपनी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में, हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है, जिनमें सीएसआर, एम40, अति-निम्न फास्फोरस कोक, घरेलू उद्योग के निर्धारण हेतु दो बाजारों पर विचार, घरेलू उद्योग का हिस्सा माने गए उत्पादकों द्वारा कैप्टिव उपभोग, उत्तरों की अस्वीकृति, क्षति, कारणात्मक संपर्क, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव आदि से संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रकटन विवरण जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. प्राधिकारी द्वारा 20-40 एमएम मेट कोक को बाहर रखने का प्रस्ताव भारत सरकार और इस्पात मंत्रालय के उस विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत में इस्पात उत्पादन को बढ़ाना है। इससे पूर्वी भारत में भी उत्पादन को समर्थन मिलेगा, क्योंकि ऐसे उत्पादों के वास्तविक प्रयोक्ताओं के संयंत्र देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं।

ii. प्रकटन विवरण में निर्यातकों के इस तर्क पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि कोक ब्रीज़ एक उप-उत्पाद है, और अत:, इसे उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को यह सूचना देने का निर्देश नहीं दिया गया है कि कोक ब्रीज़ का उनकी उत्पादन लागत में कितना योगदान है, और मेट कोक के आयात का कोक ब्रीज़ से जुड़े उनके कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

iii. घरेलू उद्योग के इस दावे को कि उन्होंने कोक ब्रीज़ और कोक फाइन का उत्पादन वाणिज्यिक मात्रा में किया है, बिना सोचे-समझे मान लिया गया है, जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जो इस बात को सिद्ध करता हो। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह तय करने के लिए अपने मानदंड स्पष्ट नहीं किए हैं कि ये बिक्री "वाणिज्यिक मात्रा" में थीं।

iv. ब्लूस्कॉप ने ऐसे बीजक उपलब्ध कराए हैं जो भारत को उच्च सीएसआर वाले उत्पाद के निर्यात को दर्शाते हैं; इससे यह सिद्ध होता है कि इस उत्पाद की मांग मौजूद है। यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग को इस उत्पाद के लिए कोई पूछताछ प्राप्त नहीं हुई है, यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने इस

उत्पाद का न तो उत्पादन किया है और न ही इसे बेचा है, जिसके चलते इसे उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखना उचित है।

v. 70% से अधिक सीएसआर वाले उत्पाद के संबंध में, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह उत्पादन क्षमता, उत्पादन करने की योग्यता, या अंतिम-उपयोग में विकल्प के रूप में उपयोग की संभावना के बजाय, वास्तविक उत्पादन पर विचार करे।

vi. इस बात की जांच नहीं की गई है कि क्या 64-65 के क्षेत्र में सीएसआर वाले ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड उत्पादों की आपूर्ति वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा की गई है।

vii. प्राधिकारी की सतत परिपाटी के आधार पर, यूएलपी के लिए उत्पाद को क्षेत्र से बाहर रखने का निर्णय केवल उसके अंतिम-उपयोग के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सोर्सिंग (आपूर्ति के स्रोतों) में संभावित वाणिज्यिक बदलावों के आधार पर ऐसे उत्पादों को क्षेत्र में शामिल करना उचित नहीं है, जो अन्यथा एक-दूसरे से भिन्न हैं।

viii. प्राधिकारी ने उस 'पीयर-रिव्यूड' (विशेषज्ञों द्वारा समीक्षित) अध्ययन पर विचार नहीं किया है, जिसमें उच्च और निम्न फास्फोरस मात्रा वाले उत्पादों के बीच का अंतराल दर्शाया गया है; यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने इस मामले में अपने विवेक का उचित उपयोग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, एएमएनएस द्वारा अनुरोध उन पत्रों को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया है, जिनमें यह दर्शाया गया था कि घरेलू उद्योग कम फास्फोरस मात्रा वाला मेट कोक उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

ix. प्राधिकारी ने 12% से कम राख (एश) की मात्रा वाले मेट कोक को क्षेत्र से बाहर रखने के अनुरोध की जांच नहीं की है, जबकि अधिसूचित पीसीएन पद्धति भी इस अनुरोध का समर्थन करती है।

x. जैसा कि एसओपी की नियमावली और चीन-ब्रॉयलर उत्पादों (यूएस) में उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी को पहले कैप्टिव उत्पादकों के उत्पादन सहित कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करना आवश्यक है। इस तरह के दृढ़ संकल्प के अभाव में, प्रमुख अनुपात के संबंध में निर्धारण असमर्थित है।

xii. प्राधिकारी ने अपनी पिछली जांच में पाया कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अपना कैप्टिव कोकिंग कोयला संयंत्र है, जिसने व्यापारी बाजार में मेट कोक बेचना शुरू कर दिया।

xii जबकि जिंदल कोक एक ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत इस्पात उत्पादक है जो आकर्षक रूप से मेट कोक का उपभोग करता है, इसे यांत्रिक और असंगत टिप्पणियों के आधार पर घरेलू उद्योग माना गया है।

xiii. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बजाय क्षति की अवधि में बंगाल एनर्जी की कैप्टिव खपत प्रतिशत को गलत तरीके से निर्धारित किया है।

xiv. ऐसी स्थिति में जहां बंगाल एनर्जी लिमिटेड का घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यापारी बिक्री का 10-20% हिस्सा है और नमूनाकृत उत्पादकों में घरेलू उद्योग की बिक्री का 50% शामिल है, कुछ घरेलू उत्पादकों के हिस्सेदारी में प्रमुख अनुपात है। अत:, यह व्यापार सूचना 9/2021 के तहत बिखरे हुए उद्योग के रूप में जांच शुरू करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, जो ऐसी स्थिति के लिए लागू होता है जहां उद्योग में अत्यधिक संख्या में उत्पादक शामिल होते हैं।

xv. चूंकि प्राधिकारी ने मनमाने ढंग से कैप्टिव उत्पादकों को बाहर रखा है, अत: प्राधिकारी द्वारा की गई क्षति की जांच त्रुटिपूर्ण है और करार के अनुच्छेद 3 और डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय की टिप्पणियों से असंगत है।

xvi. उन पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है, जो क्षति मार्जिन के लिए विचार किए गए देश-वार पहुंच कीमत के प्रकटन की मांग कर रहे थे। संबद्ध देशों के पहुंच कीमत को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय नहीं बताया गया है, और प्राधिकारी द्वारा भी इसे स्वतः गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

xvii. आयात की मात्रा और कीमतों का आकलन करने के लिए अपनाई गई पद्धति का प्रकटन नहीं किया गया है; इस तरह के प्रकटन के अभाव में पक्षकार अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर पाते हैं, और यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' का उल्लंघन है। प्राधिकारी को पहुंच कीमत और आयातों पर विचार करने की पद्धति का प्रकटन अवश्य करना चाहिए, और पक्षकारों को इस पर आगे टिप्पणी करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

xviii. प्राधिकारी ने अपनी प्रारंभिक जांच परिणाम रिपोर्ट अथवा प्रकटन विवरण में 'क्षतिरहित कीमत को किसी रेंज में निर्धारित नहीं किया है।

xix. ब्लूस्कोप स्टील (एआएस) पीटीवाई लिमिटेड का नाम प्रकटन विवरण में ठीक किया जाए।

xx. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड और उड़ीसा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम को प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

xxi. अलग-अलग स्थानों पर मांग के आंकड़ों को अलग-अलग तरीके से नोट किया गया है।

xxii. जापान और पोलैंड से आयात के लिए प्रदान किया गया विभेदक व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जिसमें राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार करने की आवश्यकता होती है।

xxiii. माल ढुलाई के लिए दी गई सूचना के आधार पर, एमसीसी और एमसीआर के लिए क्षति मार्जिन पुन: निर्धारित किया जाना चाहिए।

xxiv. जारी रक्षोपायों से संबंधित चिंता को सार में हल नहीं किया गया है। बाजार की स्थितियों को बदलने वाले रक्षोपायों के आलोक में पाटनरोधी शुल्क की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए। इस तरह की जांच के अभाव में दोहरे उपचार की ओर ले जाएगी। 2025 के दौरान लागू उपायों ने आयात को प्रतिबंधित कर दिया है और घरेलू उद्योग को सुधारने की अनुमति दी है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

xxv. प्रक्रिया के पैरा 3.6 में, प्राधिकारी ने अनुरोध करने वाले निर्यातकों की सूची पर विचार नहीं किया है।

xxvi. चूंकि ब्लूस्कोप और जापानी उत्पादकों ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में अपनी क्षमता के अनुसार पूरी सूचना प्रदान की है, अत: सामान्य मूल्य उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित होना चाहिए; भले ही निर्यात कीमत इतना निर्धारित न की जा सकती हो।

xxvii. प्राधिकारी समुद्री माल ढुलाई शुल्क के संबंध में एएमएनएस द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहे हैं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए बढ़े हुए समुद्री माल ढुलाई पर विचार करते हुए, इसके लिए कोई कारण बताए बिना, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मनमाने ढंग से मार्जिन निर्धारित किया है।

xxviii. इस दावे के विपरीत कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समुद्री माल भाड़ा साक्ष्य सभी को परिचालित किया गया था, इस तरह के साक्ष्य का उपयोग करने का

निर्णय केवल प्राथमिक जांच परिणामों के समय हितबद्ध पक्षकारों को बताया गया था, जिसके बाद एएमएनएस ने विस्तृत टिप्पणी की है।

xxix. यदि एएमएनएस द्वारा प्रस्तुत समुद्री मालभाड़ा शुल्क के साक्ष्य पर विचार किया जाता है, तो जापानी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन शून्य होगा, और अन्य देशों के लिए कम होगा।

xxx. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि समुद्री माल ढुलाई के निर्धारण के लिए किसके आंकड़ों पर भरोसा किया गया है। यदि मालभाड़ा के लिए विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भी इस पर भरोसा किया जा सकता है।

xxxi. एमसीसी को असहयोगी पक्षकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसने अपने असंबद्ध पक्षकार की पुन: बिक्री सूचना सहित सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है। नियम 6 (8) के तहत आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करने की सीमा को पूरा नहीं किया गया है।

xxxii. [एमसीआरआई] द्वारा केवल एक अलग प्रतिक्रिया दायर न करने से एमसीसी और एमसीआर असहयोगी नहीं माना जाना चाहिए। चूंकि एमसीआर और एम सीआरआई एमसीसी की सहायक कंपनियां हैं और एमसीआरआई एमसीसी से सीधे सामान नहीं खरीदती है, अत: एमसीआर द्वारा प्रदान की गई सूचना पूर्ण वाणिज्यिक प्रवाह का प्रकटन करती है।

xxxiii. प्राधिकारी ने अपूर्ण मूल्य श्रृंखला के आधार पर पूर्ण प्रतिक्रियाओं की एकमुश्त अस्वीकृति को उचित नहीं ठहराया है, जब उसने अपना अनुरोध दर्ज किया है कि उपलब्ध तथ्यों के अनुप्रयोग के लिए भी अधिकतम संभव सीमा तक रिकॉर्ड पर उपयोग करने योग्य सूचना पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

xxxiv. पीटी किनरुई और पीटी डेटियन ने सभी बिक्री चैनलों, विक्रेताओं और वितरकों की पहचान करते हुए पूरी प्रतिक्रिया प्रदान की। असंबद्ध व्यापारियों की भागीदारी निर्यातक के नियंत्रण से बाहर है और अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकती है।

xxxv. जैसा कि अर्जेंटीना- सिरेमिक टाइल्स में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना है, यदि कुछ सूचना की आवश्यकता है, तो हितबद्ध पक्षकारों से वही पूछा जाना चाहिए, और वही पूछने में विफलता प्रकृति न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

xxxvi. प्राधिकारी को धारा 9क या नियम 6 (4) और 6 (8) के साथ-साथ करार के अनुबंध II के पैरा 5 के तहत अनुरोध करने की अवहेलना करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।

xxxvii. प्राधिकारी ने असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार नहीं किया है और केवल उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है।

xxxviii. संबद्ध व्यापारी के माध्यम से की गई बिक्री के लिए, निर्यात कीमत का निर्माण एक स्वतंत्र खरीदार को पहली पुनर्विक्रय के आधार पर किया जा सकता था। प्रत्यक्ष बिक्री के लिए, बताई गई कीजक कीमत विश्वसनीय थी और उसका प्रयोग किया जा सकता था।

xxxix. रिसुन समूह ने प्राधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्नों को हल करते हुए व्यापक सूचना और पूरक प्रतिक्रियाएं प्रदान की हैं। रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता है कि रिसुन पूरी सूचना प्रदान करने में विफल रहा है।

xl. रिसुन एचके के माध्यम से निर्यात के संबंध में अनुरोधों को लेन-देन वार निर्यात सूचना के साथ समर्थित किया गया है और डीजी सिस्टम आंकड़ों से कोई भी भिन्नता प्रतिक्रिया की अस्वीकृति की आवश्यकता वाली गलत घोषणा नहीं है, क्योंकि रिसुन ने इस तरह के मतभेदों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किया है।

xli. अपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना कानूनी आवश्यकता के बजाय एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अलग अलग पक्षकारों की गैर-भागीदारी के लिए रिसुन को दंडित नहीं किया जा सकता है और इसे सहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए।

xlii. नियम 6 (8) के तहत उपलब्ध तथ्यों का अनुप्रयोग रिसुन के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि इसने प्रावधान के तहत सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं।

xliii. ऐसा कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पहचाना गया है जिसका समाधान नहीं किया गया हो या जो स्पष्टीकरण देने में सक्षम न हो। ऐसे मामले में, पूरी तरह से प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना अत्यधिक और अनुचित है।

xliv. समुद्री माल ढुलाई से संबंधित प्रमुख तर्कों की स्वीकृति से पता चलता है कि प्रारंभिक जांच परिणमों और जांच की शुरुआत में निर्धारणों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसके बावजूद, क्षति का विश्लेषण अपरिवर्तित रहता है।

xliv. यह एक सुस्थापित परिपाटी है कि मूल जांच में क्षति के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के बाद की घटनाओं पर आम तौर पर भरोसा नहीं किया जाता है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों से असत्यापित है।

xlivi. होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज यातायात में व्यवधान के कारण चल रहे तनाव के कारण माल ढुलाई दरों और रसद लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इनपुट कीमत दबाव को दर्शाते हुए कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई है। क्षति के व्यापक विश्लेषण के लिए ऐसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

xlvii. जापानी आयात भारत को व्यापारी-बाजार, प्रतिस्पर्धी या कीमत प्रतिक्रियात्मक निर्यात नहीं हैं क्योंकि उन्हें दो निर्दिष्ट निचले स्तर के भारी धातु और इस्पात निर्माण कंपनियों को निश्चित अवधि के अनुबंधों के तहत निर्यात किया जाता है। अत:, जापानी आयात को अन्य संबद्ध देशों से आयात के साथ संचयित नहीं किया जा सकता है।

xlviii. चूंकि कीमत कटौती क्षति मार्जिन से कम है, अत: यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षतिरहित कीमत से अधिक थी, जो कीमत संबंधी क्षति का अभाव दर्शाता है।

xlix. संबद्ध देशो से आयात में वृद्धि का श्रेय ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया जा सकता है, विशेष रूप से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बाजार हिस्सेदारी इंडोनेशिया और चीन की तुलना में बहुत कम है।

l. प्रकटन विवरण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग की कीमत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जो पूर्ण रूप से बिक्री की लागत के अनुरूप है, जो ह्रासमान और न्यूनीकरण पाए जाने से असंगत है। अधिकांश अवधि के लिए, घरेलू उद्योग लागत के अनुसार अपने उत्पाद का कीमत निर्धारित करने में सक्षम था, और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण विशिष्ट अवधि तक ही सीमित है।

li. पीसीएन-वार आधार पर कीमत कटौती का प्रकटन नहीं किया गया है, और पिछली अवधि के लिए इसका प्रकटन नहीं किया गया है।

lii. भारत में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों पर निर्धारित की जाती हैं, और कम कीमत कोकिंग कोयले की कीमत और बिक्री की घरेलू लागत के बाद आती है।

liii. आयात की कीमतें हमेशा कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ नहीं चल सकती हैं क्योंकि कीमतें मांग-आपूर्ति के अंतराल, संविदा की शर्तों और प्रतिस्पर्धी दबावों से भी प्रभावित होती हैं।

liv. प्राधिकारी ने गलती से नोट किया है कि आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत से कम हैं क्योंकि यह सोर्सिंग और वैश्विक लागत लाभों में अंतराल पर विचार करने में विफल रहते हैं।

lv. घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग लगातार अधिक उत्पादन में बना रहा है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि बिक्री की मात्रा उत्पादन से कम है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग ने जानबूझकर मालसूची को कम करने के लिए उत्पादन को कम करने का विकल्प चुना।

lvi. लाभ से हानि में बदलाव की जांच घरेलू उद्योग के अपने निवेश और पूंजी संरचना निर्णय के आलोक में की जानी चाहिए।

lvii. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड के अलावा अन्य सभी कोक उत्पादकों ने काफी लाभ कमाया है।

lviii. आयात मात्रा और बिक्री कीमत के बीच सह-संबंध का अभाव है, और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उस समय बढ़ी है जब आयात मात्रा अधिक थी।

lix. मौसमी और पर्यावरणीय प्रभावों से उच्च नमी भिन्नता के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

lx. घरेलू उत्पाद की आपूर्ति ट्रकों द्वारा की जाती है, जबकि आयातित उत्पाद की आपूर्ति समुद्र में थोक शिपिंग के माध्यम से की जाती है, जिससे घरेलू उत्पादकों के लिए रसद लागत अधिक होती है।

lxi. इस बात की पुष्टि का अभाव है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और बिक्री में निर्यात बिक्री शामिल नहीं है।

lxii. जापान के लिए क्षति मार्जिन परिपाटी के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए और कुछ पीसीएन के घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के अभाव में, एनआईपी लागू समायोजन के साथ निकटतम पीसीएन पर आधारित होना चाहिए।

lxiii. जापान और पोलैंड से सीआईएफ कीमतों की सरल तुलना उचित नहीं है। यदि पोलैंड के क्षति मार्जिन को शून्य माना जाता है, तो जापान के लिए क्षति मार्जिन दोनों देशों से सीआईएफ कीमतों में अंतराल के आधार पर समायोजनों से पूर्व 7% होगा, तथापि, इस तरह की तुलना निर्धारित परिपाटी के विरुद्ध है जिसके लिए लागू समायोजन के साथ सीआईएफ कीमत से प्राप्त क्षति मार्जिन की आवश्यकता होती है। एनआईपी और समायोजित पहुंच कीमत की उचित तुलना पर वास्तविक क्षति विश्लेषण किया जाना चाहिए।

lxiv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया होगा यदि वह पोलिश आयात के बराबर कीमतों पर बेचा जाता। चूंकि पोलिश आयात रूसी आयात की कीमत से केवल 30-40 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी से अधिक है, अत: इस स्तर से अधिक शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

lxv. वित्तीय हानि, नकद हानि और नकारात्मक आय स्व-प्रेरित कारकों के कारण होते हैं। ऐसे कारकों के क्षतिकारक प्रभाव को अलग किया जाना चाहिए।

lxvi. बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की अपनी आधी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थता आंतरिक अक्षमताओं को दर्शाती है।

lxvii. प्राधिकारी रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहे हैं जिसने 2022-23 के बाद से आयातकों के लिए रसद लागत में वृद्धि की है।

lxviii. प्राधिकारी इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हॉट-रोल्ड स्टील की कीमत पर गलत विचार किया है जिसमें हॉट-रोल्ड स्टील कॉइल और मिल प्लेट की कीमत शामिल है। गैर-मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों पर हाल ही में संपन्न रक्षोपाय जांच में, प्राधिकारी ने माना कि हॉट-रोल्ड स्टील की कीमत उसी अवधि के लिए 55,000 रुपये प्रति एमटी थी। इस तरह की कीमतों का प्रयोग प्रभाव गणना के लिए किया जाना चाहिए।

lxix. एएमएनएस पर जापान पर लगाए गए शुल्कों में 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की अतिरिक्त लागत आने की संभावना है।

lxx प्राधिकारी ने गलत तरीके से निर्धारित किया है कि भारत की कुल संस्थापित क्षमता को देखते हुए मांग-आपूर्ति में कोई अंतराल नहीं है, न कि व्यापारी बिक्री के लिए क्षमता।

lxxi. प्रयोक्ताओं की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को अस्वीकार करने के लिए प्रदान किया गया तर्क खरीद वास्तविकताओं की अनदेखी करता है। केवल घरेलू उद्योग की बिक्री की उपस्थिति यह सिद्ध नहीं करती है कि ऐसे सामान सभी प्रयोक्ताओं और अनुप्रयोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिस्थापनीय हैं। गुणवत्ता स्थिरता, विनिर्देशों और मात्रा का संयोजन आयात को आवश्यक बनाता है।

lxxii. पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करने वाले इस्पात उत्पादकों के अनुरोध को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया गया है कि इस्पात उद्योग की मांग को मुख्य रूप से कैप्टिव उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है। शुल्क के प्रभाव पर अवलोकन उन प्रयोक्ताओं के लिए इनपुट लागत में वृद्धि को हल नहीं करते हैं जिनके पास कैप्टिव उत्पादन नहीं है।

lxxiii. यह देखते हुए कि मार्जिन 10-50% की सीमा में हैं, प्रभाव की जांच 12-18% तक निचले स्तर के उत्पाद की कीमत में वृद्धि की अनदेखी करती है।

lxxiv. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो जांच की अवधि में 84 से बढ़कर वर्तमान में 94 हो गई है। यह आयात की कीमत में 10% की वृद्धि करता है। इस तरह की वृद्धि को देखते हुए, शुल्कों की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है।

lxxv. प्रकटन विवरण प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, क्योंकि यह जापानी निवेशों से संबंधित निर्यातकों के अनुरोधों पर विचार नहीं करता है। जापान पर शुल्क लगाने से जापान द्वारा किए गए रणनीतिक निवेश एएम/एनएसआई के हितों को सीधे तौर पर हानि पहुंचेगी और यह भारत और जापान के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य के विपरीत होगा।

lxxvi. पूर्वोदाहरण से पता चलता है कि वित्त मंत्रालय ने इसी तरह के मामलों में व्यापक आर्थिक और व्यापारिक विचारों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है, और सार्वजनिक हित का संतुलन इस तरह के उपायों को अपनाने के विरुद्ध है।

xxxvii. जबकि ब्लास्ट फर्नेस को पहले चालू किया जा सकता है, संबद्ध कोक ओवन सुविधाएं लगभग 5-6 महीने की गर्भावस्था अवधि के बाद ही चालू हो जाती हैं। इस बीच की अवधि के दौरान इस्पात उत्पादक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात सहित बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

xxxviii. आयातित उत्पाद की कीमत घरेलू उत्पाद की तुलना में काफी सस्ती है। बाद वाले का उपयोग छोटे ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों के लिए महत्वपूर्ण लागत हानि पैदा करता है, जो ऐसे कीमत स्तरों पर नकारात्मक मार्जिन पर काम करेंगे।

lxxix. वर्तमान विनिमय दर और 1 एमटी हॉट मेटल के लिए 500 किलोग्राम एलएएम कोक के रूपांतरण अनुपात को ध्यान में रखते हुए, पिग आयरन के लिए शुल्क का प्रभाव लगभग 3,765 रुपये प्रति एमटी है।

lxxx. पूर्वी बाजार में मांग 97.26 लाख एमटी रहने का अनुमान है। अकेले रश्मि समूह की वार्षिक आवश्यकता लगभग 10 लाख एमटी है, जबकि पूर्वी बाजार में उपलब्ध कुल अनुमानित गैर-बंदी क्षमता केवल 5.28 लाख एमटी प्रति वर्ष है। भारत के दक्षिणी, पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्रों में स्थित निर्माताओं से पूर्वी उपभोक्ताओं द्वारा एलएएम कोक की खरीद वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य है, क्योंकि अंतर्देशीय परिवहन से कीमत में 4,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति एमटी की वृद्धि होगी।

ञ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

265. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. प्रकटन में गलत नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने 20-40 एमएम आकार के मेट कोक की आपूर्ति नहीं की है। विभिन्न आकारों की बिक्री के साक्ष्य को यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर प्रदान किया गया है कि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति की है और ऐसे उत्पादों को बाहर रखना आवश्यक नहीं है।

ii. यदि पिग आयरन के लिए 130 एम3 तक ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए 20-40 एमएम (लगभग 30 एमएम ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) के साथ मेट कोक के लिए कोई बाहर रखने की बात है, तो स्पष्ट रूप से केवल पात्र प्रयोक्ताओं द्वारा खपत के लिए आयात की अनुमति दी जानी चाहिए और प्रयोक्ताओं द्वारा झूठी घोषणाओं के आधार पर व्यापारियों द्वारा संभावित दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए।

iii. स्टील उत्पादकों ने एलएएम कोक पर लगाए गए अनंतिम शुल्कों का फायदा उठाना शुरू कर दिया है, बाहर रखे गए यूएलपी मेट कोक का आयात करके लागू शुल्कों को व्यर्थ कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि फेरोलॉय विनिर्माण में उपयोग के लिए यूएलपी मेटलर्जिकल कोक को बाहर करने के किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष कानूनी रूप से लागू करने योग्य उपक्रमों और प्रयोक्ताओं द्वारा उत्पादित उत्पादों को दिखाने वाले प्रमाणन के आधार पर पात्र प्रयोक्ताओं द्वारा खपत के लिए आयात के लिए बनाया जाना चाहिए।

iv. घरेलू उद्योग की उत्पादन की भारित औसत लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए। सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए उत्पादन की सबसे कम लागत पर विचार करना पाटन की वास्तविक सीमा को कम करता है और असहयोगी निर्यातक/उत्पादकों को पुरस्कृत करता है।

v. एक्वा टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड की लागत के बजाय उत्पादन की भारित औसत लागत पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि एक्वा टेरा की लागत प्रतिनिधिकारक नहीं है और भारत में अन्य नमूनाकृत घरेलू उत्पादकों और आयात कीमत की तुलना में कम है। कोयले की खरीद कीमत राख की मात्रा और विभिन्न स्रोतों के आधार पर भिन्न होती है, जिससे विभिन्न उत्पादकों की खरीद कीमतों में भिन्नता होती है। जांच की अवधि के दौरान कोयले की कीमतों में और उतार-चढ़ाव आया है और एक्वा टेरा द्वारा कोयले की खरीद कम कीमतों वाली अवधि में केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, एक्व टेरा ने रूस से कोयला खरीदा है जो रूसी कोयले के कारण बेहद कम कीमतों पर है।

vi. प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए भारत में आयात कीमतों या उत्पादन की भारित औसत लागत पर विचार कर सकते हैं।

vii. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क में मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन तथा बढ़ी हुई इनपुट लागतों, विशेष रूप से इंडोनेशिया से होने वाले आयातों के संबंध में, को ध्यान में रखते हुए वृद्धि (अपवर्ड रिवीजन) की आवश्यकता है।

viii. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक से संबंधित बहिष्करण का दायरा अत्यधिक व्यापक है और इससे दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। यह अनुरोध किया गया है कि फॉस्फोरस की मात्रा को काफी निम्न स्तर (लगभग 0.006%–0.0075%) तक सीमित किया जाए तथा उपयुक्त अंतिम-उपयोग प्रतिबंध लगाए जाएँ।

ञ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

266. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन के बाद के अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि कई अनुरोध पुनरावृत्ति के हैं, जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और पर्याप्त साक्ष्य के साथ समर्थित और प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने वाले मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

267. इस दलील के संबंध में कि कोक ब्रीज़ एक उप-उत्पाद है और इसे विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं माना जा सकता, प्राधिकरण ने पाया है कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो यह कहता हो कि उप-उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं माना जा सकता। वर्तमान जांच में, चूंकि कोक ब्रीज़ का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की गई है और साथ ही इसे संबंधित देशों से आयात भी किया गया है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा माना गया है। यह दलील कि कोक ब्रीज़ के उत्पादन और बिक्री को दर्शाने वाला कोई प्रमाण रिकॉर्ड में नहीं है, गलत है। नमूना लिए गए घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत पीसीएन-वार जानकारी से पता चलता है कि कोक ब्रीज़ का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारी बाजार में की गई है।

268. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो उत्पाद के क्षेत्र को निर्धारित करने के तरीके को नियंत्रित करता हो। विचाराधीन उत्पाद का

क्षेत्र उस उत्पाद को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है जिसे भारत में पाटित किया जा रहा है और जिसका आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है। यह विवाद नहीं किया गया है कि कोक ब्रीज पाटित कीमतों पर बेचा गया है। बल्कि, विदेशी उत्पादकों का तर्क है कि वे कम कीमतों पर बेचे जाते हैं, क्योंकि वे एक उप-उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त, कोक ब्रीज को भारत में कीमतों पर आयात किया गया है, जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। अत:, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, उनके आयात घरेलू उद्योग को क्षतिकारक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

269. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने भारत को उच्च सीएसआर उत्पाद की आपूर्ति के लिए बीजक प्रदान किए हैं और इसे बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने इसका उत्पादन नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दिखाने के लिए परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की है कि उसने उच्च सीएसआर उत्पाद का उत्पादन किया है। तथापि, यह अनुरोध किया गया है कि उक्त उत्पाद की कोई वाणिज्यिक मांग नहीं है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि निर्यातक ने भारत को ऐसे उत्पाद के निर्यात को दर्शाते हुए केवल 2 लेनदेन प्रदान किए हैं। यह भारत में उक्त उत्पाद की वाणिज्यिक मांग की मौजूदगी नहीं दर्शाता है। किसी भी मामले में, चूंकि घरेलू उद्योग ने उत्पाद का उत्पादन किया है, अत: इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है।

270. इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग ने 64-65 बैंड में सीएसआर के साथ ब्लास्ट फर्नेस ग्रेड की आपूर्ति की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए विचार के तहत उत्पाद की नियमित रूप से आपूर्ति की है। चूंकि समान वस्तु की आपूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा की गई है, जो आयातित उत्पाद के साथ वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से विनिमेय है, अत: यह जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या सभी पहलुओं में समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की गई है।

271. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि यूएलपी को केवल अंतिम उपयोग के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में अंतिम प्रयोग प्रतिबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि उक्त उत्पाद का आयात केवल

लौह मिश्र धातुओं के निर्माण के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के पास उक्त उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है, तथापि, वाणिज्यिक महत्व के कारण इसका उत्पादन नहीं करने का विकल्प चुना है। ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों के मामले में, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उक्त निर्माताओं को संबद्ध सामानों का उत्पादन और आपूर्ति की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों द्वारा आयात किए जा रहे उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति करता है और अत:, विचाराधीन उत्पाद को बाहर करने की आवश्यकता केवल फेरोलॉय निर्माण के लिए उत्पन्न होती है न कि ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटरों के लिए।

272. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सुनिर्धारित है कि शुल्क लगाने के लिए उत्पाद का कवरेज ऐसा होना चाहिए कि लेवी के उद्देश्य और इरादे को प्राप्त किया जा सके। घरेलू उत्पादकों को पाटन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है। वर्तमान मामले में, यदि यूएलपी कोक को सभी प्रयोक्ताओं के लिए बाहर रखा जाता है, तो शुल्क का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर यूएलपी ग्रेड में स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे, और ब्लास्ट फर्नेस कोक के बजाय उसी का उपयोग करेंगे।

273. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने कम फॉस्फोरस स्तरों की आवश्यकता को दर्शाते हुए एएमएनएस द्वारा प्रदान की गई समीक्षा की जांच नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में समान वस्तु की मौजूदगी के बारे में विस्तृत जांच वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में की गई है। इसके अतिरिक्त, जबकि एएमएनएस ने अनुरोध किया है कि कुछ अनुप्रयोगों के लिए कम फॉस्फोरस सामग्री की आवश्यकता होती है और इस तरह के उत्पाद का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया गया है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि इस तरह के उत्पादों का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान किया गया है या 0.025% तक राख सामग्री के साथ लो ऐश मेटलर्जिकल कोक का भारत में आयात भी किया गया है।

274. अनुरोधों के संबंध में कि राख सामग्री 12% और उससे कम के साथ मेट कोक को बाहर करने के अनुरोध की जांच नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में इसकी पहले ही जांच की जा चुकी है। घरेलू उद्योग ने पहले ही 12% से कम राख सामग्री वाले मेटलर्जिकल कोक की बिक्री दिखाने वाले बीजक प्रदान किए हैं। चूंकि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान

उत्पाद का निर्माण और बिक्री की है, अत: इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

275. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*
>
> *बशर्ते कि नियम 11 के उप-नियम (3) में उल्लिखित अपवादात्मक परिस्थितियों में, प्रश्नगत अनुच्छेद के संबंध में घरेलू उद्योग में दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार शामिल माने जाएंगे और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादक एक अलग उद्योग होंगे, यदि-*
> *(i) ऐसे बाजार के भीतर के उत्पादक उस बाजार में प्रश्नगत वस्तु के अपने उत्पादन का सारा या लगभग सारा उत्पादन बेचते हैं: और*
> *(ii) बाजार में मांग किसी भी पर्याप्त हद तक उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती है जो क्षेत्र में कहीं और स्थित हैं"*

276. प्राधिकरण ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए दो प्रतिस्पर्धी बाजारों के अस्तित्व पर विचार किया है, अर्थात् कैप्टिव उत्पादक और व्यापारी उत्पादक, जिनमें वे भी शामिल हैं जो मुख्य रूप से व्यापारी उत्पादन में लगे हैं और जिनका कुछ हिस्सा कैप्टिव उत्पादन में है। चूंकि दो अलग-अलग बाजारों पर विचार किया गया है, इसलिए प्राधिकरण ने व्यापारी उत्पादकों के कुल उत्पादन के साथ-साथ आंशिक रूप से व्यापारी और आंशिक रूप से कैप्टिव उत्पादकों के कुल उत्पादन के आधार पर स्थिति का निर्धारण किया है। वर्तमान जांच में प्राधिकरण के लिए कैप्टिव उत्पादकों के कुल उत्पादन का निर्धारण करना कोई कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वे एक अलग बाजार बनाते हैं। इसके अलावा, यह प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और पिछली डंपिंग-विरोधी जांचों के अनुरूप है।

277. जहां तक उन अनुरोधों का संबंध है जो प्राधिकारी ने पिछली जांच में नोट किए थे कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) ने पिछली जांच में व्यापारी बाजार में बेचा था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को कई अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, यह तर्क जांच के अंतिम चरण में उठाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस स्तर पर भी, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है कि एनआईएनएल संबद्ध सामानों का एक व्यापारी घरेलू उत्पादक है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सूचना से पता चलता है कि प्रतिभागी प्रयोक्ता टाटा स्टील, एनआईएनएल की अंतिम धारक कंपनी है। तथापि, इसने रिकॉर्ड पर कोई सूचना नहीं दी है, यह दावा करते हुए कि एनआईएनएल एक व्यापारी घरेलू उत्पादक है, जिस पर घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार नहीं किया गया है।

278. घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में जिंदल कोक लिमिटेड के विचार के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में विस्तृत जांच की गई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह पहचान नहीं की है कि प्राधिकारी की ऐसी जांच कैसे गलत है या पुनर्विचार की आवश्यकता है।

279. बंगाल एनर्जी लिमिटेड की कैप्टिव खपत के विश्लेषण के संबंध में, इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भागों में विस्तार से जांच की गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि जब केवल बंगाल एनर्जी लिमिटेड के व्यापारी उत्पादन पर विचार किया जाता है, तब भी यह भारत में संबद्ध सामानों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और इस प्रकार, इसको बाहर करना वर्तमान जांच में क्षति विश्लेषण को वास्तविक रूप से विकृत कर देगा।

280. यह तर्क दिया गया है कि चूंकि बंगाल एनर्जी में कुल घरेलू उत्पादन का 10-20% शामिल है, अत: यह मामला बिखरे हुए उद्योग के रूप में विचार के लिए उपयुक्त नहीं है। शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाता है कि इस तरह के विवाद को बहुत देर से उठाया गया है। हितबद्ध पक्षकार इस पहल की शुरुआत से ही अवगत थे कि वर्तमान मामले को बिखरे हुए उद्योग से संबंधित माना गया है। हितबद्ध पक्षकारों को

प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद और मौखिक सुनवाई के अनुसरण में जांच की शुरुआत की सूचना के उत्तर में अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत के अंत तक इस तर्क को नहीं उठाने का विकल्प चुना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उद्योग बिखरे हुए है या नहीं, यह केवल व्यक्तिगत उत्पादकों के उत्पादन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में उद्योग में 30 से अधिक उत्पादक शामिल हैं, इसलिए इसे खंडित उद्योग माना गया है। यह तर्क कि कम उत्पादकों को घरेलू उद्योग माना जा सकता था, डंपिंग-विरोधी कानून के उद्देश्य के विपरीत है, जो घरेलू उद्योग के दायरे में यथासंभव अधिक से अधिक उत्पादकों को शामिल करने का प्रावधान करता है। ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण को यह तथ्य तर्कसंगत नहीं लगता कि उसने मामले को अखंडित मानकर केवल 3-4 उत्पादकों के आवेदन को स्वीकार किया, जबकि अधिक संख्या में घरेलू उत्पादकों की भागीदारी संभव थी।

281. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति के अंतराल की गणना के लिए पहुंच कीमत का प्रकटन करने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश-वार पहुंच कीमत का प्रकटन पहले से ही प्रकटन विवरण में कीमत कटौती के हिस्से के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अब वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में क्षति मार्जिन की गणना के लिए भी देश-वार पहुंच कीमत का प्रकटन किया है।

282. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मार्जिन के निर्धारण के लिए अपनाई गई क्षतिरहित कीमत, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को परिपाटी के अनुसार लगातार गोपनीय माना जाता है। वर्तमान मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

283. आयात मात्रा और कीमत के निर्धारण के लिए पद्धति के गैर-प्रकटन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे लेनदेन वार डीजी सिस्टम आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार निर्धारित किया गया है। आयात की मात्रा और कीमत का सारांश घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किया गया है। किसी भी हितब पक्षकार ने यह अनुरोध नहीं किया है कि निर्धारित मात्रा और कीमत गलत हैं। इस प्रकार, इस पर टिप्पणी करने के लिए एक अलग अवसर प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

284. इन अनुरोधों के संबंध में कि अलग-अलग स्थानों पर मांग के लिए अलग-अलग आंकड़ों का उल्लेख किया गया है, वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में इसका लगातार उल्लेख किया गया है।

285. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि मालभाड़े में सुधार जांच की शुरुआत के स्तर पर दोष को दूर नहीं करता है। तथापि, प्राधिकारी यह पाते हैं कि, जांच की शुरुआत के स्तर पर, घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी को दर्शाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के बाद वर्तमान जांच शुरू की। तथापि निस्संदेह, पाटन की मात्रा में जांच की शुरुआत के बाद परिवर्तन आया है, पाटन का तथ्य अपरिवर्तित बना हुआ है। यह सुनिर्धारित है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, साक्ष्यों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार किया जाना था, और प्राधिकारी को आवश्यक रूप से समान मार्जिन या समान तथ्यों का निष्कर्ष निकालना चाहिए जैसा कि जांच शुरू करने के समय निर्धारित किया गया था, तो यह विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्रतिक्रिया और सूचना मांगने के उद्देश्य को विफल कर देगा, और हितबद्ध पक्षकारों को जांच के दौरान अनुरोध दायर करने की अनुमति देना विफल कर देगा। स्वाभाविक रूप से यही कानून का उद्देश्य नहीं है। वास्तव में, ऐसे मामले में भी जहां कई देशों के बीच कुछ संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक पाया जाता है, जबकि उन देशों के लिए जांच समाप्त कर दी जाती है, इस तरह के निर्धारण के बाद; जांच की शुरुआत ही खराब नहीं होती है।

286. अत:, प्राधिकारी यह नहीं पाते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों पर बाद में विचार करने से, किसी भी तरह से, यह संकेत मिलता है कि जांच की शुरुआत स्वयं दोषपूर्ण थी।

287. इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने एएमएनएस द्वारा प्रदान किए गए समुद्री माल ढुलाई पर विचार नहीं किया है और उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किए गए सबसे सटीक साक्ष्य के अनुसार समुद्री माल ढुलाई पर विचार किया है। प्राधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए एएमएनएस द्वारा प्रदान किए गए

समुद्री माल ढुलाई पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, रश्मि मेटालिक्स जैसे अन्य आयातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना को चीन और कोलंबिया से समुद्री माल ढुलाई निर्धारित करने के लिए माना गया है। अत:, प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सर्वोत्तम सूचना पर विचार किया है।

288. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति मार्जिन प्रस्तुत समुद्री मालभाड़ा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर पुन: निर्धारित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने पहले से ही प्रदान किए गए समुद्री माल ढुलाई साक्ष्यों के आधार पर पाटन मार्जिन को फिर से निर्धारित किया है। चूंकि समुद्री माल ढुलाई से क्षति मार्जिन प्रभावित नहीं होता है, अत: डीजी सिस्टम आंकड़ों में सूचित किए गए सीआईएफ कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है, अत: इसके पुनर्निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।

289. मित्सुबिशी केमिकल कॉरपोरेशन, मित्सुबिशी आरटीएम जापान लिमिटेड, पीटीकिनरुई, पीटी डेटियन और रिसुन ग्रुप द्वारा दायर किए गए उत्तर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में विस्तृत जांच वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत खंड में पहले ही की जा चुकी है। ऊपर की गई जांच पर फिर से विचार करने के लिए प्राधिकारी के पास कोई नया तथ्य उपलब्ध नहीं है।

290. मित्सुबिशी केमिकल कारपोरेशन और मित्सुबिशी जापान ने तर्क दिया है कि जापान की आयात कीमत की तुलना उसी उच्च श्रेणी के लो-ऐश उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत से की जानी चाहिए। उत्पादकों का दावा है कि जहां घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में किसी विशेष पीसीएन/ग्रेड का उत्पादन नहीं किया जाता है, वहां क्षतिरहित कीमत लागू समायोजन के साथ निकटतम संबंधित उत्पाद पर आधारित होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात कीमत के साथ एलएओटी के लिए क्षतिरहित कीमत की तुलना करके क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। जापानी उत्पादकों ने स्वीकार किया है कि भारत को निर्यात किया जाने वाला उत्पाद लो-ऐश उत्पाद (एलएओटी) है इसके अतिरिक्त, आयात आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जापान से कोई फाइन्स का आयात नहीं किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए, की गई तुलना उचित पाई जाती है।

291. प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी होने के बाद समुद्री माल ढुलाई पर अनुरोधों की स्वीकृति के बाद भी, क्षति विश्लेषण अपरिवर्तित रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए समुद्री माल ढुलाई साक्ष्य के आधार पर मार्जिन के पुनर्निर्धारण के बाद भी, पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी बना हुआ है। इस तरह के पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि क्षति का विश्लेषण आयात की पहुंच कीमत पर आधारित था, जिसकी गणना डीजी सिस्टम आंकड़ों में सूचित सीआईएफ कीमत के आधार पर की गई थी, अत: समुद्री माल ढुलाई में बदलाव के कारण इस तरह के आंकड़ों में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी।

292. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति के निर्धारण के समय जारी रक्षोपायों पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय जांच की अवधि के बाद लगाए गए थे और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित नहीं करते हैं। किसी भी मामले में, वर्तमान अंतिम जांच परिणाम जारी करने के समय भी, रक्षोपाय लागू नहीं हैं। इस प्रकार, उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच आवश्यक नहीं होता है, जिसमें रक्षोपाय लगाए गए थे।

293. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में जांच की गई है, पोलैंड से आयात की कीमतें जापान से आयात की वास्तविक कीमत से बहुत अधिक हैं। इसके अतिरिक्त , पोलैंड से कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री और बिक्री कीमत की लागत से अधिक हैं। अत:, वर्तमान जांच में स्थिति स्वयं जापान और पोलैंड से आयात के अलग उपचार की मांग करती है। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि पोलैंड से आयात को ऐसे आयातों की उच्च कीमतों के आधार पर बाहर रखा गया है, न कि इस तथ्य के कारण कि वे संविदा के तहत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।

294. इन अनुरोधों के संबंध में कि जापानी आयात भारत को व्यापारी-बाजार, प्रतिस्पर्धी या कीमत उत्तरदायी निर्यात नहीं हैं और इस प्रकार, अन्य संबद्ध देशों से आयात के साथ संचयी नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए कारक यह निर्धारित करने के लिए संगत नहीं हैं कि वर्तमान जांच में संचयी मूल्यांकन उचित है या नहीं। प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में पहले ही उल्लेख किया है कि सभी संबद्ध देशों से आयात का संचयी मूल्यांकन किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान जांच में संचयन की शर्तों को पूरा किया गया है।

295. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी का निष्कर्ष जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि में निष्पादन के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है न कि जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन के आधार पर। प्राधिकारी ने केवल अनंतिम उपायों की आवश्यकता के संदर्भ में केवल जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का उल्लेख किया है, जो किसी भी तरह से वर्जित नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनंतिम उपायों को लागू करने को नियंत्रित करने वाले डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि जांच के दौरान होने वाली क्षति को रोकने के लिए जहां ऐसे शुल्क आवश्यक हैं, वहां अनंतिम शुल्क लगाया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को जांच के दौरान मौजूद शर्तों का उल्लेख करने से, शुल्कों की आवश्यकता की जांच करने से नहीं रोका जाता है।

296. इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में पोत यातायात में व्यवधान पैदा करने वाले चल रहे तनाव पर क्षति के विश्लेषण के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस तरह का विकास जांच के बाद की अवधि का विकास है और इस प्रकार, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति को प्रभावित नहीं करता है।

297. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षतिरहित कीमत से अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह गलत है।

298. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयात में वृद्धि का श्रेय ऑस्ट्रेलिया या जापान को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इन देशों से आयात का हिस्सा अन्य संबद्ध देशों से आयात के हिस्से की तुलना में बहुत कम है। प्राधिकारी, वर्तमान जाँच में, पहले ही नोट कर चुके हैं कि वर्तमान जाँच में संचयन की शर्तों को पूरा किया गया है और अत:, संबद्ध देशों से आयात का संचयी मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार, प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

299. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग अपनी लागत में परिवर्तन के अनुसार अपने उत्पाद की कीमत निर्धारित करने में सक्षम रहा है और घरेलू उद्योग की आयात मात्रा और बिक्री कीमत के बीच कोई संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त अनुरोध तथ्यात्मक रूप से गलत है। जैसा कि संबंधित खंड में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग क्षति की अवधि में अपनी बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुसार अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त , घरेल

उद्योग की बिक्री कीमत क्षति की की अवधि के प्रमुख हिस्से के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। इस तरह की बिक्री कीमत को घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

300. इस संबंध में प्रस्तुत दलीलों के अनुसार, क्षति अवधि के दौरान पिछली अवधियों में मूल्य कटौती का खुलासा नहीं किया गया है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि मूल्य कटौती का निर्धारण केवल जांच अवधि के लिए किया जाता है। भारित औसत भूमि मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर मूल्य कटौती का खुलासा पहले ही संबंधित भाग में किया जा चुका है। प्रकट की गई मूल्य कटौती से पता चलता है कि आयात घरेलू उद्योग के मूल्यों को कम कर रहे हैं।

301. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में पहुंच कीमत अंतराल राष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार है और यह कोकिंग कोयले की लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत के अनुरूप है, प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में पहले ही नोट किया है कि संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए बिक्री की लागत के साथ-साथ कोकिंग कोयले की लागत से भी कम है। इस प्रकार, ऐसी कीमतों को कच्चे माल की कीमत या घरेलू उद्योग की लागत के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

302. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आयात कीमत हमेशा कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ नहीं चल सकती है और यह मांग-आपूर्ति अंतराल, संविदा की शर्तों और प्रतिस्पर्धी दबाव से प्रभावित होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति का अंतराल और प्रतिस्पर्धी दबाव घरेलू उद्योग के साथ-साथ विदेशों में उत्पादकों के लिए समान है और अत:, घरेलू उद्योग और भारत में आयात दोनों के लिए विचाराधीन उत्पाद की कीमत को प्रभावित करना चाहिए। तथापि, संबद्ध आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है। इसके अतिरिक्त, सामान्य व्यापार परिदृश्य में, संबद्ध सामानों की कीमत कच्चे माल की कीमतों के साथ चलती है, विशेष रूप से वर्तमान मामले में जहां कच्चे माल की उत्पादन लागत का 90% से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध कि विचाराधीन उत्पाद को संविदा की शर्तों के कारण भारत में पाटित किया जा रहा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

303. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में कम राख वाला कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है और घरेलू उत्पादक उसी स्रोत से कच्चे माल का आयात कर रहे हैं जो संबद्ध देशों में उत्पादक हैं। इस प्रकार, सोर्सिंग और वैश्विक लागत लाभ को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

304. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन में था और अतः, उत्पादन में गिरावट आई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उच्चतम क्षमता उपयोग केवल 51% रहा है और अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध सामानों का अधिक उत्पादन किया है। यह विशेष रूप से ऐसा मामला है जहां विचाराधीन उत्पाद की मांग भारतीय उद्योग के कुल उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं है और मांग की मौजूदगी के बावजूद मालसूची के संचय का सामना कर रहा है, अधिक उत्पादन का संकेत नहीं देता है। बल्कि, मालसूची का ऐसा संचय पाटन के क्षतिकारक प्रभावों का संकेत है।

305. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के लाभ और हानि की जांच घरेलू उद्योग के निवेश और पूंजी संरचना के आलोक में की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश के कारण नहीं हुई है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए, जिसमें ब्याज और मूल्यह्रास शामिल नहीं है, में भी गिरावट आई है और जांच की अवधि में यह नकारात्मक हो गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की पूंजी संरचना के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को घरेलू उद्योग के लिए देखा जाना चाहिए। क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की पूंजी संरचना में परिवर्तन का कोई प्रमाण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को हानि होती।

306. इन तर्कों के संबंध में कि जिंदल कोक जैसे कुछ घरेलू उत्पादक लाभ में हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए किया जाता है, न कि घरेलू उद्योग का गठन करने वाले व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों के लिए। हितबद्ध पक्षकारों ने तय कानूनी परिपाटी से विचलन का कोई कारण नहीं दिखाया है। तथापि, भले ही प्राधिकारी ने व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों के निष्पादन में अधिक

बारीक स्तर पर ध्यान दिया हो, यह अनुरोध किया जाता है कि जिंदल कोक ने लाभ कमाया है, लेकिन इसकी लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है। वास्तव में, घरेलू उद्योग का गठन करने वाले 9 घरेलू उत्पादकों में से 6 घरेलू उत्पादकों को क्षति उठानी पड़ी है, जबकि शेष घरेलू उत्पादकों के लाभ में गिरावट देखी गई है। अत:, भले ही क्षति की जांच व्यक्तिगत उत्पादक-वार आधार पर की जाती है, कानूनी आवश्यकताओं के बावजूद, प्रत्येक उत्पादक की लाभप्रदता को क्षति हुई है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के प्रावधानों में घरेलू उद्योग को निष्कर्ष निकाले जाने के लिए क्षति की मौजूदगी के लिए हानियां होना आवश्यक नहीं है। नियमों में प्राधिकारी को लाभप्रदता में गिरावट की जांच करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में नोट किया गया है।

307. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति मौसमी और पर्यावरणीय प्रभावों से उच्च नमी भिन्नताओं के कारण है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस बारे में कोई सूचना या साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि कैसे ऐसे कारकों ने केवल घरेलू उत्पाद को प्रभावित किया है, न कि आयातित उत्पाद को। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। यदि ऐसे कारकों ने घरेलू कीमतों को प्रभावित किया था, तो संबद्ध आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होने का कोई कारण नहीं था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षति की अवधि के दौरान उत्पाद पर मौसमी और पर्यावरणीय प्रभाव में कोई बदलाव आया है। चूंकि घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभदायक था, अत: उक्त कारणों को घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाने वाले कारक नहीं माना जा सकता है।

308. यह भी तर्क दिया गया है कि पोलिश आयात और संबंधित देशों से आयात के बीच कम मूल्य अंतर को देखते हुए, उच्च शुल्क राशि उचित नहीं है। प्राधिकरण का मानना है कि नुकसान पहुंचाने वाले आयात और नुकसान न पहुंचाने वाले मूल्य से कम कीमत पर आयात में अंतर है। नुकसान पहुंचाने वाले आयात का निर्धारण करते समय, नुकसान न पहुंचाने वाले मूल्य से कम कीमत पर आयात का कोई महत्व नहीं है। नुकसान न पहुंचाने वाले मूल्य का संदर्भ शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए तभी लिया जाएगा, जब किसी स्रोत से आयात नुकसानदायक पाया जाए। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने संबंधित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घाटे में बिक्री की है, यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक

कीमत पर आयात के कारण ऐसा नुकसान हुआ होगा।। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जांच अवधि के दौरान पोलैंड से आयातित माल ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव नहीं डाला, तो इसका अर्थ है कि इससे घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं हुई। इसी प्रकार, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबंधित देशों से आयातित माल से हानि हो रही है, तो शुल्क की मात्रा डंपिंग मार्जिन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। हालांकि, चूंकि भारत में कम शुल्क का नियम लागू है, इसलिए हानि मार्जिन कम होने पर कम शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में किसी अन्य देश की कीमत से तुलना करना प्रासंगिक नहीं है।

309. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की अपनी आधी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थता आंतरिक अक्षमता को दर्शाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग आधार वर्ष में और उस अवधि में उच्च क्षमता उपयोग पर काम कर रहा था जब संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अधिक थी। तथापि, पहुंच कीमत में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग भारत में पाटन के कारण अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ है।

310. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उत्पाद की आपूर्ति ट्रक द्वारा की जाती है, जबकि आयातित उत्पाद की आपूर्ति समुद्री शिपमेंट द्वारा की जाती है, जिसके कारण घरेलू उद्योग के लिए रसद लागत अधिक होती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद को दूसरे देश में निर्यात करने के लिए, एक उत्पादक उत्पाद को बंदरगाह पर विचार के तहत प्राप्त करने के लिए रेल और सड़क परिवहन का उपयोग करता है और उसके बाद कार्गो शिपमेंट होता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय बंदरगाह पर भी, सामान को उतारा जाता है और सड़क/रेलवे द्वारा प्रयोक्ताओं के परिसरों तक ले जाया जाता है। इस प्रकार, निर्यातकों के लिए रसद लागत आमतौर पर घरेलू उत्पादकों की तुलना में अधिक होती है। किसी भी मामले में, जबकि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए माल ढुलाई पर विचार नहीं किया गया है, भारत में पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए उसी पर विचार किया गया है। अत:, उत्पाद के परिवहन में घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले किसी भी लागत क्षति को क्षति मार्जिन के निर्धारण में बाहर रखा गया है, जबकि विदेशी उत्पादकों के लिए उपलब्ध कथित समुद्री माल ढुलाई लाभ पर विचार किया गया है।

311. इसके अतिरिक्त, जैसा कि वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत खंड में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने लाभप्रदता और बिक्री सहित घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के लिए केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर विचार किया है।

312. इस संबंध में कि प्राधिकरण ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पर विचार नहीं किया है, जिसके कारण भारत में कोकिंग कोयले के आयातकों के लिए रसद लागत में वृद्धि हुई है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि लागत में यह वृद्धि भारत में कोकिंग कोयले के आयातकों के साथ-साथ कम राख वाले मेटालर्जिकल कोक के आयातकों पर भी लागू होती है। चूंकि घरेलू उत्पादक ज्यादातर कच्चे माल का आयात उन्हीं स्रोतों से करते हैं जिनसे अंतिम उत्पाद का आयात किया जाता है, इसलिए रसद लागत में वृद्धि का प्रभाव मेटालर्जिकल कोक के उत्पादकों और मेटालर्जिकल कोक के आयातकों दोनों पर समान होने की संभावना है।

313. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक आय के मामले में क्षति स्व-प्रभावित कारकों के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे कारकों की ओर इशारा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, भारत में संबद्ध सामानों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में विस्तृत जांच की गई है।

314. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों में हॉट-रोल्ड स्टील कॉइल और मिल प्लेट्स दोनों की कीमतें हैं और इस प्रकार, प्रभाव के निर्धारण के लिए ऐसी कीमतों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का प्रयोग दोनों उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अत:, इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कीमतों का प्रयोग करने में कोई विसंगति नहीं है।

315. इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण एएमएनएस पर अतिरिक्त लागत आने की संभावना है, प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में कीमतें बढ़ सकती हैं, तथापि, ऐसी कीमतें प्रतिस्पर्धी और उचित होंगी। उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों के निर्माण में लगे भारतीय उद्योग की कीमत पर पाटित कीमतों पर उत्पाद तक पहुंच की मांग नहीं कर सकते हैं।

316. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने कुल क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए मांग-आपूर्ति अंतराल की गणना की है न कि व्यापारी बाजार के लिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह के अनुरोध गलत हैं क्योंकि भारत में मांग

आपूर्ति अंतराल को निर्धारित करने के लिए केवल व्यापारी क्षमताओं और व्यापारी मांग पर विचार किया गया है।

317. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा केवल बिक्री गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर नहीं करती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी प्रयोक्ता ने घरेलू उद्योग के साथ उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दर्शाते हुए कोई पत्र प्रदान नहीं किया है। गुणवत्ता के किसी भी प्रमाण के बिना केवल अनुरोधों भी गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को नहीं दर्शाती है। उद्योग द्वारा वास्तविक बिक्री से ही पता चलता है कि प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से उत्पाद खरीद रहे हैं और आयात केवल विदेशी उत्पादकों द्वारा दी जा रही कम कीमतों के कारण आवश्यक है।

318. इस्पात उत्पादकों की लागत में वृद्धि के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता प्रमुख कच्चे माल के घरेलू उत्पादन की कीमत पर पाटित कीमतों पर उत्पाद तक पहुंच की मांग नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद की कीमतें अतीत में अधिक थीं और ऐसी कीमतों के निचले स्तर के प्रयोक्ताओं पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।

319. इस तथ्य के संबंध में कि मार्जिन डाउनस्ट्रीम उद्योग पर निर्धारित प्रभाव से अधिक है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि प्रभाव निर्धारण के लिए उच्चतम मार्जिन पर विचार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रभाव की गणना गैर-हानिकारक मूल्य के आधार पर की गई है। चूंकि लगाया जा सकने वाला अधिकतम शुल्क इतना है कि इससे हुई क्षति की भरपाई हो सके, इसलिए यह उचित है कि प्रभाव का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाए कि शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग को गैर-हानिकारक मूल्य तक पहुंचने के लिए अपनी कीमत बढ़ानी होगी।

320. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि रुपये के अवमूल्यन पर विचार किया जाना चाहिए जिसके कारण आयात कीमत में वृद्धि हुई है और इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही भारतीय मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया है, लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है कि भारतीय बाजार में पाटन बंद हो गया है। केवल इसलिए कि जांच की अवधि के बाद भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, जांच की अवधि में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के बारे में प्राधिकारी की जांच दूषित नहीं होती है।

321. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रकटन विवरण में जापानी निवेश के संबंध में अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है और सार्वजनिक हित पाटनरोधी शुल्क को लागू न करने के प्रति निहित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन एक अनुचित व्यापार परिपाटी है जो न केवल भारतीय उद्योग को नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि भारत में विदेशी निवेश को भी नुकसान पहुंचाएगा। जापानी निवेश की योजना भारत में पाटन के आलोक में नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन भारतीय बाजार में भारत सरकार द्वारा बनाए गए उचित बाजार स्थितियों को देखते हुए, ऐसे मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाने और बाजार में वर्तमान और भविष्य के निवेश के लिए उचित बाजार बनाए रखने की आवश्यकता है।

322. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि कोक ओवन को ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में संचालित होने में अधिक समय लगता है, जिससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता होती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तरह के तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। किसी भी मामले में, यह नोट किया जाता है कि इस्पात उत्पादक इस अवधि के दौरान घरेलू स्तर पर या आयात के माध्यम से माल की खरीद कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाना आयात पर प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता है, और केवल उचित बिक्री कीमत को फिर से स्थापित करता है। अत: इस्पात उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

323. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि वे कम आयात कीमत के कारण आयात करना पसंद करते हैं। तथापि, वर्तमान में, इतनी कम कीमतें उत्पाद के पाटन के कारण हैं। अत:, आयातित उत्पाद के लिए वरीयता उत्पाद के पाटन के कारण है।

324. शुल्क के प्रभाव की गणना के संबंध में, प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की जांच की है। हालांकि, जहां निर्धारित प्रभाव ठोस गणनाओं द्वारा समर्थित नहीं है, वहां प्राधिकरण इसे विचार करने योग्य नहीं समझता है। विनिमय दर में परिवर्तन के कारण शुल्क के प्रभाव में वृद्धि के दावे के संबंध में, प्राधिकरण ने पाया है कि रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जैसा कि इन निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग में उल्लेख किया गया है, डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव का आकलन पूरे देश के

संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि केवल किसी एक उत्पादक या उपभोक्ता के संदर्भ में।

325. संबंधित पक्षों ने पूर्वी भारत में मांग 97.26 लाख मीट्रिक टन बताई है, जबकि आपूर्ति कथित तौर पर मात्र 5.28 लाख मीट्रिक टन है। हालांकि प्राधिकरण का मानना है कि मांग-आपूर्ति अंतर के कारण शुल्क लगाना उचित नहीं है; फिर भी, प्राधिकरण ने पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता की जांच कर ली है जो 19.69 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा, संबंधित पक्षों ने मांग में कुल मांग को शामिल किया है, जिसमें कैप्टिव उत्पादन भी शामिल है। मांग में शामिल इस्पात उत्पादकों में जेएसपीएल, आरआईएनएल और टाटा स्टील शामिल हैं, जिनके अपने कैप्टिव ओवन हैं। हालांकि, इन कोक ओवन की क्षमता पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त आंकड़े में नरसिंह इस्पात/बालमुकुंद/पुरुलिया स्टील की मांग भी शामिल है। हालांकि, उनके द्वारा आयातित उत्पाद को कुछ शर्तों के अधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए, 97.26 लाख मीट्रिक टन की तुलना उपलब्ध आपूर्ति से करना उचित नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह जानकारी दी है कि संबंधित सामान सड़क परिवहन, रेल और समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।

326. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग एंटी-डंपिंग शुल्क का भुगतान किए बिना यूएलपी कोक का आयात कर रहा है और दी गई छूट का दुरुपयोग कर रहा है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने पाया है कि छूट वास्तविक उपयोग की स्थिति के आधार पर दी गई है और यूएलपी को केवल फेरोअलॉय के निर्माण के लिए ही छूट दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि फेरोअलॉय निर्माण में उपयोग के लिए 0.030% तक फॉस्फोरस सामग्री और 30 मिमी तक के आकार (5% आकार सहिष्णुता के साथ) वाले अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक का आयात, वास्तविक उपयोग की स्थिति के तहत, उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है, बशर्ते सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष वास्तविक आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में एक उपयुक्त और कानूनी रूप से लागू करने योग्य वचन प्रस्तुत किया जाए।

327. जहां तक 20-40 एमएम आकार वाले उत्पाद को बाहर करने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोधों का संबंध है, वर्तमान अंतिम जांच परिणामों के संगत भाग में इसकी विस्तार से जांच की गई है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि ऐसे आयात केवल पात्र उपयोगकर्ताओं को ही अनुमति दी जाए, न कि उत्पाद के व्यापारियों को। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि चूँकि उत्पाद के आयात को

केवल वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन ही बाहर रखा गया है, ऐसे आयात प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना केवल तभी किए जा सकते हैं जब उनका आयात वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा किया जाए।

328. घरेलू उद्योग द्वारा भारित औसत संरचित सामान्य मूल्य पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्तुतियों के संदर्भ में, प्राधिकरण यह नोट करता है कि संरचित सामान्य मूल्य (CNV) का निर्धारण सबसे कुशल घरेलू उत्पादक की लागत के आधार पर किया जाता है, जो डीजीटीआर द्वारा अपनाई गई पूर्व प्रथा के अनुरूप है।

329. प्राधिकरण यह नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क का निर्धारण जांच अवधि के दौरान स्थापित डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन द्वारा नियंत्रित होता है। मुद्रास्फीति या मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव जैसे जांच अवधि के पश्चात (पोस्ट-पीओआई) कारकों के आधार पर समायोजन को शुल्क में संशोधन के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

330. प्राधिकरण यह नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा, जिसमें बहिष्करण शामिल हैं, इन अंतिम निष्कर्षों के संबंधित भाग में विस्तार से जांचा गया है। जैसा कि इन निष्कर्षों में पहले ही दर्ज किया गया है, अंतिम निष्कर्ष के चरण पर बाद में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के आधार पर उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, फॉस्फोरस सीमा में संशोधन के अनुरोध को स्वीकार्य नहीं पाया गया।

ट. <u>निष्कर्ष</u>

331. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैः

क. ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र घरेलू उद्योग की ओर से भारतीय मेटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था। आवेदक संघ के एसोसिएशन के 9 सदस्यों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से आंकड़े दायर किए हैं।

ख. जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद को 18% से कम राख सामग्री वाले मेटलर्जिकल कोक के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें फेरो एलॉय

निर्माण में प्रयोग के लिए 5% आकार वाले 30 एमएम तक के आकार के 0.030% तक फास्फोरस वाले अल्ट्रा लो फास्फोरस मेटलर्जिकल कोक शामिल नहीं हैं।

ग. यह स्पष्ट किया जाता है कि अर्ध-कोक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

घ. मामले के तथ्यों और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के तहत पिग आयरन निर्माण के लिए ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए 20-40 एमएम (लगभग 30 एमएम ± 2 एमएम के औसत आकार के साथ) के एलएएम कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस तरह के आयात की अनुमति केवल पात्र प्रयोक्ताओं द्वारा अपनी खपत के लिए दी जाएगी, और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र के साथ प्रामाणिक आयात और अंतिम प्रयोग के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष उपयुक्त और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय वचनबद्धता प्रस्तुत की जाएगी, जो प्रयोक्ता की ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता को प्रमाणित करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह वितरण निर्दिष्ट आकार और अनुप्रयोग तक सीमित है और किसी अन्य प्रयोग या किसी अन्य भट्टी के आकार के लिए लागू नहीं होगा।

ड. उत्पाद को बाहर करने के लिए अन्य अनुरोध की जांच की गई है और यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन आयातित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है। अतः, उपरोक्त को छोड़कर, बाहर करने के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया है।

च. घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है।

छ. प्राधिकारी ने उचित तुलना के उद्देश्य से राख की मात्रा और आकार को ध्यान में रखते हुए पीसीएन पद्धति अपनाई।

ज. नौ घरेलू उत्पादकों, एक्वा टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड, बंगाल एनर्जी लिमिटेड, बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल कोक लिमिटेड, पवनपुत्र इकोक प्राइवेट लिमिटेड, सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, सु मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड, यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड और वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय उत्पादन के प्रमुख अनुपात के लिए वर्तमान जांच के उद्देश्य आंकड़े प्रदान किए हैं।

झ. बंगाल एनर्जी लिमिटेड को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। भारत में

उत्पादन, मांग और आयात की तुलना में बंगाल एनर्जी लिमिटेड का आयात काफी नहीं है।

ञ. बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा कैप्टिव खपत काफी नहीं है, और इसे उत्पाद का एक व्यापारी उत्पादक माना गया है। इसके अतिरिक्त, भारत में व्यापारी बिक्री में बंगाल एनर्जी लिमिटेड के काफी हिस्से को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उत्पादक को बाहर करना उचित नहीं होगा।

ट. यह जांच की गई है और पाया गया है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, जिंदल कोक लिमिटेड को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत जिंदल स्टेनलेस स्टील से संबद्ध नहीं माना गया है। तदनुसार, इसे घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना गया है।

ठ. उपर्युक्त घरेलू उत्पादकों में से कोई भी संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है। तदनुसार, उपरोक्त घरेलू उत्पादकों को नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग पाया गया है।

ड. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ढ. विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों को वर्तमान जांच में पूर्ण और सटीक प्रतिक्रिया प्रदान करने का उचित अवसर प्रदान किया गया था। तथापि, उत्पादकों और निर्यातकों ने एक अधूरा उत्तर दायर किया है और प्राधिकारी को गुमराह करने का भी प्रयास किया है।

ण. ऐसी स्थिति में जहां भारत को निर्यात के संबंध में पूरी सूचना रिकॉर्ड में नहीं है और जब संबंधित निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, तो प्राधिकारी संबंधित उत्पादक के लिए निर्यात कीमत और पहुंच कीमत को सटीक रूप से निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं।

त. हितबद्ध पक्षकारों को अनुरोध करने और रिकॉर्ड पर पूर्ण तथ्य लाने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए थे, जिसमें अतिरिक्त प्रश्न, मौखिक सुनवाई, लिखित अनुरोध और प्रकटन विवरण जारी करना शामिल था। अत:, सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था।

थ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए रिकॉर्ड में सटीक और पर्याप्त सूचना लाने में विदेशी उत्पादकों की विफलता को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की मात्रा निर्धारित की गई है।

द. प्रारंभिक जांच परिणामों को जारी करने के बाद, निवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किए गए समुद्री मालभाड़े को विभिन्न पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर संशोधित किया गया है।

ध. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन काफी और न्यूनतम से अधिक है।

न. अनुबंध II के पैरा (iii) के तहत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है।

प. संबद्ध देशों से आयात पूर्ण रूप से और क्षति की अवधि में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बढ़ गया है।

फ. जबकि क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है, इस तरह की वृद्धि संबद्ध आयातों से ली गई है।

ब. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है, और कीमत वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा हुई होती।

भ. विदेशी उत्पादकों को प्राप्त होने वाले प्राकृतिक लाभों के कारण आयात की कीमत कम नहीं है, क्योंकि आयात की कीमत क्षति की अवधि के पहले भाग में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से अधिक थी। घरेलू उद्योग की तुलना में विदेशी उत्पादकों के लिए उपलब्ध लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होने के बावजूद, पहुंच कीमत कम हो गई है और बिक्री की लागत से कम हो गई है।

म. विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

i. घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ी है लेकिन उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी कमी आई है।

ii. घरेलू उद्योग की क्षमताओं का काफी कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह केवल 40% पर काम कर रहा है।

iii. मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में भी गिरावट आई है। हालाँकि, क्षति की अवधि के दौरान वे समग्र आधार पर बढ़े हैं।

iv. आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

v. घरेलू उद्योग की मालसूची इस तथ्य के बावजूद बढ़ी है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन कम हो गया है और यह संबद्ध सामानों की बिक्री हानियों पर कर रहा है।

vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बिगड़ गई है, और इससे वित्तीय हानि और नकद हानियां बढ़ गई हैं।

vii. घरेलू उद्योग की निवेश पर आय नकारात्मक हो गई है।

viii. घरेलू उद्योग की मात्रा और लाभप्रदता दोनों मापदंडों ने जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दिखाई है।

ix. भारी हानियों के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

x. आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है, और घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहा है।

य. इस प्रकार, घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

कक. घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारण से कोई क्षति नहीं हुई है।

खख. प्रत्येक संबद्ध देश के लिए क्षति का अंतराल सकारात्मक और काफी है।

गग. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक सार्वजनिक हित में है जैसा कि निम्नलिखित से देखा जाता है

i. शुल्क लगाना पाटन की परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभों के संचय को रोकेगा और घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करेगा।

ii. विचाराधीन उत्पाद की कीमत अतीत में अधिक थी, जिसका प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

iii. पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव निचले स्तर के उद्योग पर काफी नहीं है। यहां तक कि प्रयोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई गणना के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

iv. प्रमुख बाजार खंड कैप्टिव उपभोक्ताओं द्वारा पूरा किया जाता है जो संबद्ध सामानों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से अछूते रहते हैं।

v. जहां इस्पात उद्योग क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, वहीं इस्पात उद्योग मेट कोक के लिए भी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है।

vi. भारत में मांग और आपूर्ति में कोई अंतराल नहीं है। भारतीय उद्योग की क्षमता भारत में व्यापारी मांग की संपूर्णता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

vii. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकदी हानि का सामना करना पड़ा है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की गई है। ऐसे में बाजार की स्थितियां आगे के निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

viii. निचले स्तर के उत्पाद के निर्यात के मामले में, संबद्ध सामानों के उपभोक्ता किसी भी पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम प्राधिकार के तहत उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ix. भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण कई उत्पादकों को बंदी का सामना करना पड़ा है।

x. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाद की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कीमत वृद्धि पर विचार करने के बाद भी, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है, घरेलू उद्योग ने घाटे हानियों पर बिक्री जारी रखी है।

xi. संबद्ध सामानों की मांग और आपूर्ति के बीच कोई क्षेत्रीय असंतुलन नहीं है।

ठ. <u>सिफारिशें</u>

332. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरु करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अत:, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

333. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रावधिक शुल्क लगाए जाने की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण*	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090	लो ऐश मेटालर्जिकल कोक *	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया सहित कोई देश	कोई	71.16	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण.,	आस्ट्रेलिया	कोई	71.16	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण*	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
			इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश					
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई	128.83	एमटी	यूएसडॉ.
4	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण., इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	128.83	एमटी	यूएसडॉ.
5	-वही-	-वही-	कोलंबिया	कोलंबिया सहित कोई देश	कोई	118.55	एमटी	यूएसडॉ.
6	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, को छोड़कर कोई देश	कोलंबिया	कोई	118.55	एमटी	यूएसडॉ.
7	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	कोई	67.50	एमटी	यूएसडॉ.
8	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण., इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश	इडोनिशया	कोई	67.50	एमटी	यूएसडॉ.
9	-वही-	-वही-	जापान	जांपान सहित कोई देश	कोई	42.95	एमटी	यूएसडॉ.
10	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण.,	जापान	कोई	42.95	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण*	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
			इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश					
11	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई देश	कोई	84.16	एमटी	यूएसडॉ.
12	-वही-	-वही-	आस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.गण., इंडोनिशया, जापान और रूस को छोड़कर कोई देश	रूस	कोई	84.16	एमटी	यूएसडॉ.

** लो ऐश मेटलर्जिकल कोक यानी मेटलर्जिकल कोक, जिसमें राख की मात्रा 18% से कम है, निम्नलिखित को छोड़कर*

क. फेरोअलॉय निर्माण में उपयोग के लिए 5 प्रतिशत आकार सहिष्णुता के साथ 0.030 प्रतिशत तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ 0.030 प्रतिशत तक फॉस्फोरस सामग्री के साथ अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा आयात के अधीन और वास्तविक आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक उपयुक्त और कानूनी रूप से लागू करने योग्य उपक्रम प्रस्तुत करना।

ख. सेमी-कोक या सॉफ्ट कोक,

ग . पिग आयरन विनिर्माण के लिए 130 वर्ग मीटर तक की ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग के लिए 20-40 मिमी (लगभग 30 मिमी ± 2 मिमी के औसत आकार के साथ) आकार का एलएएम कोक वास्तविक प्रयोक्ताओं के आधार पर आयात करने के अध्यधीन और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र के साथ वास्तविक आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक

उपयुक्त और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय उपक्रम प्रस्तुत करना बोर्ड, जैसा लागू हो, उपयोगकर्ता की ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता को प्रमाणित करता है।

334. उपरोक्त के अधीन, प्राधिकरण 14 नवंबर 2025 की अधिसूचना संख्या 6/03/2025-डीजीटीआर के माध्यम से जारी की गई प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

335. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

अनुबंध – I

विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं की सूची

1. अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड
2. आकाश कोक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
3. अंजनेय फेरो अलॉयज़ लिमिटेड
4. अनमोल इंडिया लिमिटेड
5. आरास इंटरनेशनल ट्रेडिंग
6. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड
7. अर्जास स्टील प्राइवेट लिमिटेड
8. आर्क फेरो अलॉयज़ एलएलपी
9. आसनसोल अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड
10. असम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड
11. अतिबीर इंडस्ट्रीज़ कंपनी लिमिटेड
12. एवन एडवांस्ड मटीरियल्स कंपनी
13. एक्सिस बिज़नेस
14. बगाड़िया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
15. बालासोर अलॉयज़ लिमिटेड
16. बेरी अलॉयज़ लिमिटेड
17. भूतेश्वर निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
18. बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड
19. कार्बन रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड
20. चावला इंटरनेशनल
21. केमट्रेड ग्लोबल इम्पेक्स एलएलपी
22. सिटी लिंक लॉजिस्टिक्स
23. डेक्कन फेरो अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड
24. डिजिटल वेव्स कंप्यूटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
25. ई चैमेक्स प्राइवेट लिमिटेड
26. इमर्जेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
27. एस्सेल माइंस एंड मिनरल्स
28. एक्सट्रा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
29. फाकर एलॉयज लिमिटेड
30. फ्लस्मिथ प्राइवेट लिमिटेड
31. फाउंडरी नीर्स
32. जीएचसीएल लिमिटेड
33. ग्लोबल रिसायक्लिंग
34. ग्लोबल ट्रेड लिंग
35. गोयल धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
36. हरियाक्ष इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
37. हीरा इलेक्ट्रो स्मेल्टर्स लिमिटेड
38. हीरा फेरो अलॉयज़ लिमिटेड
39. हीरा पावर एंड स्टील्स लिमिटेड
40. हब इंटरनेशनल

41. इम्पेक्स मेटल एंड फेरो अलॉयज़ लिमिटेड
42. इंडिया कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
43. इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज़ लिमिटेड
44. इंटीग्रेटेड एएफआर प्राइवेट लिमिटेड
45. जेडीबी कोक
46. जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
47. जैन नेचुरल रिसोर्सेज़
48. जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
49. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
50. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड
51. जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
52. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
53. के आई सी मेटालिक्स लिमिटेड
54. कल्याणी स्टील्स लिमिटेड
55. किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
56. केएमएस ट्रेडर्स
57. एलके श्री एंटरप्राइज़ एलएलपी
58. मद्रास कोल एंड कोक सप्लायर्स
59. महालक्ष्मी कॉन्टिनेंटल लिमिटेड
60. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
61. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल एल एल पी
62. मैथन अलॉयज़ लिमिटेड
63. एमडीए मिनरल धातु (एपी) प्राइवेट लिमिटेड
64. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड
65. मोर अलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड
66. एमपीएम- डूरांस रेफ्राकोट प्राइवेट लिमिटेड
67. मुकुंद लिमिटेड
68. नारायणी रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड
69. नरसिंह इस्पात लिमिटेड
70. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
71. एनईओ मेटालिक्स लिमिटेड
72. निरमा लिमिटेड
73. नोवा कार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
74. ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
75. ओसवाल मिनरल्स लिमिटेड
76. ओसवाल स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
77. पैरागॉन ओवरसीज़ लिमिटेड
78. पैरागॉन पूर्वा लिमिटेड
79. पायनियर कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
80. पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड
81. पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज़
82. प्रकाश कमर्शियल

83. प्रशांत कोल एंड कोक सेल्स
84. पुष्पांजलि ट्रेडविन प्राइवेट लिमिटेड
85. रश्मि सीमेंट लिमिटेड
86. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड
87. रिन्यूएरा एलएलपी
88. रोडियम फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
89. रॉकफिट कॉर्पोरेशन
90. रॉक्सुल रॉकवूल इंसुलेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
91. रॉयल मार्केटिंग
92. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
93. एसवी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
94. संपत विनायक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
95. सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
96. सारडा मेटल्स एंड अलॉयज लिमिटेड
97. सवॉय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
98. सीकीज़ प्राइवेट लिमिटेड
99. शार्प फेरो अलॉयज लिमिटेड
100. शिवन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
101. शिवमणि एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
102. शिवकाशी ट्रेड वेंचर्स
103. श्रद्धा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
104. श्री भोले अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
105. श्री जय बाबा ट्रेडिंग कंपनी
106. श्रीश्याम इंगोट एंड कास्टिंग्स (पी) लिमिटेड
107. श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड
108. श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड
109. सिवम अलॉयज एंड फ्यूल्स एलएलपी
110. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
111. सूनाम अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
112. श्रीनाथजी एंटरप्राइजेज
113. श्री राघवेंद्र फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
114. श्रीकालहस्ती पाइप्स लिमिटेड
115. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
116. सुंदरम अलॉयज लिमिटेड
117. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
118. सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड
119. सूर्या अलॉय इंडस्ट्रीज लिमिटेड
120. स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
121. टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
122. टाटा स्टील लिमिटेड
123. टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड
124. ट्राफिगुरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

125. टफ मेटालर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
126. उदया उद्योग
127. विधि इंडस्ट्रीज़
128. विमला फ्यूल्स एंड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
129. वीज़ा मिनमेटल लिमिटेड
130. विशाल एजेंसीज़
131. विवान ओवरसीज़
132. वेलस्पन मेटालिक्स लिमिटेड
133. विज़डम इंक.
134. युग अलॉयज़